राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क १०] द्वितीय विधान सभा के दशम् सत्र, १९६१ का ३४वां दिवस [संख्या २२

मंगलवार, दिनांक २८ मार्च, १९६१

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर १२ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[उद्योग, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, राजस्व, शक्ति, खनिज, योजना, विकास, नियुक्ति एवं समाज कल्याण-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

(विराम)

श्री श्रीभानसिंह ।

मिल्क पाउडर का काला बाजार करने वालों के प्रति कार्यवाही

५७९. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Industries Minister be pleased to state:-

(1) As to how much quota of milk powder was allotted by the State Trading Corporation from its direct imports to Rajasthan in the year 1958, 1959 and 1960 ?

(2) What was the procedure adopted by the Department for its distribution within the State in the years 1958, 1959 and 1960 ? Was a Committee for this purpose appointed and, if so, what were the names of its members and Chairman ?

(3) Who were the persons or parties to whom this quota was allotted in the State in the year

Page No.2

[redacted]

(श्री श्रीमानसिंह)

1958, 1959 and 1960 ? Please give their names and residential addresses.

(4) How many of these persons or parties were caught doing black-marketing in it at Madras-Ajmer-Akola and other places ?

(5) Has the State Trading Corporation blacklisted Rajasthan regarding milk powder and has stopped the State quota ?

(6) Has the Central Government written to the State Government to take action against those persons and parties caught selling the milk powder in blackmarket ? If yes, when and what action was taken by the Government ?

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचंद धारीवाल):

(1) The allotments made by the State Trading Corporation from its direct imports are as under:-

1958	100 tons
1959	317 tons
1960	Nil

(2) (a) The Government appointed six dealers in the State, two for Jaipur Division and one each for the other Divisions. The selected dealers were asked to deposit a security of Rs. 5,000 each to open depots. The dealers were asked to sell this milk powder @ 72 N.P. per lb in one Lb. bags of polythene to consumers only.

(b) There is no such Committee.

(3) The names of the firms to whom the skimmed milk powder was allotted are as under:-

1958-Messrs Barley Supplying Co., Alwar. (100 tons).

1959-(a) Jodhpur Division: (i,) Messrs Rajasthan United Importers, Sarafa Bazar, Jodhpur (30 tons).

(ii) Messrs Kishore Kumar & Co., Jaipur (30 tons).

(b) Bikaner Division

Shri Champalal Pediwal, C/o Laxmi Auto Stores, Station Road, Bikaner (30 tons).

(c) Ajmer District

Messrs Konar Enterprises, 64, Adarsh Nagar (30 tons).

(d) Jaipur Division

(i) Messrs Rajasthan General Supplies & Co., Jaipur (30 tons).

(ii) Messrs Evergreen Traders, Jaipur (31 tons).

(iii) Messrs Murlidhar Jhunjhunuwala (P) Ltd., Jaipur (31 tons).

(iv) Shri A. F. Siddiqui, Jaipur (15 tons).

Page No.3

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(e) Kota Division

Messrs Kishore Kumar & Co., Moti Doongri Road, Jaipur (30 tons).

(f) Churu & Ganganagar District

Messrs. Murlidhar Basant Lal, Sadulpur (30 tons).

(g) Udaipur Division

Messrs Murlidhar Jhunjhunuwala (P.) Ltd., Jaipur (30 tons).

Total : 317 tons.

(4) The following firms were caught for alleged black-marketing etc., in it at Bombay, Kota and Ajmer:-

(i) Messrs Champa Lal Pediwal, Bikaner : at Bombay.

(ii) Messrs Kishore Kumar & Co., Kota : at Kota.

(iii) Messrs Konar Enterprises, Ajmer : at Ajmer.

(5) No.

(6) No. The State Government is, however, taking necessary action in the matter against the defaulter firms. As regards Messrs Champalal Pediwal, whose quota of skimmed milk powder was seized by the police of Bombay and was released to this firm on account of the judgment of the High Court of Bombay. The case of Messrs Kishore Kumar & Co., Kota is still under investigation by the police of Kota. As regards the case of Messrs. Konar Enterprises, Ajmer, this firm was found guilty and their quota of skimmed milk powder was allotted to another local firm of Ajmer by the Collector, Ajmer.

श्री श्रीभानसिंह : Does this firm, Evergreen Traders, belong to Rajasthan ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : That is what my information says. Messrs Evergreen Traders of Jaipur were allotted 31 tons.

श्री श्रीभानसिंह : Where were Evergreen Traders caught black marketing, inside Rajasthan or outside Rajasthan ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I have already replied in part 4 that three firms were caught doing black marketing and action has been taken against them.

श्री श्रीभानसिंह : Should this House take it that the quota allotted to Messrs Evergreen Traders was distributed in Rajasthan ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It should be so presumed unless there is a

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

complaint to the contrary. So far as we know, there has been no complaint against this party.

प्रश्न संख्या ५८०

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५८१

श्री जयचन्द मोहिल।

(अनुपस्थित)

ट्रेन्ड मेट्रिक को ट्रेन्ड मिडल का वेतन मिलना

५८२. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या एडीशनल डाइरेक्टर, शिक्षा विभाग की आज्ञानुसार मिडल ग्रेड में चल रहे मेट्रीक्यूलेट्स को ४०–१–६० के बजाय ५०–४–६०–५–८० के ग्रेड में नियुक्त किया गया है ?

(ख) क्या इस योजना में वे अध्यापक भी आते हैं जो मेट्रिक हैं तथा ट्रेन्ड हैं लेकिन ट्रेन्ड मिडल का ही ग्रेड पा रहे हैं ?

(ग) यदि नहीं तो क्यों ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) समस्त अनट्रेन्ड मिडल ग्रेड की पोस्टें अनट्रेन्ड मेट्रिक ग्रेड की पोस्टों में दिनांक १–४–५६ से बदल दी गई हैं और उसी के अनुसार अन–ट्रेन्ड मिडल ग्रेड में काम करने वाले अध्यापकों को १–४–५६ से अनट्रेन्ड मेट्रिक ग्रेड दे दी गई है, बशर्ते कि ये मेट्रिक की योग्यता रखते हों।

(ख) और (ग), यह सत्य है। समस्त ट्रेन्ड मिडल ग्रेड की पोस्टों को मेट्रिक की ग्रेड में बदलने को कार्यवाही चालू है और जब यह मामला तय हो जावेगा तब ट्रेन्ड मिडल ग्रेड में कार्य करने वाले अध्यापकों को जो ट्रेन्ड मेट्रिक हैं यह ग्रेड दे दी जावेगी।

श्री दयाकृष्ण विजय : नहीं, लेकिन १–४–५६ को ग्रेड दिया गया है उनको, जो मेट्रिक हैं, लेकिन जो मिडल का ग्रेड पा रहा अनट्रेन्ड नहीं है, उनको दे दिया, पर जो ट्रेन्ड मेट्रिक हैं और मिडल ग्रेड पा रहा था पहले से, उनको आपने वह मिडल का ग्रेड नहीं दिया। तो मैं पूछ रहा हूँ उन पुराने वालों को क्यों नहीं दिया, जब कि नये को आपने दे दिया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पुराने–नये का प्रश्न नहीं था। प्रश्न यह था कि मिडल अनट्रेन्ड पोस्ट एबोलिश करके अनट्रेन्ड मेट्रिक में कनवर्ट कर दी। अब आगे से उनका पोस्टिंग इसी अनोलॉजी पर करना चाहते हैं। ट्रेन्ड मेट्रिकुलेट की ग्रेड ट्रेन्ड मेट्रिकुलेट को दी जाय, यह मामला अब विचाराधीन है।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह प्रश्न काफी समय से विचाराधीन है। मैं पूछता हूँ कि जो ट्रेन्ड मेट्रिक हैं और पहले से चले आये उनको आपने चान्स नहीं दिया और जो

(श्री दयाकृष्ण विजय)

अनट्रेन्ड हैं उनको मेट्रिक का ग्रेड दे दिया। पहले ट्रेन्ड मेट्रिक को नहीं देना और खाली क्वालिफिकेशन वालों को दे देना जो अनट्रेन्ड हैं, यह कैसे वाजिब है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ट्रेन्ड मिडल की स्ट्रेनथ अनट्रेन्ड मेट्रिक के बराबर ही है। पर आगे जाकर असर पड़ता है। तो जब यह बात ध्यान में आई तो इस बात को भी विचाराधीन ले लिया गया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का प्रश्न और है। ट्रेन्ड मेट्रिक को जो आपका ग्रेड है, वह जो आज ट्रेन्ड मेट्रिक हैं और अरसे से हैं उनको मेट्रिक ट्रेन्ड का नया ग्रेड दिया जावेगा क्या, यह पूछ रहे हैं ये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसमें सवाल दो हैं। जो अनट्रेन्ड मेट्रिक थे उनको अनट्रेन्ड मिडल ग्रेड दिया जाता है। जो ट्रेन्ड हैं उनको ट्रेन्ड मिडल ग्रेड दिया जाता है। अनट्रेन्ड मेट्रिक ग्रेड वालों की शुरुआत ५०) रु. माहवार से होती है। तो ऊपर के स्तर पर जाकर फर्क पड़ता है। अब यह बात हमारे ध्यान में आई कि उनको ट्रेन्ड मेट्रिक ग्रेड में परिवर्तित किया जाये, तो इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह कब से परिवर्तित किया जावेगा ? १-४-५६ से या अब से ? रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उनको वह ग्रेड देंगे या नहीं देंगे ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इसमें पोस्ट क्रियेट करने का सवाल है, उसको हम हर साल बढ़ाते जाते हैं जिससे यह अल्टीमेटली एक ग्रेड में आ जायेंगे।

श्री दयाकृष्ण विजय : इन लोगों को जिनको आज नुकसान हो रहा है उस ग्रेड में पहुँचने के लिए और दूसरे लोगों को १-४-५६ से दिया गया है उन लोगों को मिल जाता है, लेकिन इन लोगों को ग्रेड आज से देंगे जिस दिन से निर्णय करेंगे उस दिन से या १-४-५६ से देंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिस रोज से पोस्ट क्रियेट हो जायेगी तब से।

प्रश्न संख्या ५८३

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री रामधन।

नवीन योजनान्तर्गत तहसील दौसा में सड़क निर्माण

५८४. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) तहसील दौसा में नई योजना में मुख्य सड़कों में से बाइरोड कितनी निकाली जावेगी और वा कहां—कहां व कौन—कौन से ग्रामों में होकर गुजरेगी ?

(ख) कस्बा लवान में सड़क कब तक तैयार कराई जावेगी ?

Page No.6

(श्री रामधन)

(ग) क्या जयपुर-भरतपुर रोड पर ग्राम भन्डाना २८ मील पर से ग्राम खैरवाल तक २ मील का टुकड़ा तैयार कराने के सम्बन्ध में कोई दर्ख्वास्त सरकार के समक्ष आई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) इसका कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) यह सड़क किसी योजना में स्वीकृत नहीं है, अतः तैयार कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां, एप्रोच रोड होने के कारण कार्यवाही उचित नहीं थी ।

प्रश्न संख्या ५८५

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री सोहनलाल भटनागर ।

सलूम्बर व सराड़ा तहसीलों में जयसमन्द की रूण की भूमि के एलॉटीज से वसूल किया जाने वाला लगान

५८६. श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) उदयपुर जिले की सलूम्बर व सराड़ा तहसीलों में जयसमन्द की रूण की कितनी भूमि इस वर्ष अलॉट की गई ?

(ख) इन एलॉटीज़ से नकद में लगान लिया जायेगा अथवा जिन्स में ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) तहसील सलूम्बर में २१०८ बीघा एवं सराड़ा तहसील में २३६॥ बीघा भूमि अराजी तौर पर अलॉट की ।

(ख) जिन्स में ।

श्री सोहनलाल भटनागर : जिन्स में क्यों ली जायेगी जब कि ३० जनवरी, ६१ में अलॉटमेंट रूल्स निकले उसमें यह था कि हाइएस्ट रेट ली जायेगी और अगर वह नहीं है तो पास के एरिया की जो रेट होगी वह ली जायेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिन्स लगान से नकद लगान में परिवर्तन करने व जिन्स लगान की मेग्ज़िमम रेट के बारे में दफा १०३ व १०४ राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में प्रावधान है । सेटलमेंट की रेट्स जहां हैं वहां लगान सेटलमेंट से वसूल होता है चूंकि यह अनसेटिल्ड एरिया है और हर साल शिफ्टिंग कल्टीवेशन होने से रेट फिक्स नहीं है । पेटे की जमीनों को आरजी तौर पर काश्त करने के नियम हैं जिनमें अस्थाई रूप से अलॉटमेंट किये जाने का प्रावधान है । अलॉट की गई भूमि का लगान अलॉटीज़ से नकद में न लिया जाकर जिन्स में लिया जायेगा क्योंकि पेटे की जमीन के क्लासिंग कागज़ात बन्दोबस्त में दर्ज नहीं हैं ।

Page No.7

श्री सोहनलाल भटनागर: दफा १०३ व १०४ में प्रावधान है। अगर वहां पर रेट मुकर्रर नहीं है तो फिर पास के एरिया में जो लगान लिया जाता है उसी के माफिक क्यों नहीं लिया जाये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उस पर विचार कर लिया जायेगा, जैसा आपने सुझाव दिया है।

श्री अध्यक्ष : राव नारायणसिंह मसूदा।

विजय नगर में नई कपड़ा मिल को लाइसेन्स देने सम्बन्धी

५८०. श्री राव नारायणसिंह (मसूदा) : Will the Industries Minister be pleased to state :-

1. Since when the Textile Mills at Bijainagar have remained closed ?

2. Has the machinery of the Textile Mills been declared scrap ?

3. If so, what further action is the Government contemplating for granting a licence for a new Textile Mill in the town to relieve conditions of unemployment in the area ?

4. What is the policy of the Government in regard to priority in granting new licences for starting Textile Mills ?

5. Would it not be advisable for the Government to give priority to places where old Textile Mills have been closed ?

उद्योग मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : 1. The Bijainagar Textile Mills has been lying closed for more than four years.

2. Yes.

3. There being left no capacity for licencing new textile mills in the Second plan period the State Government are contemplating to take up this question with the Government of India in the Third Plan period.

4. Licences for the textile mills are granted by the Government of India. As a matter of fact, the Government of India are not granting any more new licences for textile mills in the Second Plan period for Rajasthan. However, new units in Rajasthan have been allowed against the capacity lying idle or scrap in the State.

5. The Government's accepted principle in regard to setting up new units is to give preference to those places where old textile mills have been closed. But since the mills are being set up in private sector, the final choice of the place lies with the industrialists.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Has the Government any technical machinery to examine and satisfy themselves that the machinery of an industry or mill is not workable and is scrap ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Bijainagar Mills was scrap and the decision was taken at the Government of India level. Three mills in Rajasthan were considered scrap and Bijainagar Mills was one of them.

श्री राव नारायणसिंह : How did the Government arrirve at that conclusion that the Bijainagar Mills was scrap and it could not be improved or made workable?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : This position has already been accepted by the company.

श्री श्रीभानसिंह : How far the Rajasthan Relief Undertakings Bill can help in taking over this Mills?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I think it will be futile to take over this Mills under that Bill because in the Third Five Year Plan we are expecting that a new unit may be set up at Bijainagar.

श्री नारायणसिंह : Is it possible that a labourers' co-operative should be formed there, aided by the Government subsidy and loan, to work that Mills?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : There was an application on behalf of a co-operative society for this, but we thought that it was not possible for the co-operative society to find so much capital to put up a modern mill at Bijainagar. Therefore, that proposition could not fructify.

श्री श्रीभानसिंह : यह जो मिल भवानी मण्डी में लगाने का है वह सैकण्ड फाइव इयर प्लान में है या थर्ड फाइव इयर प्लान में और वह नई मिल खुल रही है या पुरानी को रेनोवेट किया जा रहा है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह मैंने निवेदन किया कि विजयनगर टैक्सटाइल मिल के अलावा दूसरी मिल चालू करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। तीसरी योजना में राजस्थान को जो स्पिन्डल वगैरह मिले हैं उसके बारे में वे यहां पर भी लगें और किस तरह से उसका क्या हो सकता है, वह सारा अण्डर एग्ज़ामिशन है और वह कम्पनी भी कोशिश यह कर रही है कि किसी प्रकार से यह तीसरी योजना में चालू हो जाये।

श्री श्रीभानसिंह : क्या भवानीमण्डी में टैक्सटाइल मिल खोलने के लिए अभी तक प्लान्स फाइनेलाइज़ नहीं किये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : प्लान्स गवर्नमेंन्ट के फाइनेलाइज़ करने का प्रश्न नहीं है, वह तो पार्टी कर रही है और करीब-करीब प्लान उनके तैयार हो गये हैं।

श्री श्रीभानसिंह : समझ में नहीं आया आपने क्या कहा ? स्थिती क्या है ? क्या किसी प्राइवेट कम्पनी ने गवर्नमेन्ट से भवानीमण्डी में मिल खोलने के लिए मांग की है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वह तो लाइसेन्स भी दे दिया गया है। फाउन्डेशन भी

Page No.9

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

ले हो गई है भवानीमण्डी में, that has already been licenced by the Government of India. They have drawn up the plans and they are going to execute them.

श्री श्रीभानसिंह् : यह पार्टी कौनसी है जिसने प्लान्स फाइनेलाइज़ करके फाउन्डेशन ले किया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : That is under Sutlej Cotton Co. Ltd.

राव श्री नारायणसिंह् : Does the Government think that they will be in a position to grant a licence or give other facilities whereby a new mill can recommeding for a bicence.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : If there is any proposal certainly the Government would consider over the questioin of veom manging for a vicence.

श्री श्रीभानसिंह् : यह भवानीमण्डी में कितने स्पिन्डल्स की मिल खुलेगी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : भवानीमण्डी में करीब १४१०० स्पिन्डल्स की खुलेगी।

राव श्री नारायणसिंह् : Is the Government aware of any criteria, principles or instructions from the Central Government with regard to the granting of licence for setting up new mills or industries ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The State Government recommends on the basis of the sound proposals.

राव श्री नारायणसिंह् : Is there any criteria before the State Government to recommend such licences ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : There are so many criteria, the financial position and all other things and whether the party will be able to put up a particular undertaking.

श्री श्रीभानसिंह् : Has the State Government applied this 'financial soundness' criteri on in sanctioning or recommending spindles to the mills started at Bhawani Mandi and the mills started by Jhunjhunuwala ? What is the difference between the financial position of these two parties ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Both are of sound financial position.

श्री श्रीभानसिंह् : As Mr. Jhunjhunuwala has been granted more spindles, is his financial position stronger than the Sutlej Cotton Co. ?

श्री अध्यक्ष : There cannot be any such comparison, as to which is superior to the other.

श्री श्रीभानसिंह् : The Hon'ble Minister said that financial soundness was a criterian. Now Jhunjhunuwala

(श्री श्रीमानसिंह)

has taken a loan from the Government and even then he has been granted more spindles than the other party.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The information of the Hon'ble member is wrong. I can only say that both the parties are sound. Loans are taken even by those who have good financial position.

श्री श्रीमानसिंह : Well, I will stand corrected, if the Hon'ble Minister can tell me which is the better perty, Jhunjhunuwala or the party starting at Bhawani Mandi ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The Bhawani Mandi firm never applied for Bhilwara. So there is no question of any comparison between the two parties as to which is superior.

श्री श्रीमानसिंह : What criteria were kept by the Government in view when they recommended these spindles to both the parties ?

श्री अध्यक्ष : I don't think this is within the scope of this question.

श्री श्रीमानसिंह : I wanted to know this, Sir, that when he says that financial soundness was one of the criterian then why was one party recommended more spindles than the other ? Was it more sound financially ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Every party wanted more spindles. Now looking to the capacity of the scrap mills and looking to the over-all position the parties were recommended. The final decision lies with the Government of India and not with the State Government.

श्री श्रीमानसिंह : Then why equal number of spindles was not recommended to both the parties out of the total spindles allotted to the State ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : The position is that we have to consider what will be an economic unit at a particular place. The Government of India is also thinking to give more spindles, during the third Five Year Plan to these units.

श्री श्रीमानसिंह : Are you in a position to state before the House as to how many spindles were available with the Government which were allotted equally or unequally between these two parties ?

श्री अध्यक्ष : We cannot have a discussion on this. If the Hon'ble member wants to raise a discussion on this, he should give a separate notice.

राव श्री नारायणसिंह: While granting loan to the sugar industry at Bijainagar what was the criterion followed by the Government ?

Page No.11

श्री अध्यक्ष : That is a very big thing. You cannot discuss here the industrial policy of the Government.

प्रश्न संख्या ५८८

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५८६

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५६०

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

तहसील देवली व उनियारा में हिमपात फलस्वरूप हुई हानि के शमनार्थ प्रदत्त सहायता

५६१. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(क) क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट टोंक में तहसील देवली व उनियारा में माह जनवरी व फरवरी, १९६१ में हिमपात हुआ था ? अगर हां, तो कहां-कहां और किस कदर तथा क्या नुकसान हुआ ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त नुकसान का निरीक्षण करने तथा मूल्यांकन करने हेतु अभी तक कोई अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुँचा ? अगर पहुँचा, तो उसने कहां का क्या-क्या मूल्यांकन किया ?

(ग) क्या सरकार ने तात्कालिक सहायता का आदेश दिया है ? अगर हां, तो किन-किन को और क्या क्या ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। खेड़ला में तीन आने, उनियारा में ४ आने और पटोली में ६ आने का नुकसान हुआ।

(ग) कोई तात्कालिक सहायता नहीं दी गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं आपसे कहता हूँ कि इसकी जांच किसने की थी ? मौके पर कौन गया था ? जी हां, जी हां, कह दिया। कौन गया था आफिसर ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि तहसीलदार अलीगढ़, सदर कानूनगो, टोंक, पटवारी हल्का व सरपंच मूंडवा पंचायत के साथ में पटौली, बालता के मौकों पर देखा और जांच करने के बाद नुकसान दर्ज किया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि पटौला और बालता में ही नुकसान हुआ, और कहीं नुकसान नहीं हुआ ?

Page No.12

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां जहां नुकसान हुआ उसका नाम बतला दिया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कहां बतलाया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : खेड़ला में ३ आना, उनियारा में ४ आने और पटौली में ६ आना।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो क्या पाड़ला, दोबड़िया और पाटोदा में नुकसान नहीं हुआ ? उन्होंने तहसीलदार के पास दर्ख्वास्त पेश की थी ?

(कोई उत्तर नहीं)

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर) : कम नुकसान होने के क्या कारण हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप कौन से गांव के लिए पूछना चाहते हैं ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : पाड़ला, दोबड़िया, पाटोदा।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अभी नाम बतलाये थे। इसमें तीन आने से ६ आने के दरम्यान में नुकसान हुआ है। उसकी जांच गांववार की गई। उसके लिए मैंने जिन अफसरान के नाम बतलाये उन्होंने जांच की है और वह दर्ज की है। सरपंच को भी एसोशियेट किया गया है ? एक बात और है कि जिलाधीश, टोंक ने भी मौके पर जाकर जांच की है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसमें से आप जांच रहे हैं या अपनी मर्जी से कह रहे हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मिनिस्टर साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि न वहां पर तहसीलदार गया और कलेक्टर आये तो दो महीने के बाद आये। आप फरमा रहे हैं कि वहां गये इसका यह जवाब देंगे कि हमारे पास सूचना आई है उसके मुताबिक जवाब देता हूँ। उनका बेचारों का सियालू में नुकसान हो चुका है, उन्हालू में नुकसान हो चुका है; वे चिल्ला रहे हैं। कम से कम आप वहां के लिए उम्मीदवार होना चाहते हैं तो आपको तो वहां पर ध्यान देना चाहिए।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या गवर्नमेंट यह सोच रही है कि जो रिलीफ स्केल है वह रिलीफ स्केल पुराना है जिसकी वजह से राहत जो काश्तकारों को मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है, तो क्या रिलीफ स्केल को ८ आने से ६ आना चेन्ज करने का सोच रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रिलीफ स्केल पुराना नहीं है। अभी १९५७ में टीनेन्सी एक्ट के रूल्स के अन्दर दर्ज है।

श्री श्रीभानसिंह : क्या पुराने जमाने के अन्दर यह रिलीफ स्केल था कि आठ आने ऊपर नुकसान होता था उनको रिलीफ मिला करता था। आठ आने के अन्दर नुकसान होता था उनको रेवेन्यू को इस के अनुसार रिलीफ नहीं मिलता था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग-अलग जगह पर अलग-अलग कायदे थे।

श्री श्रीभानसिंह : कायदे जो अलग अलग जगह पर थे उनको इसलिए एक किया है कि उसका नतीजा यह हो कि रिलीफ स्केल इतना ऊंचा कर दें कि जिन लोगों को राहत मिलनी चाहिये उनको नहीं मिलती है। तो क्या आप ६ आने का जिनका नुकसान हुआ है उस दर का नीचा करके उनको राहत पहुंचाना चाहते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह रिलीफ स्केल जो कायम किया गया है वह तमाम स्टेटों के अन्दर अलग अलग जगह क्या है उसको ध्यान में रख कर किया गया है, बाहर की स्टेटों को इन्टीग्रेटिंग यूनिट्स में भी जो स्केल थीं उनका ध्यान रखा गया है। उसको देखकर काफी लिबरल बनाये गये हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रिलीफ स्केल कम हो, बल्कि जिस काश्तकार को वाकई नुकसान पहुँचता है उसको रिलीफ मिलती है ?

राणकपुर (उदयपुर) सड़क का निर्माण

५६२. **श्री लक्ष्मण होरात** (गोगुन्दा-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) उदयपुर जिले की राणकपुर सड़क का ठेका किस व्यक्ति को दिया गया है और इस कार्य की क्या प्रगति है ?

(ख) यह सड़क कब तक पूरी बन कर तैयार हो जायगी ?

(ग) ठेकेदार को किन किन शर्तों पर ठेका दिया गया है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (क) लेबर कॉन्ट्रेक्ट कोऑपरेटिव समिति को मील ८॥ से ९॥ तक लगभग ८० फी सदी कार्य हो चुका है।

(ख) अभी कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(ग) निर्माण विभाग की स्टेन्डर्ड ठेके की शर्तों (स्टेण्डर्ड फार्म ऑफ कॉन्ट्रेक्ट एग्रीमेंट) के अनुसार ७५,०००) रु० का कार्य दस माह में करने की शर्त पर।

श्री लक्ष्मण होरात : क्या यह रोड दूसरे प्लान में खत्म हो जायगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : अगर पैसा मिल गया तो खत्म हो जायगी।

प्रश्न संख्या ५६३

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५६४

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

तहसील कोटपूतली के व्यक्तियों की पूला पानी के ठेके के निमित जमा रकम

५६४. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली): क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) तहसील कोटपूतली के कितने व्यक्तियों की रकम पूला पानी के ठेका के सिलसिले में जमा है ?

Page No.14

(श्री रामकरणसिंह)

(२) क्या यह सही है कि कुछ रकम तो दिनांक १०-१२-५६ से जमा है तथा काफी कोशिश के बाद भी वापिस नहीं लौटाई गई ?

(३) यदि हां, तो इस देरी का क्या कारण है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) व्यक्ति की रकम जमा हुई है।

(२) दिनांक १०-१२-५६ से कोई रकम जमा नहीं है।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रान्त को भाखरा व चम्बल प्रदत्त बिजली

५६५. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भाखरा व चम्बल के हिस्से की कितनी बिजली इस वर्ष राजस्थान को मिली है ? इस उपलब्ध बिजली में से कितनी खर्च की जा रही है ? भाखरा व चम्बल की बिजली किस दर से उपभोक्ताओं को व व्यवसाय के लिये दी जा रही है ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : भाखरा से ४६०० किलोवाट और चम्बल से २०,००० किलोवाट। भाखरा से मिलने वाली बिजली करीब २ पूरी का और चम्बल से लगभग २०० किलोवाट का उपयोग हो रहा है। भाखरा की बिजली की दर की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। चम्बल की बिजली की दर की सूची अभी विचाराधीन है और उस एरिया में अभी पुरानी दर से ही बिल बन रहे हैं।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सोहनलाल भटनागर : ओरीजिनल प्रोजेक्ट के अन्दर जितनी अपने हिस्से में मिलनी चाहिए उतनी ही मिलती है या कम ?

श्री हरिश्चन्द्र : कौन से प्रोजेक्ट का पूछ रहे हैं ?

श्री सोहनलाल भटनागर : दोनों ही प्रोजेक्टों का।

श्री हरिश्चन्द्र : भाखरा से ४६०० मिली है वह पूरी है और चम्बल से कम मिल रही है क्योंकि उसका जो यूटीलाइजेशन है, वह कमजोर है।

श्री सोहनलाल भटनागर : चम्बल की बिजली की अवेलेबिलिटी और यूटिलाइजेशन में इतना अन्तर क्यों है ? जब कि २०,००० किलोवाट मिलों का है तो केवल २००० ही यूटिलाइजेशन क्यों हो रही है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह तो बड़ा लम्बा प्रश्न है। मैं इसके बारे में यह कह सकता हूँ कि टॉवर्स की पोजीशन जैसी कि आपको मालूम है कि सवाई माधोपुर और जयपुर के बीच में टॉवर्स खड़े हैं उनका स्ट्रिंगिंग हो गई है ; इधर कोटा से सवाई माधोपुर तक टॉवर्स का इरेक्शन हो गया है, लेकिन ट्रान्सफॉर्मर्स की कमी है। As soon as transformers are ready utilisation will take place.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : मध्य प्रदेश में जो बिजली चंबल से मिल रही है क्या उसकी नयी रेट मध्यप्रदेश ने निर्धारित की है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मध्यप्रदेश ने टेम्पोरेरी टेरिफ लागू किया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि ट्रान्सफोर्मर्स टॉवर्स वगरह पहले सवाई माधोर से जयपुर लाने के बजाय सवाई माधोपुर से कोटा लगाये जाते तो ज्यादा कंजम्पशन हो सकता था ?

श्री हरिश्चन्द्र : जब तक ट्रान्सफोर्मर्स सवाई माधोपुर में नहीं लग जाते तब तक खाली बिजली के खंभे लगाने से कुछ होता नहीं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब मध्यप्रदेश में रेट निश्चित हो चुकी है तो उसी रेट से यहां बिजली क्यों नहीं दी जाती ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह विचाराधीन

श्री दयाकृष्ण विजय : विचाराधीन तो काफी समय तक रहेगा तो क्या इतने समय तक कन्ज्यूमर्स से जो रेट ली जायगी उसका रिफन्ड मिल जायगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : माननीय सदस्य को शायद मालूम नहीं होगा कि कोटा में टरबाइन्स, झालावाड़ में डिजल ऑयल सैट्स और बूंदी में डिजल ऑयल सैट्स चल रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या बिजली के खंभे, टॉवर्स लग रहे ? हैं

श्री हरिश्चन्द्र : लगने की कार्यवाही चल रही है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : खंभे टॉवर्स आदि कोटा से सवाई माधोपुर तक लग जाने से भी ट्रान्सफोर्मर्स जब तक नहीं लग जाते तब तक क्या उनका कोई उपयोग नहीं है ?

श्री हरिश्चन्द्र : लगाने का काम चालू है ।

भूतपूर्व राज्यों के कोर्ट ऑफ वार्ड्स के सेवा-काल का क्वालिफाइंग सर्विस में सम्मिलन

५६६. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि भूतपूर्व जयपुर राज्य के कोर्ट ऑफ वार्ड्स की सेवाकाल को पेन्शन प्राप्ति के उद्देश्य हेतु क्वालिफाइंग सर्विस में शुमार कर लिया गया है ? अगर हां, तो भूतपूर्व अजमेर, बीकानेर, जोधपुर आदि राज्यों के कोर्ट ऑफ वार्ड्स के सेवाकाल को ऐसे कर्मचारियों की पेन्शन देने के उद्देश्य हेतु क्वालिफाइंग सर्विस में शुमार किया जाता है या नहीं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : जी, हां, यह सही है कि भूतपूर्व जयपुर राज्य के कोर्ट ऑफ वाडस का ऐसा स्टाफ जो सुपरविजन स्टाफ में था एवं

Page No.16

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कन्सोलिडेटेड फन्ड से वेतन मिलता था, उनके सेवाकाल को पेन्शन प्राप्ति के उद्देश्य हेतु क्वालिफाइंग सर्विस में शुमार कर लिया गया है। भूतपूर्व बीकानेर, अजमेर, जोधपुर आदि राज्यों के ऐसे कोर्ट ऑफ वार्ड्स के कर्मचारियों का सेवाकाल भी पेंशन देने हेतु क्वालिफाइंग सर्विस में शुमार किया जाता है ।

मकराना में सरकारी एजेन्सी मुकर्रर करने की अपेक्षा

५६७. **श्रीमती सतवन्त कौर** (श्रीकरणपुर) : क्या खनिज मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

क्या सरकार मकराना में कोई ऐसी सरकारी एजेन्सी मुकर्रर करने का विचार रखती है, जिसके द्वारा संगमरमर के ग्राहकों को सुविधा से पत्थर मिल सके ?

खनिज मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : जी नहीं ।

श्रीमती सतवन्त कौर : क्या यह सही है कि पत्थर खरीदने वाले ग्राहकों को बड़ी दिक्कत होती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं ।

राजस्व बोर्ड द्वारा संचालित रेवेन्यू एजेन्ट परीक्षा में अवरोध

५६८. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि राजस्व बोर्ड, राजस्थान द्वारा संचालित रेवेन्यू एजेन्ट परीक्षा जो ८ फरवरी, ६१ को शुरू हुई थी, ६ फरवरी ६१ को बन्द कर दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) अब यह परीक्षा कब होगी ? परीक्षा बन्द होने के कारणों के लिए कौन २ जिम्मेदार हैं ? क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ?

(३) उक्त परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुए थे ? क्या उन्हें परीक्षा की अगली तारीखों की सूचना समय पर दे दी गयी है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां, प्रश्नपत्रों के आउट होने के कारण परीक्षा बन्द कर दी गई ।

(२) अभी तारीख निश्चित नहीं हुई है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को यह केस दिया गया है जहां कार्यवाही चल रही है ।

(३) २७ परीक्षार्थियों को प्रवेश-पत्र भेजे गये थे । अगली तारीखों की सूचना भेजने का अभी प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अभी कोई तिथि निश्चित नहीं हुई है ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या मंत्रीजी यह बताने की स्थिति में हैं कि पर्चे आउट कैसे हुए थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी मामला जेर तहकीकात है इसलिये नहीं बता सकता कि किस वजह से आउट हुए ।

डॉ० चन्द्रकला : कब तक मामला निर्णीत हो जायगा और इसकी सूचना मिल जायगी कि परीक्षा फलां तारीख को होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी तक मामला जेर तहकीकात है, उसके बाद दोषी आदमियों का चालान होगा, फिर मुकदमा चलाया जायगा और फिर सजा होगी। एक तरफ तो यह कार्यवाही चल रही है और दूसरी तरफ परीक्षार्थियों के लिये अगली परीक्षाओं की तारीख शीघ्र ही निश्चित कर दी जायगी।

डॉ० चन्द्रकला : जो परीक्षा पर्चे आउट हो जाने से स्थगित हो चुकी है उसको दुबारा लेने की क्या कार्यवाही चल रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप मेरा जवाब सुनती तो प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने यह कहा था कि एक तरफ तो तहकीकात आदि की कार्यवाही हो रही है और दूसरी तरफ तारीख निश्चित करने की कार्यवाही चल रही है।

डॉ० चन्द्रकला : जब बोर्ड में पर्चे आउट हुए थे तब दूसरे ही दिन अगली तारीख निश्चित हो गई थी। लेकिन यहां अब तक तारीख निश्चित नहीं होने के क्या कारण हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नये पेपर्स तैयार करवाना, फिर सूचना देना, नोटिफिके-शन निकालना आदि इस तरह के बहुत से कारण हैं।

डॉ० चन्द्रकला : यह जो पर्टिक्युलर परीक्षा है उसमें कार्यवाही करने में कितने दिन लगते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जल्दी हो रही है।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि पेपर्स आउट होने से परीक्षा रुकती है और विद्यार्थी दो–चार दिन ठहर कर चले गये; आखिर कब तक इन्तजार की जाय, परीक्षाओं के लिये महीनों थोड़े ही लगते हैं, शीघ्र ही डेट तय होनी चाहिये।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

५६६. श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर) : क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देंगे :

(१) क्या राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग ने अन्तिम रूप से पास कर दी है ?

(२) यदि हां, तो यह योजना कितने रुपये की होगी व विभिन्न क्षेत्रों (सैक्टर्स) के लिये कितनी कितनी धनराशि रखी गई है ?

(३) तृतीय पंचवर्षीय योजना की कुल धनराशि में से कितनी धनराशि राजस्थान राज्य को स्वयं उपलब्ध करनी पड़ेगी ?

योजना मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हां।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(२) योजना आयोग ने राजस्थान की तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये २३६ करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। इसके विभिन्न क्षेत्रों में वितरण की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) उक्त धनराशि में से ८० करोड़ रुपये की धनराशि राज्य सरकार को स्वयं जुटानी होगी।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या राजस्थान कैनाल इर्रिगेशन सैक्टर में इन्क्लूडेड है या सैपरेट है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : राजस्थान केनाल इर्रिगेशन सैक्टर में इन्क्लू की गई है।

तहसील सरवाड़ में नम्बरदारों की नियुक्तियां

६००. **रावल श्री नरेन्द्रसिंह** (दूदू) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि अजमेर जिला, तहसील सरवाड़ में अभी तक नम्बरदारों की नियुक्तियां नहीं हुई हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(ख) क्या यह सही है कि नम्बरदारों के अभाव में पटवारियों को राजस्व वसूली में काफी अड़चनें आ रही हैं ?

(ग) क्या सरकार वहां नम्बरदारों की नियुक्तियां करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसे कार्य रूप कब दिया जावेगा ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी हां, एक कारण यह है कि जो व्यक्ति नम्बरदार बनना चाहते हैं उनकी ओर से तकमील कराने में शिथिलता है। दूसरा कारण यह है कि तहसील सरवाड़ की ओर से उनके यहां पंचायत चुनाव, जन-गणना व पशु गणना का कार्य होने से कूत करने की तकमील में देरी हुई।

(ख) यह सही है कि नम्बरदारों के अभाव में पटवारियों को राजस्व वसूली में कुछ अड़चन आ रही है।

(ग) जी हां। कार्यवाही जारी है। अब जल्दी ही नम्बरदारों की नियुक्तियां की जावेंगी।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : कितने टाइम में होने की संभावना है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि तकमील पूरी हो जाय, जल्दी जितनी हो सकती है हो रही है।

कस्बा बामनवास से लिवाली तक सड़क निर्माण

६०१. **श्री पृथ्वीराज पटेल** (गंगापुर सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि कस्बा बामन-वास से लिवाली (जिला सवाई माधोपुर)

(श्री पृथ्वीराज पटेल)

तक सड़क बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ?

(२) सरकार अब कब तक इस महत्व-पूर्ण व्यापारिक क्षेत्र में सड़क बनवाने का विचार रखती है ?

सार्वजीनक निर्माण मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(२) यह सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत नहीं है तथा भविष्य में एप्रोच रोड्स का निर्माण पंचायत समिति का विषय है।

बांसवाड़ा जिले के अभावग्रस्त क्षेत्र को राहत कार्य

६०२. **श्री मोगजी भाई** (बांसवाड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले को अभावग्रस्त क्षेत्र सरकार ने घोषित किया है ? यदि हां, तो क्या उन समस्त अभावग्रस्त गांवों के किसानों से लगान वसूली स्थगित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि सरकार ने एक राहत कमेटी जिला स्तर पर कायम की है? यदि हां, तो इस कमेटी के द्वारा दिये गये सुझावों पर सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा सदर तहसील के तहसीलदार द्वारा पटवारियान की गश्त गिरदावरी के रेकॉर्ड तब्दील कर दिये जाने की शिकायत सरकार के पास आई है ? यदि हां, तो क्या अब तक उक्त शिकायत के सम्बन्ध में कोई कदम उठाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) हां। बांसवाड़ा जिले की निम्नलिखित तहसीलों को अभाव ग्रस्त घोषित किया है :—

तहसील कुशलगढ़, बागीडोरा, घाटोल और गढ़ी।

अभावग्रस्त गांवों में लगान की वसूली स्थगित कर दी गई है। पहले पूरे लगान की वसूली स्थगित नहीं की गई थी परन्तु अब पूरे लगान की वसूली स्थगित करने के आदेश कलेक्टर महोदय ने जारी कर दिये हैं।

(ख) जी हां, इस कमेटी द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार ही राहत कार्य किए गए हैं।

(ग) नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मोगजी भाई : क्या यह सही है कि इस क्षेत्र को अकाल ग्रस्त घोषित करने के बाद भी लगान की वसूली जारी रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इसका जवाब दे चुका हूँ।

श्री मोगजी भाई : अध्यक्ष महोदय, जिन गांवों को अकालग्रस्त घोषित किया गया

Page No.20

(श्री मोगजीभाई)

है, उन गांवों में इसके बाद भी लगान की वसूली जारी रही है। दूसरी बात आपने (ख) के जवाब में बताई कि राहत कमेटी बनाई गई थी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह कमेटी कब बनाई गई थी और इसके कौन कौन सदस्य हैं, यह बता दीजिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो कमेटी बनी थी वह फेमिन-कोड की तहत बनी थी और उसके अनुसार जिन जिन लोगों को मेम्बर होना चाहिये था वे लोग इसके मेम्बर थे, जैसे एम. एल. एज, जिला प्रधान हैं कुछ लोग और हैं। मैं पूरा ब्यौरा तो नहीं बता सकता कि कौन कौन मेम्बर्स हैं, लेकिन जिलाधीश, उप-जिलाधीश, अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई विभाग, सहायक पंजीयक, सहकारी विभाग, वन अधिकारी, लोक सभा और विधान सभा के सदस्य, दो गैर सरकारी सदस्य, प्रतिनिधि भारत सेवक समाज, इनकी कमेटी कायम की गई है।

श्री मोगजी भाई: जब फेमिन डिक्लेअर किया गया उस वक्त, यानी कलेक्टर का आदेश जारी हुआ यदि लगान वसूल किया है तो क्या वह वापिस दिया जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यदि वह रेमिशन की हद में आयेगा तो रिफंड किया जावेगा।

श्री मोगजी भाई: कमेटी कायम होने के बाद और कमेटी द्वारा सुझाव देने के बाद भी लगान की वसूली जारी रही। आपने फर्माया, कलेक्टर ने आदेश दिया उसके बाद भी वसूली जारी रही ?

श्री अध्यक्ष : पहले सारे लगान की वसूली स्थगित नहीं की थी कुछ ही क्षेत्र की स्थगित की थी, अब सारे की कर दी गई है।

श्री मोगजी भाई: जिनसे लगान वसूल कर लिया है क्या उनको वापिस दिया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have already repled.

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

श्री मोगजी भाई : दूसरे यह बताया 'ग' में, बांसवाड़ा के तहसीलदार का सवाल है, उन तहसीलदार ने अभाव ग्रस्त घोषित किया, उन्होंने उस तहसील में दौरा किया था या नहीं ? उसके बारे में है कि तहसीलदार ने दौरा किया, पटवारी की रिपोर्ट थी उसमें तब्दीली की गई। वहां जो दानपुर गिरदावर सर्किल है, उसका पटवारी का रिकॉर्ड है, उसके बारे में इन्कार कर दिया, कुछ नहीं है। उसके बारे में क्या एक्शन लेंगे, यह बतायेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सवाल क्या है, मैं समझा नहीं, लम्बी बात कह दी। पटवारी ने दौरा किया, पटवारी ने रिपोर्ट बनाई है....

श्री अध्यक्ष : गिरदावरी रेकॉर्ड में तब्दीली।

श्री दामोदरलाल व्यास : गिरदावरी में तब्दीली कर सकते हैं। उन्होंने जांच की और वह दर्ज कर दी। उसमें एक्शन लेने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री मोगजी भाई : गश्त गिरदावरी हो जाने के बाद कब दौरा किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तारीख मेरे पास नहीं है। तहसीलदार, एस. डी. ओ. और कलेक्टर ने दौरा किया है, यह मैं आपकी जानकारी के लिए बता सकता हूँ।

श्री मोगजी भाई : क्या यह सही है कि दौरा करके पटवारी के रिकार्ड में तब्दीली की है, इसलिए उन्हें राहत नहीं मिल सकी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तब्दीली हो सकती है, तब्दीली आवश्यक होगी तब ही की होगी। पटवारी ने जो दर्ज किया है वह कम होगा तो उसको ज्यादा किया होगा। ज्यादा होगा तो उसको कम किया होगा। यह अधिकार है उनका।

श्री मोगजी भाई: अध्यक्ष महोदय, जब फसल कट गई, फसल नहीं है, दो महीने में कर दिया गया; कैसे माना जाय कि वह सही है या गलत है। उन्होंने अधिकार का उपयोग नहीं किया, जान-बूझ कर किया है अन्याय।

श्री अध्यक्ष : श्री किशनाराम।

तहसील रतनगढ़ में विकास खण्ड खोलने की मांग

६०३. **श्री किशनाराम** (रतनगढ़) : क्या विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :–

(१) राजस्थान में कहां कहां पर विकास खण्ड खुले हुए हैं तथा वे किन किन आधारों पर खोले जाते हैं ? –

(२) चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील में अभी तक विकास खण्ड न खोलने का क्या कारण है तथा अब कब तक खोल दिया जावेगा ?

उप मंत्री विकास (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। विकास खण्ड खोलने के आधार इस प्रकार हैं :—

१. ऐसे क्षेत्र जहां कृषि-उत्पादन बढ़ाने के ज्यादा साधन हों।

२. ऐसे क्षेत्र जहां स्वावलम्बन की भावना ज्यादा जागृत हो।

३. ऐसे क्षेत्र जो बहुत पिछड़े हुए हों अथवा दूसरे विकास खण्ड से मिले हुए हों।

इनके अलावा जिला परिषद् की सिफारिश का भी ध्यान रखा जाता है।

(२) जिला परिषद् द्वारा सिफारिश नहीं की गई थी। सन् १९६३ तक इस तहसील में भी विकास–खण्ड खोलने की योजना है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री किशनाराम : 'क' में उत्तर दिया आपने कि ऐसी तीन शर्तें हैं, ऐसे क्षेत्र जहां कृषि उत्पादन बढ़ाने के ज्यादा साधन हों। जो तीन विकास खण्ड चूरू जिले में हैं उनमें से कौन कौन से विकास खण्डों में कृषि-साधन ज्यादा पाये गये ?

श्री अध्यक्ष : वह एक क्राइटेरिया है। वैसे तीन-चार बातें बतलाई, उनको ध्यान में रख कर करते हैं।

श्री किशनाराम : तीनों बातें काल्पनिक हैं।

श्री अध्यक्ष : जिला परिषद् की सिफारिश का ध्यान रखा जाता है।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : वह भी काल्पनिक है।

श्री किशनाराम : क्या अगर जिला परिषद् अपनी सिफारिश कर दे तो अगले साल खुल जायगा ?

श्री अध्यक्ष : वहां तो कोशिश करो आप।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह।

कस्बा नौहर में उद्योग विभाग द्वारा चिनिया मिट्टी के खिलौने, टी-सेट आदि का निर्माण-कार्य किया जाना

६०४ **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि कस्बा नौहर (जिला गंगानगर) में उद्योग विभाग की ओर से चिनिया मिट्टी के खिलौने, टी-सेट आदि बनाये जाते थे ?

(ख) क्या यह सही है कि विभाग ने यह कार्य अब बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों और कब ?

(ग) यह कार्य बन्द करते समय कितने कर्मचारी कार्य कर रहे थे ?

(घ) इन कर्मचारियों को कहां कहां एब्जोर्ब किया गया है तथा विभाग बन्द करने के पश्चात् इन कर्मचारियों को किस किस मास की तनख्वाह कब कब चुकाई गई ? इसमें यदि विलम्ब हुआ है, तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल): (क) जी हां।

(ख) जी हां, चूंकि यह सेन्टर 'नो प्रोफिट नो लॉस' के आधार पर चलाया जाने को था किन्तु इसमें हानि हुई, इसलिए इसको दिनांक ३१-३-६० से बन्द कर दिया गया।

(ग) ५ कर्मचारी।

(घ) इसमें से एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को माप तोल स्कीम में एब्जोर्ब कर लिया गया है। बाकी चार को एब्जोर्ब नहीं किया गया। अप्रेल १९६० के बाद इनको कोई वेतन नहीं दिया गया। जांच करने के पश्चात् ज्ञात हुआ कि संचालय ने इन लोगों को इस आशा पर रोके रखा कि यह सेन्टर बीकानेर में चलाया जाये परन्तु यह अनधिकृत था जब कि सेन्टर को ३१-३-६० से बन्द करने की आज्ञा दी जा चुकी थी। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह: इन्हें एब्जोर्ब किया जायगा या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : वह देख लेंगे, उनके एब्जोर्ब करने का जहां तक सम्बन्ध है, सारी कार्यवाही विचाराधीन है कि कैसे क्या होगा।

श्री भैरोंसिंह ; जब तक एब्जोर्ब नहीं किया जाता है, इन्हें सरप्लस में शुमार किया जायगा ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया है कि सारी कार्यवाही विचाराधीन है क्योंकि सेन्टर बन्द करने के ऑर्डर्स दे दिये गये हैं, उसके बाद बीकानेर में शिफ्ट करने की बातचीत हुई। किस तरह से क्या होना है, उसकी कार्यवाही हो जायगी तब सही मालूम होगा।

श्री भैरोंसिंह : आज कर्मचारी किस पोजीशन में हैं, सरकारी सर्वेन्ट हैं, या टर्मिनेट कर दिये हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवल : मैंने निवेदन कर दिया है जवाब में, यह सारी कार्यवाही विचाराधीन है। उसकी क्या स्थिति आती है, यह बाद में बतला सकूंगा।

श्री भैरोंसिंह : एब्जोर्ब करने का प्रश्न विचाराधीन है। कर्मचारियों की आज की पोजीशन क्या है, गवर्नमेंट सर्विस में हैं या नहीं ? गवर्नमेंट सर्विस में है तो क्या उन्हें सरप्लस डिक्लेअर किया गया है, किस पोजीशन में हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीलल : सारी बातें जितनी अर्ज की हैं सब विचाराधीन है।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : वे गवर्नमेंट सर्वेन्ट हैं, यह विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह : वे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं या नहीं, यह स्पष्ट कर दीजिये ?

श्री चन्दनमल वैद : विचाराधीन है।

श्री पी०के० चौधरी (फुलेरा) : whe ther his services have been terminated or not ?

श्री चन्दनमल वैद : विचाराधीन है।

श्री जर्नादनराय नागर (मावली) : विचाराधीन हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद-माथुर।

टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, अजमेर में शिक्षा का माध्यम

६०५. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर): क्या मन्त्री, शिक्षा विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, अजमेर में गत सैशन में ८० प्रतिशत विद्यार्थियों का परीक्षा का माध्यम हिन्दी भाषा था ?

(२) क्या यह सही है कि ऐसा होने पर भी वहां पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि वहां के विद्यार्थियों का बहुमत जो है उनकी भाषा हिन्दी है ?

Page No.24

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पहले आपने ८० प्रतिशत पूछा, मैंने ना कर दिया, अब आप बहुमत की बात करते हैं....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपने दूसरे का उत्तर दिया है कि उनका माध्यम अंग्रेजी नहीं है। क्या यह सही है कि अंग्रेजी माध्यम नहीं है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अंग्रेजी है माध्यम।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अंग्रेजी माध्यम है,तो मेरा प्रश्न यह है कि विद्यार्थियों का बहुमत है, उनकी भाषा अंग्रेजी नहीं है, हिन्दी है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अंग्रेजी सब जानते हैं, हिन्दी बहुत से नहीं जानते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : बहुमत हिन्दी जानने वालों का है। हिन्दी जानने वाले सब नहीं हैं, यह क्या बहुमत नहीं है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : बहुमत के आधार पर आपके अनुसार यह कर दिया जाय कि हिन्दी बहुमत से जानते हैं, उन पर भी हिन्दी थोप दी जाय, जो नहीं जानते हैं। अंग्रेजी सब जानते हैं, हिन्दी सब नहीं जानते हैं, इसमें व्यवहारिक कठिनाई है, इसलिए यूनीवर्सिटी ने अंग्रेजी माध्यम रखा है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि प्रिन्सिपल और अध्यापक हैं वे हिन्दी नहीं समझते हैं, उनको सुविधा के लिए अंग्रेजी को रख रखा है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह यूनीवर्सिटी ने किया है, न कि प्रिन्सिपल और अध्यापकों ने।

श्री अध्यक्ष : ६०६।

झालावाड़ जिले में कृषि योग्य भूमि का कृषि कार्य हेतु ही वितरण

६०६. **श्री रामचन्द्र** (डग-सु.) : क्या राजस्व मन्त्री, निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या झालावाड़ जिले में ऐसी भी कृषि योग्य छोटी छोटी भूमियां हैं जिनको सरकार कृषि उत्पादन के लिए न देकर केवल उनकी घास की पैदावार को सालाना नीलाम कर देती है ? प्रत्येक तहसील में कितनी कितनी भूमियां इस प्रकार की हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) सन् १९५९-६० में ऐसी कुल कितने क्षेत्रफल की भूमियों की घास की पैदावार से कितनी आमदनी हुई ?

(३) क्या सरकार इन कृषि योग्य भूमियों को कृषि के लिये ही देने का विचार रखती है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सन् १९५९-६० में राजस्व विभाग को ४,३७२) रुपये तथा वन विभाग को ३१,८३८) रु० की आमदनी हुई।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(३) फॉरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिश के अनुसार १०० एकड़ तक के बीड़ की भूमि पंचायतों द्वारा प्लान्टेशन अथवा फार्म्स स्थापित करने के लिये भूमिहीन किसानों को आवंटन किये जाने के आदेश प्रचलित कर दिये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग के मातहत १६४१ बीघा है, उसके मन्त्री महोदय ने फर्माया कि यह कृषि योग्य भूमि है, यह अलॉट की जा सकती है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या ?

श्री रामचन्द्र : १६४१ बीघा राजस्व विभाग की तहसील के अन्दर में है, वह अलॉट की जा सकती है या नहीं, जो अब तक घास उगाने के काम में आ रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि बीड़ जितनी भी हैं, उनमें १०० एकड़ तक के बीड़ को रिलीज़ करने का ऑर्डर हो चुका है। दूसरी बात यह है कि फॉरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को गवर्नमेंट ने मन्जूर कर लिया है, उसने निर्णय लिया है कि कौनसी जमीन फॉरेस्ट में दी जाय, कौनसी जमीन रेवेन्यू में दी जाय। उसके निर्णय के लिए जिला स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर अलग अलग कमेटीज़ मुकर्रर कर दी हैं। वह निर्णय ले लिया है। जो रेवेन्यू लैन्ड है, जो काबिले काश्त है, जिसमें काश्त हो सकती है, उसका ऑर्डर आम तौर पर जारी होता है। ऑर्डर जारी हो सकता है।

श्री रामचन्द्र : ऑर्डर आप जारी कर देंगे, क्या मैं यह समझूं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया, ऑर्डर कर रखे हैं, रेवेन्यू लैन्ड पर अलॉटमेंट करने हैं....

श्री रामचन्द्र : क्या मैं यह समझूं कि काश्तकार दर्ख्वास्त दें तो उनको अलॉटमेंट हो जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सिवाय फोरेस्ट की जमीन के जमीन अलॉट की जायगी।

श्री रामचन्द्र : फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी के निर्णय के अनुसार १०० एकड़ से कम की बीड़ की जमीन कोऑपरेटिव फार्म्स के लिए और प्लान्टेशन के लिए दी जायगी। अगर कोई फार्मिंग की कोऑपरेटिव सोसाइटी बना कर जमीन लेना चाहे तो सरकार जमीन देगी या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए नियम बना रखे हैं कि पंचायत समिति में कितने कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी बनाने की इजाजत दी जायगी उसके अन्दर में यह गवर्न होगा।

श्री रामचन्द्र : मेरा निवेदन यह है कि यह जमीन उन लोगों को दी जा सकती है जो कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी बनाने के लिए राजी हो जायं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर रहा हूं कि नियम बने हुए हैं। यह स्पेसिफाइड नहीं है कि अमुक जमीन दी

Page No.26

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जाय । एक पंचायत समिति में दो को-ऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी बनाने का निश्चय किया है, उसके आधार पर जहां नहीं है, जो कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी लैंड-लैस पर्सन्स बनायेंगे तो जरूर जमीन दी जायगी ।

श्री रामचन्द्र : यह मेरा प्रश्न था ।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्र कला ।

रेजीडेन्सी स्कूल, जयपुर व बेसिक स्कूल हथरोई का एकीकरण

६०७. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री न म्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि रेजीडेन्सी स्कूल, जयपुर व बेसिक स्कूल हथरोई एक ही स्थान पर एक ही मकान में चलते हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(२) दोनों स्कूलों की कक्षावार छात्र संख्या, शिक्षक संख्या तथा सालाना बजट कितना है ?

(३) इस प्रकार दोहरा खर्च करके एक ही मकान में दो—दो स्कूल क्यों चलाये जाते हैं ?

(४) क्या सरकार इन दोनों स्कूलों का एकीकरण करके इसे बढ़ा कर मिडल स्कूल करने का विचार रखती है ?

(५) क्या यह सच है कि यह स्कूल एक अत्यन्त चालू सड़क के किनारे है और स्कूल के घेरे के लिए कोई दीवार अथवा तार खींचा हुआ नहीं है, जिससे बच्चों के दुर्घटना-ग्रस्त होने का खतरा रहता है ?

(६) यदि हां, तो क्या स्कूल और सड़क के बीच में दीवार बनाने या तार खींचने की व्यवस्था करने का सरकार विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) दिनांक २५-२-१९५६ से रेंजीडेन्सी स्कूल, जयपुर व बेसिक स्कूल, हथरोई की पाठशालाएं एक ही भवन में चल रही हैं ।

(२) दोनों पाठशालाओं की छात्र संख्या एवं शिक्षक संख्या निम्न प्रकार हैं :

नाम स्कूल	कक्षा						कुल संख्या
	१ अ	१ ब	२	३	४	५	
रेंजीडेन्सी स्कूल	३६	३०	३९	३६	४५	२९	२१५
हथरोई	३१	२९	३५	४२	३३	३४	२०४

रेजीडेन्सी स्कूल से हथरोई स्कूल में क्रमशः ७ व ८ अध्यापक हैं ।

प्राथमिक शालाओं का बजट अलग नहीं होता, बल्कि जिले की प्राथमिक शालाओं का बजट एक ही होता है और आवश्यकतानुसार काम में लाया जाता है ।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

(३) दोहरा खर्च नहीं होता है, परन्तु दोनों शालाओं में छात्र-संख्या को देखते हुए इन्हें अलग अलग चलाना आवश्यक है।

दोनों शालाओं को एक ही भवन में चलाने का कारण यह है कि भवन एक ही स्थान व बस्ती में हैं, परन्तु दोनों शालाओं के लिये जगह अलग अलग है। रेजीडेन्सी स्कूल रेजीडेन्सी रोड श्मशान भूमि के पास होने के कारण इसे वहां से हटाया गया और हथरोई स्कूल के पास वाले सरकारी भवन में लाया गया। ज्यों ही कोई दूसरा भवन उपलब्ध होगा इसे यहां से हटाने पर विचार किया जावेगा।

(नोट—शेष उत्तर नहीं दिया गया)

डॉ० चन्द्रकला : भवन उपलब्ध करने की दिशा में क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसके लिये बात-चीत चल रही है कि कोई सरकारी मकान खाली हो या नई योजना में नया मकान बनाया जा सके।

डॉ० चन्द्रकला : चार-पांच साल से एक ही जगह चल रहे हैं और सरकार भवन उपलब्ध कराने में असफल रही है, तो क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि दोनों स्कूलों को एक स्कूल कर दिया जाय ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एक स्कूल करना जरूरी नहीं है, अलग अलग एरियाज़ के लिये ये अलग अलग स्कूल खोले गये थे। विशेष परिस्थितियों में यह स्कूल यहां लाया गया था। भवन की व्यवस्था होते ही इस स्कूल को उस एरिया में ले जाया जायगा।

डॉ० चन्द्रकला : यह तो ठीक था कि अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग बच्चे पढ़ते थे, पर तीन चार वर्षों से दोनों स्कूलों को एक ही बिल्डिंग में रखा गया है; तो एक ही स्कूल क्यों नहीं बना दिया जाता, ज्यादा छात्र संख्या है तो अलग अलग सैक्शन्स हो सकते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : दो स्कूलें रखने में भी हर्ज नहीं है, छः सौ, सात सौ छात्र एक साथ एक स्कूल में रहें तो असुविधा हो सकती है। दोनों अलग अलग चलें तो इसमें एतराज क्या है ?

डॉ० चन्द्रकला : अगर सरकार इस नीति को मानती है तो क्या और जगहों पर भी इस नीति को लागू करेंगी कि एक भवन में दो-दो स्कूलें चलाये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह नीति का प्रश्न नहीं है, यह एक ही उदाहरण है। बहुत से कॉलेज भी जैसे महाराजाज़ कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज एक बिल्डिंग में चलते थे। दो स्कूलों में कितनी दूरी होनी चाहिये, यह तो नियम नहीं हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या छात्रों की दृष्टि से और शिक्षा प्रसार की दृष्टि से यह उचित नहीं होगा कि एक स्कूल कर दिया जाय और उसे मिडल स्कूल बना दिया जाय ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आप एक भी उपयोगिता बतला दें कि एक कर देने से यह लाभ होगा और अलग अलग स्कूल चलने से यह नुकसान हो रहा है ?

डॉ० चन्द्रकला : मैं तो इन दोनों स्कूलों को एक बनाकर उसका स्तर बढ़ाने के लिये कह रही हूं ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यों तो बड़े बड़े कॉलेज हो सकते हैं, पर एक स्कूल में छात्रों का ज्यादा नम्बर नहीं होना चाहिये, इसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो एक स्कूल में छः सौ सात सौ छात्र हो जायं, यह सुझाव नहीं माना जा सकता ।

श्री अध्यक्ष : सुझाव तो मिडल स्कूल बनाने का है ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अलग प्रश्न करें और आवश्यकता हो तो बना सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

(अनुपस्थित)

श्री जयचन्द्र मोहिल ।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण वर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

हिन्दी के शीघ्र लेखकों के प्रति भेद--भाव

५८५. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : Will the Chief Minister be pleased to state:-

1. Is it a fact that Stenographers under Government of Rajasthan, who have passed a qualifying test in Hindi shorthand conducted by the Public Service Commission, are not given their normal grade increments until they have passed a qualifying test in English shorthand also, while the Stenographers who have passed a qualifying test in English shorthand conducted by the Public Service Commission are given their normal grade increments even though they may not have passed a qualifying test in Hindi shorthand ?

2. If so, why this discrimination against Hindi Stenographers ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) 1. Yes.

2. Under the provisions of the Rajasthan Secretariat Ministerial Staff Rules, 1956, recruitment of Stenographers Grade III is to be made by a competitive examination conducted by the Rajasthan Public Service Commission. Under the Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Staff Rules although appointment of Stenographers Grade III is made by the appointing authorities

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

by holding a provisional speed test but during the period of probation such incumbents shall have to pass the III Grade Stenographers Test to be held by the Rajasthan P. S. C. The competitive and qualifying tests require a speed of 100 words per minute in Shorthand and 40 words per minute in Typewriting in English, or 80 words per minute in Hindi Shorthand and 30 words per minute in Hindi Typewriting. Unless a Stenographer is specifically recruited as a Hindi Stenographer, he has to pass the test in English. Under both the set of rules such incumbents are required to pass a test to be held by the P. S. C. before they start earning increments and are confirmed. Thus there is no discrimination against the Hindi Stenographers who are not required to pass the test in English.

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

तालाबों की सिंचाई फीस की वसूली

५८८. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि पाली जिले की रायपुर तहसील के गांव कोट किराणा व चित्तार में ऐसी भूमि है जिसके लगान वसूली में सिंचाई की फीस भी शामिल है, वसूल की जाती है चाहे उस जमीन की सिंचाई तालाबों से हो अथवा नहीं ?

(ख) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने ऐसे तालाबों की सिंचाई फीस वसूल करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को दे दिया है, जिन तालाबों से ५० एकड़ से कम भूमि की सिंचाई होती है ?

(ग) यदि हां, तो ऐसे तालाबों की सिंचाई फीस उन ग्राम पंचायतों को किस प्रकार दी जायगी जहां कि सिंचाई फीस राजस्व लगान के शामिल वसूल की जाती रही है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) राजस्व लगान के साथ कोई भी सिंचाई फीस वसूल नहीं होती है। सिंचाई विभाग द्वारा नियत सिंचाई फीस पटवारियों द्वारा वसूल की जाती है और सिंचाई विभाग में जमा होती है। यह भूमि सिंचाई विभाग के अधीनस्थ है।

(ख) जी नहीं।

(ग) ऐसे क्षेत्रों में ४० प्रतिशत सिंचाई विभाग तथा ६० प्रतिशत राजस्व विभाग में जमा होती है और असैसमेंट का ४०' प्रतिशत सम्बन्धित पंचायत समिति को दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री दलपतसिंह (आबू) : माननीय अध्यक्ष, यदि आज्ञा हो तो इस प्रश्न का उत्तर दिलवा दें।

प्रश्न संख्या ५८६

श्री अध्यक्ष : Yes.

सरोही में राजकीय भवनों के निर्माण हेतु मनेला तथा खोबा पत्थरों का उपयोग

५८६. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) [श्री दलपतसिंह (आबू) द्वारा पूछा गया] : Will the Public Works Minister be pleased to state:—

1. Is it a fact that the slabs are imported from Jodhpur for the construction of Government buildings in Sirohi District when local slabs of good quality are available at Manela and Khoba Mines at Sirohi ?

2. Is it also a fact that prior to the integration of the former Sirohi State with Rajasthan these slabs from Manela and Khoba mines were used by the P. W. D., B. &. R. of the former Sirohi State ?

3. Does the Government contemplate to include these local slabs in the schedule of rates of the South Division, B. & R., Headquarters at Sirohi ?

मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री हरिश्चन्द्र) :— 1. The local slabs available at Sirohi are either of irregular size and not of proper thickness as required by the P.W.D. specifications. As such, Jodhpur slabs are being used at Sirohi as is done in other parts of Rajasthan.

2. Yes.

3. The matter is under consideration of the Superintending Engineer, B. &. R., P. W. D., Jodhpur.

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

(अनुपस्थित)

श्री लादूराम सुलाणिया : माननीय अध्यक्ष, प्रश्न संख्या ५६३ बड़ा इम्पोर्टेन्ट है, इसका उत्तर दिलवाया जाय।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास

५६३. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) [श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) द्वारा पूछा गया] : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) राज्य में कुल कितने छात्रावास कहां कहां पर समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं ?

(२) प्रत्येक छात्र पर औसतन कितना खर्चा किया जाता है ?

(३) क्या यह सत्य है कि फालना जिला पाली में ५० छात्रों के लिये ४०००) रु०

Page No.31

(श्री मूलचन्द डागा)

वार्षिक खर्चा आता है; जब कि उतनी संख्या के छात्रों के लिये उदयपुर में १८,०००) खर्चा आता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी है ।

(२) सूची में दर्ज है ।

(३) जी नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री लादूराम सुलाणिया : सूची पढ़ कर सुना दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : सूची बहुत लम्बी है ।

श्री लादूराम सुलाणिया : एक में चार हजार रुपया खर्च होता है और दूसरे में १८ हजार रुपया, यह इतना अन्तर कैसे है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी नहीं ।

श्री लादूराम सुलाणिया : तो क्या कोई भी छात्रावास में अन्तर नहीं है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सवाल साफ है, पढ़िये । पूछा है, इतना अन्तर है या नहीं, मैंने उत्तर दिया है, जी नहीं । डिफरेंसेज ज्यादा नहीं हैं ।

श्री लादूराम सुलाणिया : क्या दोनों छात्रावासों को बराबर बराबर मिलता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सब छात्रावासों में एक पैटर्न है और उसी के अनुसार मिलता है ।

श्री गोकुलचन्द जाटव (लछमणगढ़) : इनकी बिल्डिंग्स निजी हैं या किराये की हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है ।

कल का एक क्वेश्चन बाकी रहा है । डाबला-कोटपूतली व पावटा-डाबला सड़क का निर्माण ।

दिनांक २७ मार्च, ६१ का स्थगित प्रश्न

डाबला-कोटपूतली व पावटा-डावला सड़क का निर्माण

४५०. श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) राजस्थान में गत ५ वर्षों में बजट में प्रावधान रखने के बाद भी किन किन सड़कों को नहीं बनाया गया और उनके बजाय किन सड़कों को लिया गया ?

(२) क्या सरकार को विदित है कि डाबला-कोटपूतली व पावटा डाबला मार्ग जहां ३० वर्षों से बसें चल रही हैं, वहां सड़क अभी तक नहीं बनाई गई है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) इस विभाग के पास जानकारी नहीं है ।

(श्री हरिश्चन्द्र)

(२) अर्थाभाव के कारण यह सड़क नहीं ली गई है ।

(१२. ०६ म. प.)

जन-लेखा व प्राक्कलन समितियों हेतु सदस्यों का निर्वाचन

श्री अध्यक्ष : Election of Financial Committees.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन की नियमावली के नियम २३० के उप-नियम (१) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से, जनलेखा समिति १९६१-६२ के लिए १० सदस्यों का निर्वाचन किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के नियम २३२ के उपनियम (१) द्वारा निर्दिष्ट रीति से, समस्त सदस्यों की संख्या में से, प्राक्कलन समिति १९६१-६२ के लिए १५ सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

(विराम)

Call Attention Notice

(१२. ०९. म. प.)

आबू रोड में हुई घटना से उत्पन्न स्थिति सम्बन्धी ध्यान दिलाने विषयक नोटिस

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम १३१ के अन्तर्गत ईद के अवसर पर आबू रोड में हुई घटना से उत्पन्न स्थिति की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूँ ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): दिनांक १९.३.६१ को ईद के दिन आबूरोड निवासी श्री चन्द्रप्रकाश ब्राह्मण की पांच-वर्षीय पुत्री सायंकाल प्रतिदिन की भांति अपनी मां से मन्दिर जाने का कह कर घर से रवाना हुई,किन्तु वापिस नहीं लौटी । उसकी सारी रात तलाश की गई किन्तु जब वह नहीं मिली तो भारतीय दंड संग्रह की धारा ३६३ के अन्तर्गत दिनांक २०. ३. ६१ को प्रकरण अंकित किया गया और अनुसंधान प्रारंभ की गई । दिनांक २१. ३. ६१. को उसकी मृत देह

(श्री दामोदरलाल व्यास)

बीच शहर के एक कुंए में तैरती हुई पाई गई। उसके हाथ-पैर रस्सी से बंधे हुए थे किन्तु कोई पत्थर उसके साथ बन्धा हुआ नहीं था। पोस्टमोर्टम जांच के द्वारा मृत्यु का कारण डूब कर मरना पाया गया। उसके मुंह पर केवल दो चोटें थीं। पोस्टमोर्टम जांच से बलात्कार या यौन सम्बन्धी अन्य किसी प्रकार के अपराध के चिन्ह नहीं पाये गये। अब प्रकरण का अनुसंधान भारतीय दंड संग्रह की धारा ३०२ के अन्तर्गत हो रहा है। हत्या का कारण अभी तक पूरा पता नहीं चला है। एक हिन्दू स्त्री को दिनांक २१. ३. ६१ को सन्देह पर पकड़ा गया है और वह अदालत की स्वीकृति से पुलिस हिरासत में है।

कुछ स्थानीय हिन्दुओं ने इसे किसी मुसलमान द्वारा किया हुआ बना कर साम्प्रदायिक रंग देने का प्रयास किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाये कि मुसलमानों ने एक हिन्दू को धर्म परिवर्तन करा कर मुसलमान बना लिया है। इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने एक हड़ताल करने का प्रयास किया जिसके फलस्वरूप कुछ दूकानदारों ने अपनी दूकानें बन्द कर दीं। यह सूचना प्राप्त होने पर जिलाधीश एवं एस. पी. सिरोही दोनों ही शीघ्र ही आबू रोड पहुंचे एवं जनता को पूरी व निष्पक्ष अनुसंधान कराने एवं अपराधियों को दण्ड दिलवाने का आश्वासन दिया। इससे जनता सन्तुष्ट हुई एवं उसके पश्चात् सभी दूकानें खोल दी गई।

एस.पी.सिरोही ने तथाकथित धर्म-परिवर्तन के बारे में भी जांच करवाई जिससे ज्ञात हुआ कि श्री मोहन सरगरा नामक आवारा लड़के ने श्री बशीर मुसलमान के साथ कुछ माह पूर्व रहना प्रारम्भ किया, किन्तु वह अपना खाना अलग ही बनाता था। तीन-चार माह पूर्व वह अहमदाबाद गया था और ऐसी अफवाह है कि श्री बशीर के फुसलाने से उसने अपना खतना करवाया। किन्तु उसने वास्तव में कभी भी मुसलमान धर्म स्वीकार नहीं किया। इसे बलात्-धर्म परिवर्तन बता कर साम्प्रदायिक रंग दिया गया। श्री मोहन इस समय बशीर के साथ नहीं रह रहा है और वह अपने माता-पिता के पास रह रहा है। आगे तहकीकात जारी है। आबू रोड की स्थिति पूर्णतया शान्त है।

(१२. १२म० प०

भरतपुर व अलवर जिलों के पुरुषार्थी किसानों सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : स्थगन-प्रस्ताव।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह (१४) तथा श्री युगल-किशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा, ने भरतपुर व अलवर जिलों के पुरुषार्थी किसानों से जमीन की कीमत, सवाया लगान की दर पर जमीन के लगान की अब तक की कुल बकाया एवं मकान, बैलों आदि के लिए दी गई तकावी की वसूली से उत्पन्न स्थिति के बारे में स्थगन-प्रस्तावों की सूचनायें दी हैं।

इन प्रस्तावों का संबन्ध हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय से होना प्रकट नहीं होता। इसके अतिरिक्त यह मामला इतने अविलंबनीय लोक महत्व का भी नहीं है कि

(श्री अध्यक्ष)

सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इस पर आज विचार किया जाय।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी बतलाना चाहूंगा कि भू–राजस्व की मांग पर बहस के दौरान में कटौती प्रस्ताव के जरिये भी वाद–विवाद किया जा सकता था।

ऐसी स्थिति में मैं उपरोक्त स्थगन–प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री, स्थिति को स्पष्ट करते हुए, इस पर अपना एक वक्तव्य दें।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण करें, उसके पहले यदि आपकी आज्ञा हो तो इसमें कुछ मुद्दों जिनके स्पष्टीकरण की बात आती है, के लिये कुछ कहूँ।

श्री अध्यक्ष : पहले माननीय राजस्व मंत्री आपके सामने सारे मुद्दे रख दें और बाद में कुछ रह जावे तो आप बता सकते हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : मेरा यह निवेदन है कि जो प्रतिनिधि यहां पर आये हुए हैं उनसे बातचीत हो जाती और उसके बाद एन्ड ऑफ दी सिटिंग तक राजस्व मंत्री का स्टेटमेंट हो सकता है। वह थोड़ी देर बाद भी हो सकता है। कुछ मुद्दे भी उनके सामने रख दिये जावेंगे। स्टेटमेंट, आज बातचीत हो सकती है, उसके बाद भी हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : कल सुबह हो सकता है। जो माननीय सदस्य इसमें दिलचस्पी रखते हैं उनसे मिल सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जो लोग इससे प्रभावित हैं वे काफी तादाद में यहां पर आये हुए हैं। वे खास तौर से सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है इसको जानना चाहते हैं। आप उनसे मिल लें और उसके बाद अपना भाषण दें। ऐसी स्थिति में सुबह तक नहीं, आज शाम को ही अगर राजस्व मंत्री अपना भाषण दे दें तो ज्यादा उचित होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री) : मेरे ख्याल से कल सुबह पर रखा जावे तो उचित होगा।

श्री अर्जुनदास (अजमेर-पश्चिम) : All these people will have to stay in Jaipur.

श्री दामोदरलाल व्यास : They need not.

श्री अर्जुनदास : वे सुनने के लिये आये हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, हजारों आदमी आये हुए हैं। अगर वे एक दिन यहां ठहरेंगे तो रात को उनको बड़ी तकलीफ होगी। उनके खाने की क्या व्यवस्था होगी, ठहरने की क्या व्यवस्था होगी? ऐसी हालत में उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत कर ली जावे और उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद माननीय मन्त्री अपना स्पष्टीकरण आज ही करें तो ज्यादा ठीक होगा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : आपने जैसा फर्माया कि कटमोशन के द्वारा, हो सकता थ; मैंने कट मोशन रखे थे लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : कट मोशन में बोलने के लिये कोई माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : अभी की कार्यवाही जो हुई है उसको देखते हुए माननीय मन्त्री महोदय चाहें तो आज, या कल चाहें तो कल, स्टेटमेंट दे दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्यों का यह कहना है कि हजार या ५०० आदमी आये हुए हैं........

श्री अर्जुनदास : नेताओं से बात-चीत करके ४।। बजे स्पष्टीकरण दिया जाए।

श्री दामोदरलाल व्यास : Don't try to usurp the functions of the Speaker.

श्री अर्जुनदास : He can reply at 4.30 P. M.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यह हो कि माननीय राजस्व मंत्री सदन के बाहर चल कर सदन के बाहर खड़े हुए प्रतिनिधियों से मिल कर, उनकी दिक्कतों को सुन कर निर्णय लेते और उसके बाद अपना स्टेटमेंट देते, अन्यथा उन लोगों को यहां पर रहने के लिये मजबूर करना होगा कि वे लोग यहां पर रात को ठहरें और उनका अधिकृत खर्चा हो, उसको वे वहन करें। अगर आज ५ बजे बैठ कर जवाब दिया जाए तो सदन पांच बजे बाद भी बैठने को तैयार है।

श्री अर्जुनदास : उनके रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ से आप मिलें और अगर कोई सजेशन हो तो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैसा श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य समझते होंगे कि कोई निर्णय उनको लेना है। मुझे स्टेटमेंट देना है। अगर कोई ऐसी डिफीकल्टी वे बतावेंगे तो मैं उसके बारे में भी कहूँगा। मैं यह कहूँगा कि आप इस सम्बन्ध में कोई गलत धारणा पैदा न करें कि कोई निर्णय दे दें। जैसा श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पहले उनके प्रतिनिधियों से मिल लें। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं उनसे ५० दफा मिल चुका हूँ और मिलने से दिक्कत हल हो सकती है तो वह मैं करने को तैयार हूँ।

श्री भैरोंसिंह : उनको पूरी दिक्कतें हैं। आप उनके प्रतिनिधियों से चल कर मिल लें। उनके सामने डिफिकल्टीज हैं गवर्नमेंट को एजेन्सी है उसकी, और जो पॉलिसी सरकार ने निर्धारित की है उसके कारण से। आपको कोई न कोई पॉलिसी उनकी डिफिकल्टी दूर करने के लिये एडॉप्ट करनी होगी। आप उनके प्रतिनिधियों से मिल कर उनको समझा दें और उनकी जो सारी ग्रीवान्सेज हैं उनको सुन तो लीजिये और बाद में अपना स्टेटमेंट दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : वे तो माननीय मंत्री

Page No.36

(श्री अध्यक्ष)

स्वीकार कर चुके हैं कि वे सबसे मिल कर इसका उत्तर देने को तैयार हैं।

राजराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): होगा यह कि आपकी और उनकी दोनों की इम्पोर्टेन्स जाती रहेगी।

श्री अध्यक्ष : ऐसी बात नहीं है। कई दफा जाते रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : वे आपको सुन कर जावेंगे। अगर आप अभी जवाब नहीं देंगे तो उनको मजबूर होकर रात तक ठहरना होगा।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उनके प्रतिनिधियों से मिलने के बाद ही स्टेटमेंट दिया जाय तो उनकी ग्रीवेन्सेज़ का भी पता चल जाएगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : स्टेटमेंट तो मैं पेश कर देता हूं, उसके बाद में जो पॉइन्ट और ग्रीवेन्सेज़ हों, उस पर बाद में....

श्री भैरोंसिंह : यह तो जो उनको ग्रीवेन्सेज़ हैं उन पर ही बेस्ड है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं फेक्चुअल स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, ज्यादा अच्छा रहेगा कि वे उनसे पहले मिल लें।

श्री दामोदरलाल व्यास : फेक्चुअल स्टेटमेंट तो ले लेना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : अगर आप सारी बातों तो सुन कर और उनके प्रतिनिधियों से मिल कर स्टेटमेंट दें तो आपको दिक्कत क्या है? फिर दुबारा आपको स्टेटमेंट देना होगा। इससे सदन का समय भी नष्ट होगा और सारी बातें कॉम्पलीकेटेड होंगी। सारी बातों को सुन कर ही आप पोलिसी मैटर है उसको डिक्लेअर करें।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : कॉम्पलीकेसीज़ तो आपने पैदा कर दी हैं। You can't compel him to give a statement today. When he is prepared to discuss everything, concede this point.

श्री भैरोंसिंह : मैंने तो कोई कॉम्पली-केसीज पैदा नहीं की हैं। यह तो पब्लिक फोर्म और पब्लिक वॉइस कम्पेल कर रही है। सारी पब्लिक की ग्रीवॉन्सेज हैं। आज आप स्टेटमेंट दें तो उचित होगा।

श्री श्रीभानसिंह : But the Hon'ble member should understand that he cannot make capital out of certain issues in this House.

श्री भैरोंसिंह : वह तो आप कर रहे हैं।

श्री श्रीभानसिंह : Give him the permission to cite scriptures today.

श्री भैरोंसिंह : That does not depend upon you. आप मिलने के बाद भी उनको संतुष्ट नहीं कर सके। भरतपुर के आदमी उनको ठीक तरह से संतुष्ट नहीं कर

(श्री भैरोंसिंह)

सकते तभी इस प्रकार की परिस्थितियें पैदा होती हैं। आज इस प्रकार की परिस्थिति क्यों पैदा हुई है?

श्री श्रीमानसिंह : माननीय सदस्य, खुद प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेन्ट दे रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : उचित यह होगा कि आप पहले मिल लें।

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे सारी बातें मालूम हैं। माननीय सदस्य, जिन्होंने एडजोर्नमेन्ट मोशन पेश किया है वे आज उनसे मिले होंगे।

श्री अध्यक्ष : आपकी सुविधानुसार आज नहीं तो कल रख सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप उनको चैम्बर में बुला लें और आप उनसे मिल लें। आप चाहें तो हम सबको बाहर निकाल दें, आप और उन लोगों के प्रतिनिधि मिल लें पहले।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप वहां रहें मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री पी.के. चौधरी (फुलेरा): The statement has to be made on the adjournment motion. It has nothing to do with the people who have come. The Hon'ble Minister has to give the statement in the House and not to the persons who have come outside.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में स्टेटमेन्ट हो जावे वह लाभप्रद होगा। श्री माधोपुर से आये माननीय सदस्य समझते हैं पहले डेपूटेशन मिलेगा, हाउस में फैसला दिया जावेगा, वह कोई व्यवहारिक बात नहीं है। फेक्ट्स जो हैं वे जानने के बाद संभव होगा....

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय का निर्णय हो चुका है।

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई निर्णय नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : मैंने यह कहा कि मन्त्री महोदय चाहें तो आज दे दें। कई सदस्यों ने कहा कि उनके प्रतिनिधियों से मिल कर फिर बाद में स्टेटमेन्ट दिया जाय। मैंने यही कहा कि मन्त्री महोदय की सुविधानुसार यह हो सकता है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : फेक्ट्स आप किनका रखेंगे? जब तक सुनेंगे नहीं, लेटेस्ट पोज़ीशन होगी उसको जाने बिना और उन लोगों को सुने बिना कैसे यह रहेगा?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं, अध्यक्ष महोदय, उनसे कल मिल चुका हूं। उसके बाद शायद माननीय सदस्य, जो श्री माधोपुर से आये हैं, उनसे मिलें होंगे।

श्री भैरोंसिंह : किसी समय मिले होंगे। लेकिन जो स्टेटमेन्ट दिया जाय वह फेक्ट्स पर दिया जाय और फैक्ट्स की जान-

Page No.38

(श्री भैरोंसिंह)

कारी वे तब ही माननीय सदस्यों को दे सकते हैं, जो बाहर लोग खड़े हैं, हजारों की संख्या में आये हैं, उनसे पूछ कर जानकारी कर लें। इसके बाद यदि स्टेटमेन्ट दें तो इसमें आपत्ति क्या है ? आपत्ति नहीं हो सकती है तो उनसे मिल कर फिर स्टेटमैंट दिया जाय।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, the statement is to be given in the House and not to the people outside.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : This suggestion was made by his lieutenants.

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेन्ट मोशन....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री श्रीभानसिंह : He should be compelled tostand up on a point of order.

श्री भैरोंसिंह : क्या यह मैटर ओपन रखा जायगा कि उनकी ग्रीवान्सेज को माननीय राजस्व मन्त्रीजी के सामने पहले रखा जाय और उनकी ग्रीवान्सेज़ के उपस्थित हो जाने के बाद और उन पर विचार कर लेने बाद फिर वे स्टेटमेन्ट देंगे ?

श्री पी० के० चौधरी : Let there be another adjournment motion for that, but not on this adjournment motion.

श्री भैरोंसिंह : रूल्स के अनुसार एक टॉपिक रखा जा सकता है और यदि उस पर निर्णय हो जाता है तो दुबारा वह विचारार्थ प्रस्तुत नहीं कर सकते। यहां दो मामले हैं। एक तो एडजोर्नमेन्ट मोशन है और दूसरा बाहर हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं, नारे लगा रहे हैं, उनको सेटिस्फाई करना है, उनको संतोष देना है और उसके आधार पर स्टेटमेन्ट दिया जायगा तो उचित होगा। माननीय सदस्यों को बता दूं कि यह मामला उनसे सम्बन्धित है, माननीय सदस्य की मन्त्री महोदय की चापलूसी का नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझ नहीं पाया, एडजोर्नमेन्ट मोशन रखा है तो वह स्टेटमैन्ट देने के लिए ही रखा है। फिर कहा जाय कि अभी नहीं दीजिये, शाम को दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : यह मैंने पहले नहीं कहा था। हम तो सुनने के लिए तैयार थे। लेकिन बयाना से आये माननीय सदस्य ने कहा कि उनसे मिलने के बाद शाम को दिया जाय। वे जल्दी जल्दी कैसे बदलते हैं अपने माइन्ड को, मैं जानता नहीं।....

(व्यवधान)

श्री श्रीभानसिंह : मैंने यह नहीं कहा था।

श्री भैरोंसिंह : उनको शान्ति से सुनना चाहिये।

श्री श्रीभानसिंह : डिसऑर्डर क्रियेट कर रहे हैं हाउस में।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, इस बात को समझते हैं कि वे बैठे हैं हाउस में डिसऑर्डर क्रियेट नहीं कर सकते और यदि माननीय सदस्य इसको समझते हैं तो यह माननीय अध्यक्ष के प्रति रिफ्लेक्शन है।

श्री श्रीभानसिंह : यह तो आपका टेम्परामेंट ही बता रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक, श्रीमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरे डीग से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन—प्रस्ताव रखे हैं। जो दो स्थगन—प्रस्ताव पेश हुए हैं उनके बारे में सम्बन्धित वाकयात क्या हैं उनकी जानकारी मैं सदन को देना चाहूँगा।

पार्टीशन के बाद में अलवर, भरतपुर और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में काफी तादाद में रिफ्यूजीज़ आये, राजस्थान के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में से भी काफी तादाद में मुसलमान पाकिस्तान गये, अलवर, भरतपुर से भी गये और जो इवेक्यूई लैन्ड छोड़ कर गये, जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, तो जो लॉ है, उसके अनुसार सारी उनकी प्रोपर्टी कस्टोडियन में वेस्ट होती है और माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि जो इवेक्यूई प्रोपर्टी कस्टोडियन में वेस्ट हो गई और फिर बाद में वह प्रेसिडेन्ट में वेस्ट हो गई तो किसी स्टेट के लोकल लॉज़ उन पर वहां पर एप्लाई नहीं होते हैं। टीनेन्सी लॉज़ और रेवेन्यू लॉज़ भी उन प्रोपर्टीज़ पर एप्लाई नहीं होते हैं। इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट के लॉज़ का उन प्रोपर्टीज़ से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता है। जब रिफ्यूजीज़ आये तो जो इवेक्यूई प्रोपर्टी थी उनमें से कुछ अलॉट कर दी, कुछ जो लोकल लैण्डलैस पर्सन्स थे उनको अलॉट कर दी वह इवेक्यूई लैन्ड। कस्टोडियन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का है। उसने यह तय किया कि जो स्टेट गवर्नमेंट की लैंड रेन्ट है उसके अलावा, अपना एक मालिकाना हक, उस जमीन के वे मालिक होंगे, प्रोफिट के तौर पर सारे हिन्दुस्तान में यह किया कि डबल लैंड रेवेन्यू उनसे वसूल होगा। झुंझुनू आदि डिस्ट्रिक्ट्स में भी डबल रेट से वसूल किया गया और अलवर भरतपुर में भी दुगुना वसूल किया गया। जब अलवर भरतपुर के रिफ्यूजीज़ का सवाल आया तो चूंकि वे फाइनेन्शियली कमजोर थे, तो आज के जो मुख्य मन्त्री हैं, उस समय उनके पास रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट था, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को लिखा कि इन रिफ्यूजीज़ की माली हालत ठीक नहीं है इसलिए उनसे जो दुगुना वसूल किया गया है उसकी जगह उनसे सवाया वसूल किया जाय, यानी स्टेट लैंड रेवेन्यू के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का १।४ ही उनसे वसूल किया जाय और गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने उसकी एक साल के लिए स्वीकृत दे दी। बाद में उसको भी उन्होंने मन्जूर करना नहीं चाहा और उन्होंने कहा कि सारे हिन्दुस्तान में जो एक प्रेक्टिस एडॉप्ट की है वह ही यहां भी एडोप्ट करेंगे। चुनांचे फिर स्टेट गवर्नमेंट ने इनसिस्ट किया कि एक दफा लिख चुके हैं इसलिए सवाया ही वसूल होना चाहिये। रिफ्यूजीज़ को सवाया देने में भी आपत्ति थी। चुनांचे उन्होंने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन की और इस बात का उन्होंने उस पीटिशन के

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जरिये निर्णय लेना चाहा कि सवाया वसूल करना जायज नहीं है। उनकी हाईकोर्ट ने रिट पिटिशन खारिज कर दी और यह निर्णय दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को अधिकार है कि सवाया से दुगुना तक वह वसूल कर सकती है। फिर दूसरी पिटीशन में हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यू लॉज़ इवेक्यूई प्रोपर्टी पर एप्लाई नहीं होते हैं और वे उनसे गवर्न नहीं होती हैं। यह जो स्थिति है, वह है सवाया लगान के बारे में, जिसको सवाया के नाम से पुकारते हैं। लैण्ड रेवेन्यू जो असेस्ड है वह तो है ही, उसके अलावा वन फोर्थ लैण्ड रेवेन्यू बतौर मालिकाना हैसियत के उनको लैण्ड से वसूल करेंगे। यह सवाल केवल अलवर और भरतपुर के रिफ्यूजीज़ के लिये हो यह बात नहीं है। गंगानगर के इलाके में जहां १० हजार रिफ्यूजी बसे हुए हैं, उन्होंने बराबर सवाया ही नहीं मालिकाना और लैण्ड रेवेन्यू यानी दुगुना के बराबर अदा कर दिया है। अजमेर, झुंझनू, सीकर में बसने वालों ने भी ऐसे ही कर दिया, लेकिन अलवर और भरतपुर के जो रिफ्यूजीज़ हैं उन्होंने इस सवाया लगान के बारे में हाई कोर्ट में रिट पेश की थी, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा वह रिट नामन्जूर कर दी गई। उसके बाद भी वे बराबर इस बात पर अड़े रहे कि हम सवाया भी देना नहीं चाहते। एक तो सवाल यह है कि जब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब जगह से दुगुना वसूल कर रही है फिर भी स्टेट गवर्नमेंट ने इन्सिस्ट किया कि इनसे सवाया ही वसूल किया जाय। दस साल का करीब प्रॉफिट बाकी है कुछ लगान लैण्ड रेवेन्यू का बाकी है। बराबर स्टेट गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि उसकी वसूली की जाय। लेकिन जो पुरुषार्थी हैं वे एक ही तरीका अपनाये हुए हैं। वे इस लगान को भी न देने के लिये आमादा हैं। बराबर इस बारे में वे एजीटेशन करते रहे हैं और एक पैसा भी जमा नहीं कराया है। उधर गंगानगर और अन्य इलाकों में, जहां पुरुषार्थियों को बसाया गया है वे वहां हर साल जमा कराते आ रहे हैं। उन्होंने वहां किसी प्रकार का ऐतराज नहीं किया। एक पॉइन्ट जो सवाया लगान का है वह हाई कोर्ट में गया, वहां उनको कामयाबी नहीं हुई। यह जो लीगल पोजीशन थी वह मैंने आपके सामने अर्ज कर दी, सवाया का जहां तक ताल्लुक है।

दूसरी बात, जहां राजस्थान के टीनेन्सी लॉज़ का सवाल है उसके अन्दर डबल लगान तक वसूल करने का प्रावधान है। लेकिन इनसे जो लगान लिया जा रहा है वह सवाया तक ही है। इसके बारे में उनका कहना है कि उनको जो लैण्ड अलॉट हुई उसके अगेन्स्ट में २० हजार रुपये तक के रूरल क्लेमों को एन्टर्टेन नहीं किया था। रूरल क्लेम्स के ऐवज में लैण्ड अलॉट की जायगी हाउस अलॉट किये जायेंगे। यह बात सही है कि इन बातों पर रिफ्यूजियों ने काफी इनसिस्ट किया था कि इस प्रकार से रूरल क्लेम्स को एन्टर्टेन नहीं कर सकते। इसके बारे में जो नोटिफिकेशन निकला है उसको मैंने देखा। उसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं है, ताहम भी उनकी बात सुनकर स्टेट गवर्नमेंट ने रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर और उस विभाग के सेक्रेटरियों से और कस्टोडियन ऑफ इवेक्यूई प्रोपर्टी से एक बार नहीं, अनेक बार मैंने खुद

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ने इन्सिस्ट किया मीटिंग्ज् के अन्दर इस बात की कोशिश रूरल क्लेम्स के एवज में जमीन और हाउस अलॉट किये जाय यह मान लिया जाय। लेकिन भारत सरकार ने इस चीज को मानने से इन्कार कर दिया। उसमें बात यह थी कि रूरल क्लेम्स के बारे में जो सारे हिन्दुस्तान के लिये पॉलिसी एडॉप्ट की गई जहां जहां इवेक्यूई लैण्ड मुकर्रर की है वहां जो क्लेमेन्ट्स थे उन्हीं के क्लेम्स को एडजस्ट किया था और जो नॉन क्लेमेंट्स थे उनसे कीमत लेने के लिये तय किया गया और वही तरीका यहां भी एप्लाई होना चाहिये। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर ४५०) रु० प्रति स्टेंडर्ड एकड के हिसाब से दस हजार शरणार्थियों से, जिनको वहां बसाया गया, उन्होंने उस हिसाब से पेमेंट कर दिया है और उसी तरह से दूसरी जगह के लोग पेमेन्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं उसी की वसूली की कार्यवाही जारी है। जहां भारत सरकार ने ४५०) रु० प्रति स्टेंडर्ड एकड के हिसाब से जिन जमीनों की कीमत तय की थी और यह कीमत जो कायम की गई, वह सोइल क्लासिफिकेशन के हिसाब से और प्रोडक्टिव कैपेसिटी के हिसाब से तय की गई थी, चुनाचे अलवर और भरतपुर के बारे में मैंने पर्सनली इस चीज को एग्जामिन किया कि यहां की जमीन का वेल्यूएशन ज्यादा तो नहीं है? मैंने इस बारे में एक्सपर्ट्स की राय ली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकारियों से बातचीत, की हमारे सैटलमेंट ऑफिसर्स और सेन्टर के सैटलमेंट ऑफिसर्स से बात करके सारी चीजों की जांच करवाई। जांच करवाने के बाद जो वेल्यूएशन सोइल की क्वालिटी की वजह से कम पायी गई उसके बारे में हमने उनको कनविन्स किया और भरतपुर और अलवर के पुराने सैटलमेंट रेकर्ड को सामने रखकर उस जमीन के वेल्यूएशन को कम किया गया और स्टेंडर्ड एकड में आता था उसको बढ़ाया गया। पहले जो डिस्प्यूट किया गया कि यह ४५०) रुपया ज्यादा है उस सवाल को इस तरह से हल किया गया। लेकिन वे तो यह चाहते हैं कि हम लैण्ड की कीमत ही नहीं दें। कारण मैंने आपको बतला दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने जितनी कोशिश बन सकती थी वह कोशिश की। इस पोइन्ट को सदन के सदस्यों ने, पार्लियामेंट के सदस्यों ने रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर श्री खन्ना के सामने रखा है और उनके साथ मेरी मौजूदगी में कई बार मिले हैं और इन पॉइन्ट्स को हमने उनके सामने रखने की बराबर कोशिश की है। मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं मानी और उनके न मानने का एक ही कारण था और वह यह कि नोटिफिकेशन जो निकाला गया है उसको हम किसी भी प्रकार से डिस्क्रीमिनेटरी बनाना नहीं चाहते और उस कीमत को १५ साल के अन्दर अदा करने का प्रावधान है। यह निर्णय तो हो गया कि यह रकम जो वसूल की जाय वह पन्द्रह आसान किश्तों में की जाय। लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया वे तो बिल्कुल भी कीमत नहीं देने पर एडेमेंट है। लोकल्स को जो जमीन अलॉट हुई है वह भी उसी कीमत पर हुई है और १५ साल की किश्तों पर हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वसूली का काम है वह राजस्थान सरकार कर रही है। लोकल्स के द्वारा जहां तक पैसा जमा कराने का सवाल है उन्होंने करीब १३ लाख रुपया एडवान्स के रूप में जमा करा दिया है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

उन्होंने १३ लाख का एडवान्स पेमेन्ट कर दिया है उस जमीन की कीमत की वसूली के सिलसिले में। जहां ४५.०) रुपया स्टैंडर्ड एकड़ के हिसाब से,१५ साल की किश्तों से वसूल करना चाहते हैं वहां वे बिल्कुल भी देना नहीं चाहते। मैंने जैसे भी वाकयात थे आपके सामने रख दिये हैं। वे जो इसरार कर रहे हैं ऐसी हालत में यह कहां तक वाजिब है?

यह भी कहा गया कि राजस्थान टिनेन्सी लॉज़ के अन्तर्गत ओवर नाइट खातेदारी हकूक दिये गये हैं। यह ठीक है कि राजस्थान टिनेन्सी लॉ के अन्तर्गत ओवर नाइट खातेदारी हकूक मिल गये, उनको मिल गये जिन्होंने एक रोज पहले हल चलाया था, उनको भी इस कानून के अन्तर्गत खातेदारी हकूक मिल गये। उनको इस कानून के अन्तर्गत महरूम रखा जाता है, यह बिल्कुल भी वाजिब नजर नहीं आता, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया, इवेक्यूई प्रोपर्टी के लिये राजस्थान के लॉज़ एप्लाई नहीं होते, उन पर जो रूल्स लागू होते हैं वे भारत सरकार द्वारा बनाये हुए हैं और सारे हिन्दुस्तान के लिये एक समान कायदे-कानून हैं। ऐसी सूरत में राजस्थान सरकार के पास कोई चारा नहीं। जितनी भी उन लोगों को हार्डशिप्स थीं वे हमने भारत सरकार के सामने रख दीं। जिस प्रकार के राइट्स हैं वे उनको बतला दिये, उसके बाद भी भारत सरकार इस बात पर प्रेस करती है कि उनसे वसूल किया जाय। १५ किश्तों में वसूल करने का सवाल है। मैं समझता हूँ, यह बात उन्हें स्वीकार होनी चाहिये। कल उनका डेपूटेशन मुझसे मिला था। माननीय सदस्य से हो सकता है बाजार में ही बातचीत हुई, हो लेकिन वे मुझसे मिले हैं और एक बार नहीं अनेक बार मिले हैं। मैंने उनको सुना है और उनको तसल्ली देने की भी कोशिश की है। उनके डेपूटेशन को लेकर रीहेबिलिटेशन मिनिस्टर मिस्टर खन्ना और वहां के अधिकारी हैं उनसे इस बारे में एक दफा नहीं, कई दफा मिला हूँ, मीटिंगें की हैं। अलवर में उनको बुलाया है श्री खन्ना साहब को। उनके ऑफिसर्स की जयपुर में मिटिंगें की हैं। बारबार उनको मौका दिया है सारी बातें सुनने का। जहां तक राहत दिलाने का सवाल था हमने उसके लिये बहुत चेष्टा की है। जमीन की कीमत को कम करने की बात थी उसको एग्ज़ामिन करके उस जमीन को कीमत कम करवा दी। उसके बाद अब कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उसको पोस्ट-पोन करने का लेकिन वे तो इस बात पर आमादा हैं कि वे पेमेन्ट करना ही नहीं चाहते।

तीसरा पोइन्ट है रूरल हाउस की कीमतों को वसूल करने का और तकावी वगैरह का सवाल है। तकावी और लोन वगैरह का सवाल है। उसमें से तो काफ़ी राइट ऑफ कर दिया गया है। जो नोन रिकवेरबल था उसको तो पहले से ही भारत सरकार ने माफ कर दिया है, लेकिन प्रोडक्टिवीटी के लिये जो लोन दिया गया है उस पर भी दस साल से उनका एटीट्यूड बना हुआ है उसको पेमेन्ट न करने का। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के जितने ड्यूज़ है उन्होंने पेमेन्ट न करने का एक प्रकार से एटीट्यूड बना रखा है और दूसरी तरफ हमने यह एटीट्यूड बनाया है कि जितनी उनकी बातें थीं, जितने उनके

(श्री दामोदरलाल व्यास)

एतराज थे, उन सब में से जितने हम सहूलियत के साथ मिल-जुल कर, बात-चीत के द्वारा हल कर सकते थे, करने की कोशिश करें और यह कोशिश हमने की और उनको बहुत सी रिलीफ दी। अब सिर्फ प्राइज जमीन की, रूरल हाउसेज़ की कीमतें और साथ साथ वक्त बे वक्त जो लोन्स दिये गये हैं उनकी रिकवरी का सवाल है। यह ठीक है, कल भी मैं उनसे मिला था, उनके डेप्यूटेशन से मिला था और हमने काफी बातें कीं। हमने उनसे कहा कि यह हमारे वश की बात नहीं है, आप सेन्ट्रल गवर्नमेंट से बात करिये; हम भी कोशिश करेंगे इस बात की कि आपको वहां से अधिक से अधिक रियायतें मिलें। पर यह एटीच्यूड आप मत रखिये कि कुछ न देंगे। आपका यह रवैया होना चाहिये कि हम कुछ देना तो चाहते हैं, पर वसूली में सख्ती न की जावे। आप एक साथ न दे सकते हों तो आपके साथ में हमदर्दी करके ईज़ी इन्टालमेन्ट्स में वसूल करें और पहले हम केवल एक-दो आइटम से शुरू करें। बाकी के आइटमों की वसूली पोस्टपोन कर दें।

पर इतनी बातें समझाने पर भी उनकी समझ में क्यों नहीं आया, मुझे नहीं मालूम। बहरहाल फैक्ट्स जो थे व मैंने सदन के सामने रख दिये। मैं हर वाजिब बात उनकी सुनने को हर वक्त तैयार रहा हूँ और सुनी हैं उनकी बातें। पर अब उनके इस एटीच्यूड की बात, कि पेमेन्ट हम कुछ करना नहीं चाहते, यह बिल्कुल समझ में नहीं आती। अगर पेमेन्ट वे करना नहीं चाहते और दस सालों से जब हम बराबर पोस्टपोन करते आये हैं वसूली, तो अब वसूली की कार्यवाही के वक्त कुड़की होना स्वाभाविक है। देने वाला एक तरफ यह कहे कि दे नहीं सकता, टाइम दिया जावे तो कुछ समझ में आने जैसी बात लगती है; पर देने वाला यह कहे कि मैं तो देता ही नहीं, देना वाजिब नहीं है तो पब्लिक डिमान्ड रिकवरी एक्ट में एक ही तरीका है अटेचमेन्ट और इसमें कोअर्सिव मैथड अडॉप्ट करना ही पड़ता है। तो इन हालतों में मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार की उनके साथ ज्यादती हुई है। यह तो एक एटीच्यूड का सवाल है।

मैं समझता हूँ एडजोर्नमेन्ट मोशन मूव करने वालों के लिये यह ज्यादा जरूरी है कि वे उनको समझावें कि वे अपना वाजिब रुख अख्तियार करें कि जिससे जो दिक्कतें उनको पेश आ रही हैं वे भी हल हो जावें, भारत सरकार का पैसा भी वसूल हो जावे और उनको और हमको भी परेशानी न हो। एक साथ वसूली का कोई सवाल नहीं। मैं तैयार हूँ। वे जिस तरह से पेमेन्ट करना चाहें उस तरह से ईज़ी इन्स्टालमेन्ट करने के लिये, चार-पांच आइटम्स में से एक को लेकर। पर वे वसूली के लिये रजामन्द तो हों ताकि धीरे धीरे जिस तरह उनकी पेइंग कैपेसिटी होगी हम लेंगे। यह तो मुमकिन हो सकेगा।

एडजोर्नमेन्ट मोशन में यह भी लिखा है कि सन् ४७ से पहले के किसान भी इसमें हैं। मैं जानकारी के लिए अध्यक्ष महोदय, यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह पोइन्ट आज नया नहीं है। इस पोइन्ट पर हमने काफी छानबीन की है राजस्थान गवर्नमेन्ट के लॉ विभाग ने काफी इस पर सोचा है। भारत सरकार को लॉ मिनिस्ट्री ने भी

Page No.44

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सोचा है । दोनों, स्टेट के और केन्द्र के अफसरों ने और मिनिस्टरों ने घंटों बैठकर इस पर वाद-विवाद किया है और हमने कोशिश की है उनको यह बतलाने की, कि अलवर के लॉ के अनुसार १२ साल के पुराने काश्तकार के राइट एक्रू हो जाते हैं । पर भारत सरकार की लॉ मिनिस्ट्री ने काफी उस पर विचार किया और यही कहा कि इस लॉ के अनुसार एक्रूवल नहीं होती थी, राइट पैदा होता था । इस राइट को एक्रूव कराने के लिये सूट दायर करना होता था । वह सूट उन्होंने दायर किया नहीं, उससे पहले ही वह सारी लैंड इवेक्युई लैंड हो गई । यह भी कहा गया कि ऑर्डिनरी लैंड लॉज़ जो राजस्थान के हैं उनके सामने वे पहले वाले रूल्स एप्लाई नहीं होते । तो उस बात को भी भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया और यहां के लॉ डिपार्टमेन्ट ने भी इस बात को मन्जूर किया कि लॉ की तहत उनको एक्रूवल का राइट जरूर पैदा हो गया था, पर एक्रू नहीं हुआ। डिक्लेरेशन कोर्ट में दरख्वास्त देकर कराना था, वह नहीं कराया और इसके पहले हो पार्टिशन के बाद में उनकी प्रोपर्टी इवेक्युई प्रोपर्टी डिक्लेअर हो गई । तो यह नहीं कि हमने उनके हकों के लिये भारत सरकार को प्रैस नहीं किया ; पहले भी किया था और अब भी प्रैस करते हैं । यह नहीं कि हमने उनका यह कन्टेशन मान लिया हो, अभी भी जमींदारी लैंड का जहां सवाल है, एप्लीकेशन ऑफ दी जमींदारी लॉ का सवाल है, आज भी हम प्रैस करते हैं । वह डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है । तो यह महज अब केवल कानूनी डिस्प्यूट है स्टेट में और सेन्टर में । हमारा पॉइन्ट स्ट्रांग समझते हैं । अल्टीमेटली हमने इसे लॉ मिनिस्ट्री को रेफर किया है । माननीय सदस्यों ने जो पॉइन्ट रक्खे उनका मैंने जवाब दिया । जो वाकयात थे, जो फैक्चुअल पोज़ीशन थी, वह मैंने समझा दी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : What was the position in Bharatpur with regard to record of Khatedari rights ?

श्री दामोदरलाल व्यास : भरतपुर स्टेट की कानून की पोज़ीशन तो कानून में है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने अलवर की बात कही कि वहां लॉ के हिसाब से राइट एक्रू होने के बाद भी दावा करना पड़ता था । पर भरतपुर में बारह साल होने के बाद क्या अधिकार हैं इस पर आपने रोशनी नहीं डाली ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I do not know anything about Bharatpur, because that position was not brought to my notice. I was questioned here in the case of Alwar.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा, क्या सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन के कारण २० हजार के कम के क्लेम्स जो उनके थे, उनको सब्मिट करने के लिये मना कर दिया गया था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह नहीं कहा है। मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करिये। मैंने कहा है कि नोटिफिकेशन निकला है। मैंने उसे देखा भी है, पर इसमें यह दर्ज नहीं है कि चूंकि उनको लैण्ड अलॉट किया जावेगा, रूरल एरिया में लैण्ड हाउस के लिये अलॉट किया जावेगा इसलिये क्लेम्स इन्वाइट नहीं किये हैं, यह दर्ज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : इसके पैराग्राफ में इस बात का संकेत है। सदन का समय जावेगा इसको पढ़ने में, नहीं तो मैं पढ़ कर सुना देता सब। इसमें यह है कि जिनके क्लेम्स होंगे बीस हजार से कम के, उनको नहीं लिया जावेगा। इसके बाद में इस प्रकार के केसेज़ कस्टोडियन की कोर्ट से पास हुए हैं कि इस प्रकार के लोगों को खेती की जमीन के साथ मकान की जमीन मिली है, उन सबकी कीमतें २० हजार से कम होती है इसलिये ये क्लेम्स के अगेन्स्ट में मीट होती हैं, इसलिये क्लेम्स रिजेक्ट कर दिये उनके। वह इस बात का संकेत है कि उनको यह विश्वास दिलाया था कि जिस नीति के आधार पर क्लेम्स नहीं लिये गये उसी के आधार पर इनके अगेन्स्ट में एडजस्ट कर लिये जावेंगे। यह स्पष्ट था। पर जिन्होंने भारत सरकार के सम्मुख अपने क्लेम्स प्रस्तुत कर दिये उनको मन्जूर कर लिया गया बीस हजार से कम होने के बावजूद भी। बाद में भी उनके क्लेम्स लिये और वे ओनर हुए। वैसी स्थिति में आज भी यह नीति हो कि सरकार उनके क्लेम्स के अगेन्स्ट में इसको एडजस्ट करे, पर भारत सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। इस इश्यू पर एक बार विश्वास दिला कर कम्पेन्सेशन नहीं लिया और उनके क्लेम्स के अगेन्स्ट एडजस्ट करने से इन्कार करवा दिया। उस स्थिति में सरकार की यह लाएबिलिटी होती है कि जिस नोटिफिकेशन के जरिये उन्होंने उनसे एग्रीमेन्ट किया है और जिस प्रकार का संकेत दिया उसको वे एग्ज़ीयूट करावें। आज अगर वे एग्ज़ीक्यूट नहीं होते तो यह सरकार की लाएबिलिटी है। सरकार कहे कि इसको एग्ज़ीक्यूट कराने में इतना रुपया खराब होता है। मैं कहता हूं कि अगर इसको एग्ज़ीक्यूट करने में खर्चा भी होता है तो इस प्रकार की लाएबिलिटी को सरकार को बर्दाश्त करना चाहिये। इस संकेत को देखते हुए भारत सरकार को भी मजबूर करना चाहिये कि इसको एक पार्टी की लाएबिलिटी स्वीकार करके एडजस्ट करें और भारत सरकार से यह लेनदारी राइट ऑफ करावें। हमने करोड़ों रुपया शरणार्थियों और सरकार की इर्रेग्युलेरिटियों के बारे में राइट ऑफ किये हैं और करते रहते हैं तो इस सम्बन्ध में अगर इतना अमाउन्ट हम राइट ऑफ करें तो यह उनके प्रति हमदर्दी और न्याय होगा।

अब दूसरा एक प्रश्न जिसमें माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of order, Sir, I suppose the motion has not been allowed. Is the debate allowed ?

श्री भैरोंसिंह : The speaker has allowed...

श्री अध्यक्ष : Please state briefly what you want to know.

श्री दामोदरलाल व्यास : He has put certain questions for clarification, but instead he is giving another speech. That means I will have to give another speech also.

श्री भैरोंसिंह : मैं पॉइन्ट्स ही रख रहा हूँ, पर एक्सप्लेन करके रख रहा हूँ, पर अब सीधे ही रखूंगा। तो मैं यह निवेदन कर रहा था, अगर उन लोगों के रीहेबिलिटेशन के लिये इनीशियल रिलीफ को आप रिकवर कर रहे हैं भारत सरकार की तरफ से....

श्री दामोदरलाल व्यास : If he is not seeking any information from me there is no point in discussing those points. Whatever information he wants I am prepared to give but not like this.

श्री भैरोंसिंह : आप यह बतावें, क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने एक कमीशन नियुक्त किया था लाला काशीराम की अध्यक्षता में, इनीशियल स्टेज पर जो उनको रिलीफ दिया गया था उसमें करप्शन होने की जांच करने के लिये और अपनी रिपोर्ट में लाला काशीराम ने यह मंजूर किया कि एक एक इम्प्लीमेंट की २८००) की खरीद बता कर उनको दिया गया जब कि वास्तव में वे ६००) से ज्यादा कीमत का नहीं था और वह भी छः महीने में खराब हो गया ? कइयों को एक्चुअल अमाउन्ट वह मिला नहीं। इस प्रकार के करप्शन के केसेज़ इन्डीकेट किये गये थे। आज इस तरह की जितनी रकम मिली कहते हैं क्या वसूल नहीं कर रहे हैं इस रकम को आप ?

श्री दामोदरलाल व्यास : No, no. I am not going to be subjected to cross examination. Let him state his point. I will give his reply.

श्री भैरोंसिंह : आप एक एक पॉइन्ट का जवाब दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : We cannot have a long debate on this point, at least not on this occasion and in such a way. तो आपको कोई बात पूछनी है स्पष्टीकरण के रूप में वह पूछ लें, बाकी लम्बी बहस नहीं हो सकती।

श्री भैरोंसिंह : एक तो जो मैंने प्रश्न रखा था उसका स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी करेंगे। दूसरे, जिन्होंने गल्ती से क्लेम्स रख दिये उनको ओनर कर रहे हैं तो बाकी के क्लेम्स के लिए राजस्थान सरकार ऐसा क्यों नहीं चान्स दिलवाती कि वे अपने क्लेम्स रखें और उनको भारत सरकार से ओनर करवाये जायें। जिन चीजों के ऊपर सरकार कुर्की करवा रही है उसमें उनकी खड़ी फसल भी है, गाय भी है, बैल भी हैं और एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट्स भी हैं; तो सरकार उनकी कुर्की क्यों करवाती है ? तीसरी परिस्थिति यह है कि राजस्थान सरकार की सिम्पेथी है और उसको रिप्रेज़ेन्ट वे लोग करें तो उस स्थिति के आने तक उस लगान को सस्पेन्ड क्यों नहीं कर देते, ताकि वे लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एप्रोच करें और अपने ग्रीवान्सेज़ को पुट-अप करें। इसके अलावा एक पॉइन्ट और है जिसके लिए माननीय मंत्री महोदय कह सकते हैं, जो लगान का क्वेश्चन आता है और माननीय मंत्री महोदय ने गंगानगर का

Page No.47

(श्री भैरोंसिंह)

हवाला दिया। मैं उनके लिए कह सकता हूँ कि अलवर में तीस हजार परिवार बसाये हैं और उनकी लाएबिलिटी लेकर राजस्थान सरकार ने उनको वहां पर बैरन (barren) लैण्ड में बसाया है और अगर गंगानगर की जमीन और अलवर की जमीन की तुलना करें तो दोनों की कीमत में करीब १५० रुपये का फर्क आयेगा और अगर आप उसी काइ-टेरिया के ऊपर कीमत लगाकर उसकी वसूली करने का काम करते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर कि जिनके ऊपर लाएबिलिटी आई है उनकी लाएबिलिटी को बचाने के लिए हमारी सरकार ने जहां लाखों और करोड़ों रुपये राइट ऑफ किये हैं इनके इस अमाउन्ट को राजस्थान सरकार भारत सरकार से बर्दाश्त कराये और कुछ राजस्थान गवर्नमेंट बर्दाश्त करे और जो सस्पेन्शन से उनको इमीजियेट रिलीफ हो सकती है वह उन्हें दिलवाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात कहनी है कि सिविल प्रोसीजर कोड की धारा ६० में यह है कि जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट के पास सीडस हैं, बुलक्स हैं या और इम्पलीमेन्टस हैं वे कोर्ट से भी अटेच नहीं हो सकते, तो फिर आप बिना डिक्री के कैसे अटेच करा सकते हैं ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : अध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण मैं भी चाहूंगा........

श्री दामोदरलाल व्यास: पूछिये आप भी

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : माननीय महोदय ने इस संबंध में जो अभी यहां भाषण दिया उसके दौरान में नोटीफिके-शन को शायद उन्होंने स्वीकार नहीं किया और जिसका हवाला अभी दूसरे माननीय सदस्य ने भी दिया और उसकी कॉपी मेरे पास भी मौजूद है और नोटीफिकेशन भी है........

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने दो दफा कहा है कि मैंने स्वीकार कर लिया है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उसके अन्दर स्पष्ट यह है कि जिन लोगों के क्लेम्स तीस हजार से कम के हों या ४ एकड़ जमीन मिली हो, उनके क्लेम्स नोटीफिकेशन के अनुसार अधिकारियों ने कह दिया कि आपका क्लेम करना मुनासिब नहीं है और इस बिना पर उन्होंने क्लेम फाइल नहीं किये। अब सिर्फ वे यह चाहते हैं कि हमें दूसरी तारीख दी जाये। वे कहते हैं कि टाइम बार हो गये और उनको कहा गया कि तुम क्लेम्स फाइल मत करो और बड़े बड़े क्लेम्स को ही फाइल कराने की जरूरत है छोटे छोटे को नहीं और छोटे क्लेम्स का तो यहीं का यही मुआवजा मिल जायेगा। आज वही कहते हैं कि जो क्लेम्स फाइल करने थे उसका एक मौका और दिला दिया जाये, दूसरी शिकायत नहीं है। या तो आप यह कहें कि जो नोटीफिकेशन में रखा है वह शर्त नहीं है और उसमें जजमेन्ट भी हुआ है। उसमें ऐसा कहा है कि नोटीफिकेशन के अनुसार हम क्लेम पाने के अधिकारी नहीं हैं। तो वे यही चाहते हैं कि क्लेम्स को फाइल करने का अधिकार था

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

वह अब मौका दे दिया जाये। फिर वे पैसे लेते हैं तो आप अपनी वसूली कर सकते हैं।

श्रीमती गंगादेवी डाटा (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी थोड़ी जानकारी करना चाहती हूं। जो मंत्री महोदय ने तकावी के बारे में कहा है उसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहती हूं। तकावी बांटी है उसका सबसे बड़ा मसला यह था कि ग्रुप लीडरों के द्वारा वह तकावी बंटी है। उसका स्पष्टीकरण कर दें कि किस तरह बंटी है जिससे सदन के जो माननीय सदस्य हैं वे भी समझ सकें कि जो तकावी बंटी है वह वाकई में उन लोगों को मिली है जिनके नाम से सरकार के द्वारा तकावी दी गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, जहां तक लाला काशीराम समिति का सवाल है और जिसे माननीय सदस्य ने रखा मुझे उसकी बिलकुल जानकारी नहीं है कि कोई ऐसी समिति राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई हो और इस प्रकार की रिपोर्ट आई हो, मेरी जानकारी में बिल्कुल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : रिपोर्ट नहीं आई आपके पास ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी जानकारी में नहीं है। ४ साल से मैं मिनिस्टर इन्चार्ज हूं, मेरी जानकारी में नहीं आई........

श्री भैरोंसिंह : सन् १९५४ में बनी थी।

श्री दामोदरलाल व्यास : अब सवाल यह है अध्यक्ष महोदय, कि दूसरा पोइन्ट यह रखा और हो सकता है कि लाला काशीराम ने अपने तौर पर या लोकल इन्क्वायरी द्वारा इस बात की जांच की हो पम्पिंग सेट इस काबिल नहीं थे कि वह कुओं पर काम कर सकते या स्पेसिफिकेशन से कम आ गये थे। यह हो सकता है, लेकिन वह पम्पिंग सेट का यहां सवाल पेश नहीं है। सवाल यह है कि जो पम्पिंग सेट्स आ गये थे वे गलत थे और उनके काम में नहीं आये और खरीदने वाले दूसरे थे। एक मामला ऐसा है कि जिसको प्रोपरली एजीटेट किया जा सकता है। हम भी गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को कह सकते हैं कि चाहे किसी की गलती से नुकसान हो रहा हो लेकिन सवाल यह है कि एटीट्यूड क्या लिया जाये? सवाल यह है कि खराब आ गये और १५०० के बजाय ६०० के थे इसलिए ६०० रुपये कम कर दिये जायें, यह तो सवाल आज तक ही नहीं आया। दूसरा पोइन्ट कहा कि गंगानगर की जमीन का और अलवर की जमीन का मुकाबिला किया और अलवर की जमीन को बिलकुल बैरन लैण्ड बताया। मेरे ख्याल से अलवर की जमीन को माननीय सदस्य ने देखा नहीं है........

श्री भैरोंसिंह : देखा है आपसे ज्यादा।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप देख लें उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को। बहरहाल

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मतलब यह है कि माननीय सदस्य को शेखावाटी की जमीन ही याद आती है जहां भूड़े ही भूड़े हैं। उनको मालूम नहीं है कि अलवर में जमीन ऐसी नहीं हैं। ....

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने काफी इन्वेस्टमेन्ट किया है, उसके बाद प्रोडक्टिव बनी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह मुसलमानों की लैंड थी और वे काश्त करते छोड़ कर चले गये, और दूसरी तरफ कहते हैं उन्होंने अजसरे–नौ तैयार करके उसको तैयार किया है। ये दोनों बातें एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। तीसरा पॉइन्ट उनके क्लेम्स के बारे में कहा। मैंने शुरू में ही इसको काफी क्लियर कर दिया था और जो माननीय सदस्य नगर से आये हुए हैं उन्होंने भी कहा है। पर नोटीफिकेशन में यह बात नहीं थी। वह नोटीफिकेशन बहुत लम्बा है इसलिए मैं उसको पढ़ कर नहीं सुनाना चाहता हूं....

श्री भैरसिंह : मैं तैयार हूं उसको सुनने के लिए।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : लम्बा कहां है ? उसमें केवल २ पैरेग्राफस हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : रूरल क्लेम्स इसलिए एन्टर्टेन नहीं किये जाते हैं कि उनकी एवज में लैंड अलॉट करेंगे, That ends the controversy- as a matter of fact. लेकिन नोटीफिकेशन में यह बात नहीं है। अब यह है कि गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया ने अपने ऊपर रेस्पोन्सीबिलिटी ली कि इनको रीहेब्रीलिटेट किया जायेगा, इनको जमीनें दी जायेंगी, मकान दिये जायेंगे और लोन दिया जायेगा, वह रेस्पोन्सीबिलिटी क्लेमेन्ट्स और नॉन–क्लेमेन्ट्स दोनों थी। क्लेमेन्ट्स के अन्दर लोगों को क्लेम की रकम मिल गई और नॉन–क्लेमेन्ट्स के अन्दर उनसे कीमत वसूल की जा रही है और कीमत वसूल करने के लिए इज़ी इन्सटालमेन्ट्स में यानी १५ साल में की जा रही है। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा और माननीय सदस्य ने कह दिया कि राजस्थान सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वे मेरे ख्याल से इसके फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स को नहीं समझते हैं कि कितने करोड़ रुपये इसके आते हैं....

श्री भैरोंसिंह : एक करोड़ सिविल सप्लाई में राइट ऑफ किये उसके फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स को नहीं देखा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : किसी भी परिस्थिति को पोलिटीकली एक्सप्लॉइट करने की किसी को कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो वस्तु – स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए जो रिफ्यूजीज़ हैं उनको सही सलाह दें और जितने भी उनके ग्रिवान्सेज़ हैं उनको रिड्रेस करने की कोशिश करें। यह गलत बात नहीं है। इसके लिए हम भी तैयार हैं और सुनने के लिए भी तैयार हैं।

(१. ०० म० प०)

मैंने जैसे आपको फैक्ट्स बताये, ३–४ पोइन्ट्स ; मैं समझता हूँ कि उसके अन्दर कोई ऑल्टर्नेटिव नहीं है सिवाय इसके कि वे

(श्री दामोदरलाल व्यास)

अपना एटीट्यूड बदलें और एटीट्यूड बदल कर यह दिखायें कि पेमेन्ट जिस सहूलियत के साथ कर सकते हैं वह मेरे ख्याल से ज्यादा लाभदायक होगा और इससे ज्यादा इमदाद मिलेगी।

एक माननीय सदस्या ने जो कि अलवर से आती हैं उन्होंने कहा कि तकावी ग्रुप लोडर्स को दी गई थी। यह एक फैक्ट का सवाल है कि किसी व्यक्ति को तकावी दी गई है या नहीं दी गई। अगर किसी को नहीं मिली है तो वसूल नहीं की जायगी, यह साधारण सी बात है। जिस आदमी को तकावी दी गई है उसको साबित करना होगा। तकावी अगर दी गई होगी तभी तो वसूल कर सकेंगे ?

एक माननीय सदस्य ने दफा ६० सिविल प्रोसीजर कोड को लेकर यह बताने की कोशिश की है कि उसके अन्दर एग्जेम्पशन है और वे आइटम्स भी कुर्क किये जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा हो कि वे इस सेक्शन का अध्ययन करें कि वे एग्जेम्पशन किस किस तरह के मतालबे पर होते हैं और किन पर नहीं होते हैं, तो वे यह और प्रश्न नहीं करते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मतालबा क्या होता है, यह तो आप....

श्री छोटूसिंह (अलवर) : माननीय अध्यक्ष....

श्री दामोदरलाल व्यास : I think there is ....I have already replied. Otherwise it is not possible. They will go on...

श्री अध्यक्ष : We pass on to next business. मांग संख्या २६।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्लेम्स फाइल करने का दुबारा मौका दिया गया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : अब इस पर कोई बहस करने की इजाजत नहीं है और दूसरा निर्धारित काम बहुत है आज के लिए।

श्री छोटूसिंह : मुझे दो एक सवाल करने हैं....

श्री अध्यक्ष : सवाल का प्रश्न नहीं है। स्पष्टीकरण करना था वह कर दिया गया है।

श्री छोटूसिंह : मुझे दो-एक बातों की जानकारी करनी है।

श्री अध्यक्ष : कोई जानकारी की इजाजत नहीं दी जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : एक बात मैं जानना चाहता हूँ....

श्री अध्यक्ष : जी नहीं, इस पर बिल्कुल वाद-विवाद नहीं होगा और न प्रश्न पूछे जायेंगे।

मांग संख्या २६–नागरिक निर्माण कार्य इत्यादि

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री

(श्री हरिश्चन्द्र)

हरिश्चन्द्र) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक-

५०—नागरिक निर्माण कार्य

५०—भवन और सड़क (संयुक्त) स्थापना, और औजार तथा स्थिर संयंत्र

५०—का राजस्व से अर्थ प्रबन्धित नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,४४,४७,-००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है इस बहस सवा तीन बजे तक चलेगी और उसके बाद में मन्त्री महोदय उसका उत्तर देंगे और ४ बजे से मुखबन्ध का प्रयोग किया जायगा। इसलिए जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं वे कृपया ५ मिनिट से ज्यादा नहीं बोलें तो ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य इस पर बोल सकते हैं।

(विराम)

[इस मांग पर निम्नांकित सदस्यों के प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

श्री जनार्दनराय नागर :

(१) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सड़कों के विस्तार के अभाव और उसे पूरा करने में सरकार के कम आग्रह की नीति पर विचार करने पर बहस हेतु)।

श्री रामकरणसिंह :

(२) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य आदि में १००) रु० की कटौती की जाय (कोटपुतली—डाबला रोड़ और राजनौता-डाबला रोड पर गैंग की व्यवस्था की कमी पर विचार करने हेतु)

(३) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य आदि में १००) रु० की कटौती की जाय (कोटपूतली-डाबला रोड को बनाने में सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, इस पर विचार करने हेतु)।

(४) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य आदि में १००) रु० की कटौती की जाय (कोटपूतली-पावटा मुख्य सड़क से मोहनपुरा खानों को वाया कल्याणपुरा एप्रोच रोड बनाने में देरी की जा रही है इस पर वाद-विवाद करने हेतु)।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर :

(५) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य आदि में १००) रु० की कटौती की जाय (सीकर जिले की सड़कों की व्यवस्था पर विचार करने हेतु)।

डॉ० बहादुरसिंह :

(६) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य आदि में १) रु० की कटौती की जाय (अधीक्षक अभियन्ता पद समाप्त करने पर बहस हेतु)।

(४४) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक

Page No.52

(श्री रामकरणसिंह)

५०—नागरिक निर्माण कार्य आदि में १) रु० की कटौती की जाय (धौलपुर पुलिस स्टेशन निर्माण कार्य में विलम्ब होने पर वाद-विवाद करने हेतु) ।

(५३) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य आदि में १) रु० की कटौती की जाय (धौलपुर भूतपूर्व सैनिक बैरिकों की स्थिति पर बहस करने हेतु) ।

रावराजा श्री सरदारसिंह :

(10) Demand No. XXVI, Major Head 50-Civil Works be reduced by Re. 1/-(to discuss mis-appropriation of sanctioned amount for the construction of Roads in Uniara Constituency).

श्री भीमसेन :

(११) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य आदि में १) रु० की कटौती की जाय (श्रमिक ठेका सहकारी समितियों के मार्फत ही निर्माण कार्य कराये जाने पर बहस हेतु) ।

(१२) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य आदि में १) रु० की कटौती की जाय (बीकानेर जिले में निर्माण कार्यों के लिए शिड्यूल ऑफ रेट्स को अप-टू-डेट रखने पर बहस हेतु) ।

श्री पी० के० चौधरी :

(13) Demand No. XXVI, Major Head 50-Civil Works be reduced by Re. 1/-(to discuss the failure of the State Government in making adequate arrangements for providing a level crossing lodge on Railway line between Phulera and Sambhar).

(14) Demand No. XXVI, Major Head 50-Civil works etc. be reduced by Rs. 1/-(to discuss the slow beginning made in the construction of Phulera Renwal and Phulera-Bichun Roads),

श्री हरिप्रसाद यादव :

(१६) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य आदि में १) रु० की कटौती की जाय (विभागीय शिथिलता पर बहस करने हेतु) ।

श्रीमती गंगादेवी डाटा :

(१८) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य आदि में १) रु० की कटौती की जाय (रामगढ़ से अलावड़ा सड़क पर बहस करने हेतु) ।

(२०) मांग संख्या, २६, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य आदि में १) रु० की कटौती की जाय (रामगढ़ हाई स्कूल की बिल्डिंग को कम्पलीट करने पर बहस हेतु) ।

(२१) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य आदि में १) रु० की कटौती की जाय (मालाखेड़ा हायर सकेन्ड्री स्कूल की बिल्डिंग पर बहस करने हेतु) ।

Page No.53

(श्रीमती गंगादेवी डाटा)

(२२) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य आदि में १) रु० की कटौती की जाय (रामगढ़ के बालिका मिडल स्कूल की बिल्डिंग के सम्बन्ध में विचार करने हेतु) ।

(२३) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य आदि में १) रु० की कटौती की जाय (बहादुरपुर कस्बे में मिडल स्कूल की बिल्डिंग पर बहस करने हेतु) ।

श्री लक्ष्मण हीरात :

(१६) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य आदि में १) रु० की कटौती की जाय (कोटड़ा, गोगुन्दा, फलासिया, खेरवाड़ा तथा सराड़ा की सड़कों पर बहस करने हेतु) ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा :

(25) Demand No. XXVI, Major head 53-Civil Works etc. be reduced by Re. 1/-(to discuss failure of the Government to complete the construction of Bundi-Chittor Road),

26)) Demand No. XXVI, Major head 50-Civil Woks etc. be reduced by Re.1/- (to discuss failure of the Govenment in maintenance of Bundi District Roads and not repairing them in time).

(27) Demand No. XXVI, Major Head 50-Civil Works etc. be reduced by Re. 10/- (to discuss the transfer of Bundi Sub-divisional office from the control of Executive Engineer Kota, to Executive Engineer, Tonk and consequent inconvenience and financial difficulties).

श्री नाथूलाल करौल :

(२८) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सांगानेर एरोड्रम से स्टेशन सांगानेर तक सड़क की मरम्मत न कराने पर बहस करने हेतु) ।

श्री चन्दनमल वैद :

(२९) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य आदि में १) रु० की कटौती की जाय (ताल छापर से राजगढ़ तक जाने वाली सड़क की दयनीय स्थिति पर विचार करने हेतु) ।

(३०) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य आदि में १) रु० की कटौती की जाय (ताल छापर से स्टेशन तक जाने वाली सड़क की मरम्मत करने पर वाद–विवाद करने हेतु) ।

(५०) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्य आदि में १) रु० की कटौती की जाय (आगरा–बीकानेर राष्ट्रीय मार्ग का जयपुर और बीकानेर के बीच एलाइनमैन्ट पर वाद–विवाद करने हेतु) ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी :

(३१) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

५०—नागरिक निर्माण कार्य आदि में १) रु० की कटौती की जाय [नगर—पहाड़ी (जिला भरतपुर) सड़क का निर्माण कार्य पूरा न किये जाने पर बहस करने हेतु]

(३२) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य आदि में १) रु० की कटौती की जाय (जयपुर, भरतपुर रोड की हलेना से सेवर तक पूरी मरम्मत किये जाने पर बहस हेतु) ।

(३३) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य आदि में १) रु० की कटौती की जाय (भरतपुर से उच्चैन होकर बयाना तक की सड़क की पूरी मरम्मत न किये जाने पर बहस हेतु) ।

श्री नाथूराम (११६):

(३४) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य आदि में १) रु० की कटौती की जाय (बांसवाड़ा जिले में बांसवाड़ा सागवाड़ा सड़क वाया गढ़ी पर बहस करने हेतु) ।

श्री रावतराम (१४२):

(३५) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य आदि में १) रु० की कटौती की जाय (चूरू जिले में निर्धारित लक्ष्यों के मुताबिक सड़कों का कार्य पूरा न होने पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु) ।

(३६) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सड़क व भवन निर्माण कार्यों में अच्छा मसाला नहीं लगाने के कारण भवनों के गिर जाने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने पर बहस हेतु) ।

(५१) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य आदि में १) रु० की कटौती की जाय (चूरू जिले में निर्धारित लक्ष्यों के मुताबिक सड़कों का कार्य पूरा नहीं होने की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने पर बहस हेतु)

(५२) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सड़क व भवन निर्माण कार्यों में हल्के दरजे का चूना पत्थर लगाने से शीघ्र ही भवनों के गिर जाने पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु) ।

श्री अनूपसिंह (३८):

(38) Demand No. XXVI. Major Head 50-Civil Works etc. be reduced by Re. 1/- (to discuss the failure of the Govenment in laying roads during the Second Five Year Plan).

श्री लादूराम सुलाणियां (३९):

(३९) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य आदि में १००) रु० की कटौती की जाय (सरकारी पुराने भवनों की मरम्मत कराने हेतु) ।

श्री सोहनलाल भटनागर :

(४०) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक

(श्री सोहनलाल भटनागर)

५०—नागरिक निर्माण कार्य आदि में १) रु० की कटौती की जाय [भवन एवं पथ व सिंचाई विभाग के बीच (Co-ordination) नहीं होने पर बहस करने हेतु]।

(४१) मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य आदि में १) रु० की कटौती की जाय (उदयपुर जिले में देवारी कुरावड़ सड़क को जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी पूरी नहीं कराई जा रही है जिस पर बहस करने हेतु) ।

(42) Demand No. XXVI, Major Head 50-Civil Wokrs etc. be reduced by Re, 1/- (to discuss the inordinate delays in construction work).

(43) Demand No. XXVI. Major Head 50-Civil Works etc. be reduced by Re. 1/- (to discuss the financial powers of various categories of Engineers).]

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनराय नागर ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : माननीय अध्यक्ष,....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : इनके लिए टाइम लिमिट नहीं लगायें, साहब ।

श्री जनार्दनराय नागर : मुझे केवल इतना ही कहना है कि राजस्थान में हमारी दूसरी मानव-सेवाओं की आवश्यकता के समान ही सड़कों के विस्तार की आवश्यकता है, खास करके हमारे गांवों के अन्दर सड़कों की बड़ी मांग है और हमारी परिस्थिति यह है कि दूसरे पंचवर्षीय आयोजन में सड़कों के लिए जो धनराशि रखी गई है वह इतनी अपर्याप्त है कि हम आने वाले ५ वर्षों में राजस्थान के गांवों की सड़कों की आवश्यकता को पूरी नहीं कर पायेंगे । मेरी जहां तक सूचना है, अध्यक्ष महोदय, कि दूसरे पंचवर्षीय आयोजन का जो कम्यूटेड एक्सपेन्डीचर है वह तीसरे पंचवर्षीय आयोजन में जायगा, वह करीब ८ करोड़ रुपये का है और सारी जो धनराशि स्वीकार की गई है तीसरे पंचवर्षीय आयोजन में वह १३ करोड़ की है । मेरी समझ में नहीं आता है, अध्यक्ष महोदय, कि ४-५ करोड़ की अतिरिक्त धनराशि से हम आने वाले ५ वर्षों में राजस्थान में सड़कों का विस्तार किस प्रकार कर पायेंगे ?

सड़कों के अभाव के बारे में, मैं यह मानता हूँ कि राजस्थान में सामाजिक, सांस्कृतिक आदान-प्रदान में काफी बाधा पड़ रही है और वे तमाम यातायात के विकास की दृष्टि से और उसके साथ लगे हुए औद्योगिक विकास की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि हमारी बड़ी मुश्किल है । मेरी समझ में नहीं आता है कि इस मामले में राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार से जब, तीसरे पंचवर्षीय आयोजन की धनराशि के मामले में विचार हो रहा था, क्या कुछ किया है ? मैं समझता हूँ कि सड़कों के मामले में जो हमारे अभाव हैं और जो राज्य सरकार ने उसको दूर करने की दृष्टि से कम आग्रह किया है भारत सरकार के सामने वह विचारणीय है ।

कई ऐसी सड़कें हैं जो दो-तीन तहसीलों

(श्री जनार्दनराय नागर)

को मिला सकती हैं, उदाहरणार्थ मैं यह कहना चाहूँगा कि आवश्यक महत्वपूर्ण सड़कों का प्रावधान हम नहीं कर सकते हैं जिस पर जिला परिषद् ने सिफारिश की थी, चाहे कई पंचायत समितियों ने इसके लिए मिलकर मांग की हो। तो मुझे यही कहना है कि इस मामले में सरकार को काफी विचार करके कोई रास्ता निकाल सकती हो तो रास्ता निकालना चाहिए। उदाहरणार्थ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहां दो तहसीलें हैं, रेलमगरा से फतहनगर को। उस पर करीब ५०-६० गांव पड़ते हैं। उस मामले में सारे के सारे के लिए जिला परिषद् को ओर से वह काम हो चुका, लेकिन अब इस बात पर यह कहा जा रहा है कि तीसरे पंचवर्षीय आयोजन के अन्दर धनराशि कम होने की वजह से बहुत ही कम नई सड़कों को लिया जायगा।

दूसरा, मैं यह कहना चाहता था कि भारत सरकार का एक फण्ड है रूरल सड़कों के बारे में। उसमें भारत सरकार मदद करती है और राजस्थान सरकार भी मदद करती है और खास तौर से गन्ना उत्पादक क्षेत्र में जो फैक्ट्रीज़ चलती हैं. उनको भी इसमें मदद करनी होती है। हम बराबर इस मामले को सदन में लेते रहे हैं और राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर खींचते रहे हैं। भारत सरकार से रूरल रोड फण्ड से इस मामले में काफी रुपया मिल सकता है। इस ओर प्रयत्न किया जाना चाहिए। कई सालों से यह प्रयत्न बिल्कुल नहीं हुआ है और आयोजन बने हैं, लेकिन वे प्रयत्न हमारे मामले में सफल नहीं हुए हैं। मुझे ऐसी निश्चित सूचना है कि पंचवर्षीय आयोजन के समय राजस्थान सरकार को भारत सरकार के रूरल रोड फण्ड से जितनी सहायता प्राप्त करनी चाहिए थी उतनी सहायता प्राप्त नहीं की है। इस प्रश्न पर मैं समझता हूं कि तीसरे पंचवर्षीय आयोजन में ऐसी स्थिति है जिसमें सड़कों के लिए कम धनराशि मिली है, उसके लिए भारत सरकार से मदद मिले। लेकिन सारा सवाल तो यह आ पड़ता है, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान सरकार अपने शेअर के मामले को लेने की स्थिति में है या नहीं? जनता से कुछ लिया जाता है, कुछ भारत सरकार देती है और कुछ राजस्थान सरकार को अपना देना पड़ता है। दूसरे पंचवर्षीय आयोजन में यह था कि राजस्थान सरकार रूरल रोड फण्ड में अपना हिस्सा देने को तैयार नहीं थी। मेरी आग्रहपूर्वक विनती है कि सरकार को तीसरे पंचवर्षीय आयोजन में रूरल रोड फण्ड से, भारत सरकार के केन्द्रीय फण्ड से, मैं समझता हूँ, काफी मदद लेनी चाहिए और राजस्थान सरकार को अपना हिस्सा देने की काफी तैयारी करनी चाहिए।

मैं अपने कटमोशन पर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सड़कों का अभाव है और वह पांचवे पंचवर्षीय आयोजन या छठे आयोजन तक पूरा होता हुआ नहीं दिखता है और हम आने वाले वर्षों तक राहत दे सकें, और ४-५ सड़कों को लेकर चलते हैं तो सारे राजस्थान में जो औद्योगिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास होने वाला है उस विकास में बाधा पहुंचेगी। इतना ही मुझे कहना है।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, मेरे ३ कटौती प्रस्ताव हैं इस मांग पर पहला यह है:

"मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०, नागरिक निर्माण कार्य आदि में १००) रु० की कटौती की जाय (कोटपूतली डाबला रोड और राजनौता डाबला रोड पर गेंग की व्यवस्था की कमी पर विचार करने हेतु)"

अध्यक्ष महोदय, यह कोटपूतली–डाबला रोड पर न जाने निर्माण विभाग को कितनी कठिनाई हो गई कि किसी भी प्रकार से यदि कोई भी सड़क को बात आती है, बजट के आंकड़े भी मैं तीन–चार साल से बराबर देखता आया हूँ, और देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसी सड़कों से आने जाने में लोगों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलने वाली है वहां पर सड़क बन गई है। कोटपूतली का मैं उदाहरण दूं कि कोटपूतली की जनता और इधर बहरोड की जनता और नीम के थाने की जनता इस कोटपूतली-डाबला रोड से ही एक रेल्वे स्टेशन जो कि नजदीक से नजदीक पड़ता है फायदा उठा सकती है। जितनी भी डाक की व्यवस्था है वह तमाम डाक डाबला स्टेशन से ही, इन्टीरियर में पाटन का इलाका है, कोटपूतली का जो इलाका है, पावटा का जो इलाका है, बांसूर का इलाका है उधर से ही उसकी व्यवस्था होती है। इसके साथ साथ यदि किसी प्रकार के कोई हैवी लोड्स ट्रान्सपोरटेशन की दृष्टि से आते हैं तो जो स्टेशन डाबला है वहां पर आते हैं और डाबला से कोटपूतली तक ४-६ नदियां सी आती हैं जिनमें बरसात में किसी भी प्रकार से आदमी का आना-जाना नहीं होता है। गाड़ियें मुश्किल से ही उधर से आज–कल की मौसम में भी निकल सकती हैं, तो समझ में नहीं आता कि इस सार्वजनिक निर्माण विभाग पर इतने रुपये खर्च किये जाते हैं, इतनी राहत दी जाती है, इतनी बातें कही जाती हैं, इतनी सड़कें बनाते हैं, इतनी सड़कें बन रही हैं तब एक इतना सा टुकड़ा क्यों नहीं बनाया जाता?

माननीय मंत्री जी ने इस सदन में एक प्रश्न का जवाब देते हुए बताया था कि शाहपुरा तक ही नहीं बल्कि शाहपुरा से दो-तीन मील आगे तक डामर डाल दी है, उसके बाद ५–६ मील छोड़ कर एक मील की दूरी में और डाल दी है और फिर बहरोड़ से कोटपूतली तक नहीं डाली। समझ में नहीं आता कि बीच में डामर डालने के लिये रुपये किस दृष्टि से मिलते हैं और जिस जगह जनता को फायदा देने या राहत देने की बात कही जाती है तो वहां नहीं देते हैं। यह केवल ५ मील का टुकड़ा है और जिस टुकड़े के लिये हर प्रकार से, हर दृष्टि से पूरी जानकारी दी जा चुकी है और यह बताया जा चुका है कि ठिकाना खेतड़ी के राजा साहब सरदारसिंह जी ने अपनी लागत से इसलिये इसको पक्का किया था कि उनकी जनता को और आसपास की जनता को राहत मिल सके, उनको समाचार और डाक मिल सके, डाक मिलने की सुविधा उनको होती है। लेकिन केवल ५ मील का टुकड़ा इस प्रकार का है जिस टुकड़े में कोई भी गाड़ी जब बरसात होती है तब या गर्मी के टाइम में नहीं आ सकती है और आना–जाना लोगों का बन्द हो जाता है। इसमें इतने खड्डे हो गये हैं

Page No.58

(श्री रामकरणसिंह)

कि गाड़ियों का आना मुश्किल हो जाता है। ५ मील टुकड़े को नहीं बनाने से जनता को राहत नहीं मिल सकती, आना–जाना हो नहीं सकता।

मैंने इस बारे में इस प्रांगण पर कई दफा मंत्री जी से सवाल पूछे और उन्होंने जो जवाब दिये वे सही नहीं दिये। उन्होंने कहा कि गेंग लगाई है, यह कहा जाता है कि गेंग लगाई है। जब भी पूछा जाता है तब यही कहा जाता है इसमें और दूसरा डाबला से टुकड़ा आता है उसमें गेंग काम करती है। मैं मंत्रीजी की जानकारी के लिये बताना चाहता हूँ कि यदि कोई पूरी जानकारी करे तो पता चलेगा कि वहां पर कोई गेंग काम नहीं करती है। हो सकता है कि पैसा बजट में से उठाया जाता होगा, मेट होते होंगे उनसे हाजरी करवाई जा सकती है, हो सकता है कि आदमी रहते होंगे पर वे किसी पी. डब्ल्यू. डी. के अफसर के घर में रोटी बनाने का काम करते होंगे। कोई जानकारी करना चाहें तो मैं उनको पकड़वा सकता हूँ। पैसा उनके नाम से उठाया जाता है। मंत्री जी को सूचना भी दी जाती है कि गेंग लग रही है, इसमें मंत्री जी की कोई गल्ती नहीं है, लेकिन मंत्री जी को कम से कम जानकारी तो करने की कोशिश करनी चाहिये। वास्तव में वहां पर गेंग काम नहीं करती है। आपका पैसा गलत ढंग से उठाया जाता है; गलत उठाया ही नहीं जाता है बल्कि वहां के मोटर मैनेजर्स की यूनियन ने शिकायत की है, कुछ चिट्ठियें ऐसी हैं जिनमें असिस्टेन्ट इन्जीनियर ने एक मेट को लिखा है कि फलां आदमी फलां जगह काम करता है, उसकी गैर हाजरी नहीं लगावें। यदि आप देखना चाहें तो मैं असली चिट्ठी असिस्टेन्ट इन्जीनियर की दिखा सकता हूँ।

इस पांच मील के टुकड़े को बनाने में आप इतनी देरी करते हैं जिससे कि चार–पांच लाख आबादी वाली जनता को फायदा है। आपके निर्माण विभाग में अंट शंट पैसा खर्च होता है, इस तरह से खर्च होते देखा है। कोटपूतली से बान्सूर तक बुल्डोजर गया, ४० हजार रुपये बेकार खर्च हुए और वह १२७ दिन तक बेकार पड़ा रहा। आप अंदाजा लगाइये कि एक तरफ तो इस तरह से खर्चा होता है और दूसरी तरफ ५ मील सड़क का टुकड़ा बनाने में और सड़क की मरम्मत करवाने में इतनी रुकावटें पड़ती हैं, बनाने को तैयार नहीं होते हैं और दूसरी जगह अनेक प्रकार से खर्चा कर देते हैं, ४०–५० मील के टुकड़े बना सकते हैं, इतना खर्चा करने को तैयार हो जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ५ मील का टुकड़ा जरूर बना दीजिये। यदि आप चाहें तो मैं दिखाने को तैयार हूँ। वहां पर रोड बाकायदा ठिकाने के टाइम से बनी थी, आपने अभी पी. डब्ल्यू. डी. में ली है। रोड साइड पर कई छायादार पेड़ लगे हुए हैं जो हजारों रुपये लगा कर भी नहीं लगा सकते, वहां पर माइल स्टोन लगे हुए हैं, एनिकट्स बने हुए हैं, लेकिन इस सड़क में बहुत टूट फूट हो गई है, खड्डे पड़ गये हैं, लोरियों का आना जाना नहीं हो सकता। करीब १८ गाड़ियां बांसूर से डाबला तक जाती हैं। यदि यह सड़क नहीं बनी तो उनका आना–जाना बन्द हो सकता है। अब यह ऐसा मालूम होता है कि कुछ नहीं बना हुआ है, पत्थर का ढांचा है, उखड़

Page No.59

(श्री रामकरणसिंह)

गया है, इतने गहरे खड्डे हो गये हैं कि लेवल पर नहीं आ सकते और आने–जाने वालों को परेशानी होती है, जनता को इतनी परेशानी होती है जिसकी हद नहीं, आवागमन रुक जाता है।

इसके साथ ही यह भी सोचने की बात है कि बांसूर से डाबला तक रोड है जिससे कोटपूतली का टुकड़ा १० माइल बन जाता है और इसके साथ यह ५ माइल का लिन्क ज्यादा खराब है। यदि यह नहीं बनाया जाता है तो उस १० माइल के टुकड़े को बनाने से भी कोई फायदा नहीं है। बांसूर से गाड़ियां चलती हैं डाबला पहुंचती हैं, कोटपूतली तक ही रह नहीं जाती हैं क्योंकि मेन रोड यह है। बांसूर से कोटपूतली तक तो बन गई लेकिन कोटपूतली से यह ५ मील का टुकड़ा और बन जाता है तो यह जो १० मील का टुकड़ा बनाया है वह भी काम आ सकता है। १० मील की सड़क आपने बनाई और यदि वास्तव में जिनकी आवश्यकता थी वह ५ मील सड़क और बन जाती है तो १० मील की आवश्यकता भी पूरी हो जाती है। इसलिये मैं इस कट मोशन के द्वारा मांग करता हूँ कि यह ५ मील का टुकड़ा किसी भी प्रकार से अन्य कटौती करके भी बना दीजिये। हम मानने को तैयार हैं कि आप पंचायत समिति या जिला परिषद् किसी में भी कटौती कर दीजिये, हम मानने को तैयार हैं, लेकिन कम से कम यह ५ मील का टुकड़ा बना दीजिये। यह मैं इसलिये कहता हूँ कि वहां डाक आने की व्यवस्था खराब होती है, जनता के आवागमन में दिक्कत होती है, व्यापार में ठेस पहुंचती है। वहां आसपास में रेल्वे स्टेशन डाबला है। रेल तक कोई चीज पहुंचानी होती है तो उसके लिये राज्य सरकार और केन्द्र सरकार कई उपाय करती है। यहां केवल ५ मील का टुकड़ा बनाने की बात है। यदि आप यह राहत देंगे तो हम यह समझेंगे कि ५ मील का टुकड़ा बनाकर हमको बहुत बड़ी राहत दी और आपका डिपार्टमेंट हमको राहत पहुँचा रहा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि किसी भी प्रकार से यह ५ मील का टुकड़ा अन्य कटौती करके भी बना देंगे तो कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन यह अवश्य बनाया जायगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है कोटपूतली–पावटा मुख्य सडक से मोहनपुरा खानों को वाया कल्याणपुरा एप्रोच रोड बनाने में देरी की जा रही है इस बारे में।

अध्यक्ष महोदय, मोहनपुरा में एक बहुत बड़ी पत्थर की खान है जहां से बहुत दूर दूर तक स्टोन जाता है अलवर, भरतपुर आदि स्थानों तक जाता है। यह पत्थर की खान बहुत कीमती है। गवर्नर महोदय के भाषण तक में इसका जिक्र आया था। इसके लिये कुछ पार्टियां बाहर से आई थीं, बोरिंग लगा कर देखा था। यह इस प्रकार की खान है जहां से हजारों मन पत्थर आता है। यह सड़क करीब १॥ मील में खराब है, उसके लिये पंचायत समिति को पिछली साल लिखा था कि इसमें ६०,००० की लागत है इसको आप बनाइये, लेकिन पंचायत समिति ने आपके डिपार्टमेंट को वापिस लिखा कि हमारे पास ६०,००० रुपये नहीं हैं, इसलिये हम नहीं बना सकते। इसलिये मैं निवेदन करता हूँ कि यह बहुत ही महत्व की क्वेरी है।

(श्री रामकरणसिंह)

इसको १॥ मील सड़क बनाकर मिला देते हैं तो सरकार को इससे इतनी अधिक आमदनी होगी कि १॥ मील सड़क बनाने का खर्चा बहुत कम समय में वसूल हो जायगा। माइनिंग विभाग से भी इस सम्बन्ध में काफी बातचीत हुई है, वे दिलचस्पी ले रहे हैं। वे समझते हैं कि इसका पचास गुना फायदा गवर्नमेंट को मिलने लग जायगा, यदि डेढ़ मील के टुकड़े को आप मिला देंगे तो। दूसरे, यह राष्ट्रीय मार्ग बनने जा रहा है। अगर इसको मिला दिया गया तो जो माइन्स हैं, क्वेरीज़ हैं और अन्य प्रकार के जो खड़िया पत्थर हैं, वे दूर तक पहुँच सकते हैं, दिल्ली तक पहुंच सकते हैं, जयपुर तक पहुंच सकते हैं; वैसे अभी भी दिल्ली और जयपुर तक आते हैं। तो मैं इस डेढ़ मील के टुकड़े को बना देने का, और पांच मील के टुकड़े को बना देने का निवेदन करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि इससे आप अन्य प्रकार की राहत दे सकेंगे। मुझे विश्वास है कि आप जरूर इस पर विचार करेंगे। यह निवेदन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सीकर जिले की सम्पूर्ण सड़कों पर मेरा कटौती का प्रस्ताव है, लेकिन मैं केवल एक सड़क के लिए निवेदन करूंगा यह बात दिखाते हुए कि किस प्रकार अधिकारियों की लापरवाही या जान–बूझ कर काम किया जाता है और किसी विशेष ठेकेदार को लाभ पहुँचाने के लिए किस प्रकार विभाग का सबसे बड़ा अहित कर दिया जाता है। सीकर जिले में सीकर से फतहपुर जाने वाली सड़क का जो पांच से आठ, नौ मील तक का टुकड़ा है, इस सड़क के टुकड़े के निर्माण के सम्बन्ध में जितनी गड़बड़ी हुई है, उतनी गड़बड़ी सीकर जिले में और कहीं नहीं हुई।

(१.२० म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, एक मील से लेकर चार मील तक मोडी नामक पहाड़ी का पत्थर आता है, उसका स्वेलिंग लगाते हैं। उसके बाद आगे की सड़क के लिए ठेका दिया है, जो इस टुकड़े के लिए ठेका दिया, उसमें झाझरे का स्वेलिंग लगा दिया। इसी प्रकार से रकम की सेंक्शन दी। जहां तक मोडी पत्थर का सवाल है, उसकी ३० रुपया रेट थी, अभी जो झाझरे का पत्थर लगाया जा रहा है, उसको भी वही रेट दे दी गई है। जब कि पत्थर के सम्बन्ध में, क्वेरीज़ के सम्बन्ध में विभाग के नियम बने हुए हैं कि सड़क के कितने मील पर क्वेरी है तो कितना रुपया लगाना चाहिए, उससे अधिक दूर पर है तो कितना रुपया लगना चाहिए। इस प्रकार का कोई नियम इस सड़क के सम्बन्ध में नहीं लगाया गया। जिस प्रकार ठेकेदार ने मांग की उसी प्रकार रेट दे दी। जिस प्रकार नियम होते हैं क्वेरी के, वे नियम नहीं लागू किये गये। इसके बाद जो पत्थर लगाया गया है वह निम्न स्तर का लगाया है। वास्तव में देखें तो वह स्वेलिंग नहीं है। वैसे ठेकेदार ने काम पूरा कर दिया, स्वेलिंग लगा दी, रोड बना दी, पत्थर जमा कर रख दिये हैं, लेकिन

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

जब उस पर रोड रोलर घुमाया जाता है तो वह नहीं चलता है । अगर रोड रोलर चलता है तो नीचे से मिट्टी, बालू मिट्टी निकल आती है । वहां पर किसी प्रकार का स्वेलिंग किया हुआ नहीं है । इस सड़क पर विभाग का हजारों रुपया लगा दिया गया, उसके बाद भी शिकायत सड़क की इस प्रकार की है । यह सड़क जयपुर से बीकानेर जाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यह सड़क राष्ट्रीय मार्ग में भी आने वाली है । इसलिए इसका निर्णय करना चाहिए कि इसका निर्माण करने में स्वेलिंग में गड़बड़ी की गई है या नहीं, इस सम्बन्ध में जांच की जाय । मैं निवेदन करूं कि इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को भी शिकायत की गई, पहले कुछ लोग भी आपसे मिले हैं और यह प्रार्थना की है कि इस सड़क की जांच करवाई जाय । लेकिन आपने उसकी जांच नहीं करवाई और ठेकेदार को कह दिया कि तुम एक बार सड़क को खोदकर ठीक कर दो ताकि विभाग के लोगों को बता दें कि सड़क ठीक कर दी है । मैं समझता हूं जब तक उसके नीचे पत्थर नहीं लगायेंगे तब तक सड़क बनने वाली नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य बात तो यह है कि जो ठेकेदार ब्लैक लिस्ट में आ गया था, पर उस ठेकेदार पर विभाग के इन्जीनियर की कृपा दृष्टि थी, उन्हें काम देना चाहते थे, इसलिये वह ब्लैक लिस्ट में आ गया तो भी उसके बेटे के नाम से ठेका दे दिया गया । अगर उसके खुद के नाम ठेका नहीं मिलता है तो उसके बेटे के नाम से ठेका दे दिया गया । इस तरह ठेका उस ठेकेदार को ही देना है, तो उस क्षेत्र के इन्जीनियर और ठेकेदार की मिली भगत का परिणाम यह हुआ कि सड़क खराब हो गई । वह ठेकेदार भाग गया है और उसको ठीक नहीं करवा रहा है । वह रास्ता बन्द है, आने-जाने वालों के लिए रास्ता नहीं है । उसमें सरकार का पैसा लग गया लेकिन वह सड़क अभी भी खराब है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनका उधर आना-जाना रहता है, वे स्वयं जाकर देखें कि वह सड़क बीच में रुकी हुई पड़ी हुई है, सड़क पर काम नहीं हो सकता, सड़क पर रोड रोलर नहीं घूम सकता । रोड रोलर इसलिए नहीं घूम सकता कि सड़क के अन्दर बालू रेत निकल आती है । जब मोडी का पत्थर आ सकता है, चार मील तक आ सकता है तो आगे भी आ सकता है । तो किसी पर्टीक्यूलर आदमी पर मेहरबानी करनी है, कृपा करनी है, और वह आदमी ब्लैक लिस्ट में आ जाय तो उसके बेटे को ठेका दे दें और इस प्रकार वह सड़क खराब कर दी गई ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इसकी जांच करें, इसका निरीक्षण करें और जैसा मैंने कहा है, वह सही हो तो ठेका देने के सम्बन्ध में जो भी अधिकारी दोषी हो उसको दंड दें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

(अनुपस्थित)

(श्री उपाध्यक्ष)

डॉ० बहादुरसिंह ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग पर मेरे जो कटौती के प्रस्ताव हैं मैं उन्हें पेश करता हूँ और पेश करते हुए मैं इस बात की तारीफ करता हूँ कि इस विभाग ने, जैसा कि स्टेटिस्टिक्स से मालूम होता है, काफी प्रगति की है और आउट ले के अन्दर, कैपिटल आउट ले के अन्दर जिस प्रकार और दूसरे खर्चे बढ़े हैं, उसी प्रकार इसमें भी बढ़ा है और इस विभाग के अन्दर जो रोड्स के बारे में है, मैं समझता हूँ, इस विभाग ने काफी अच्छी प्रगति की है । लेकिन इस प्रगति का जब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से मिलान करता हूँ, तब मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि न जाने क्यों उस डिस्ट्रिक्ट के अन्दर....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): आपके डिस्ट्रिक्ट में प्रगति नहीं हुई ?

डॉ० बहादुरसिंह : जरा तसल्ली से सुन लीजिये, कि क्यों विभाग की प्रगति अच्छी हुई ? इस विभाग का जो एक्सपेन्डीचर था, उसमें २६.८३ का एक्सपेन्डीचर बढ़ा है । लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, छोटे से आंकड़े के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि भरतपुर की उपेक्षा की है । जो १९५९–६० की प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके अनुसार मैं कह सकता हूँ कि इस विभाग ने रोडस के बारे में भरतपुर की काफी उपेक्षा की है । हालांकि भरतपुर की आबादी को देखते हुए, दूसरे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स है उनके मुकाबले में देखें तो निश्चित तौर पर बहुत काफी बड़ी उपेक्षा है । जहां तक न्यू वर्क्स का सवाल है, भरतपुर में १० मील सड़क बनाई गई है १९५९–६० में, जब कि अजमेर में १८ मील बनाई गई, अलवर में ३९ मील बनाई गई, जयपुर में ४१ मील बनाई गई, गंगानगर में ६७ मील बनाई गई, बाड़मेर में २८ मील बनाई गई और आपके जोधपुर में १३ मील बनाई गई, सिरोही का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ११ मील बनाई गई है । इस तरह से भरतपुर को, इन डिस्ट्रिक्ट्स के मुकाबले में पीछे ही रखा है । इसके बाद इम्प्रूवमेंट का जो दूसरा विंग है, रोड्स के इम्प्रूवमेंट के बारे में, उसमें भी भरतपुर की पूरी उपेक्षा की गई है । मैं आपके सामने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के आंकड़े रखूंगा तो उससे स्पष्ट हो जायगा कि रोड्स का जहां तक इम्प्रूवमेंट का सवाल है, वहां विभाग ने भतरपुर की काफी उपेक्षा की है । अजमेर के अन्दर ४१ मील रोड्स का इम्प्रूवमेंट हुआ और भतरपुर में केवल १४ मील का इम्प्रूवमेंट हुआ, अलवर में ३१ मील का इम्प्रूवमेंट हुआ, झुंझुनू में १४ मील का इम्प्रूवमेंट हुआ, जयपुर में १८ मील का इम्प्रूवमेंट हुआ, सवाई माधोपुर में ३४ मील का इम्प्रूवमेंट हुआ, टौंक में १६ मील का इम्प्रूवमेंट हुआ, पाली में ३५ मील का इम्प्रूवमेंट हुआ, झालावाड़ में २० मील का इम्प्रूवमेंट हुआ, कोटा में २० मील का इम्प्रूवमेंट हुआ, बांसवाड़ा में १५ मील का इम्प्रूवमेंट हुआ और इस तरह से....

श्री चन्दनमल बैद (सरदार शहर) : चूरू ?

डॉ० बहादुरसिंह : चूरू में बहुत बड़ा नेशनल हाईवे बनने जा रहा है ।

श्री चन्दनमल वैद : आप बना रहे हैं?

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : आप एक साल का बता रहे हैं।

डॉ० बहादुरसिंह : एक साल का बता रहा हूँ। गत साल के माननीय मन्त्री हैं नहीं, ये मन्त्री नहीं थे, मौजूदा मन्त्री महोदय ने थोड़ी बहुत कृपा की, जिससे सम्भवतयां थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई है। माननीय मन्त्री के सामने इसलिए आंकड़े रखे हैं....

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : ज्यादा गुंजाइश नहीं है कि आगे बढ़ायें।

डॉ० बहादुरसिंह : पहले एक नौ मील का टुकड़ा था जो नहीं बन पाया था, जब तक मैं सदन में नहीं चिल्लाया। मैं समझता हूँ वह पूरा हो रहा है।

मैं निवेदन कर रहा था कि भरतपुर की उपेक्षा हुई है रोड्स के बारे में, उस सम्बन्ध में भविष्य में ध्यान रखा जायगा और कम से कम उपेक्षा की दृष्टि से भरतपुर को अब न देखा जाय और रोड्स की जो डिमान्ड है उसको पूरा करने की कोशिश की जाय।

इस विभाग की एक दूसरी बात की ओर विशेष तौर पर ध्यान दिलाऊं कि लेबर वेलफेअर का काम है, उसके बारे में इस विभाग ने प्रगति की है। उसके आंकड़ों पर आप गौर करें तो अच्छा होगा क्योंकि जहां इस विभाग के द्वारा हम एक तरफ बेरोजगारी को दूर करते है दूसरी तरफ राजस्थान में निर्माण करते हैं। जहां तक इस विभाग का सम्बन्ध है, लेबर के मामले में काफी अच्छी प्रगति की है, ६०० स्किल्ड लेबर, ३२०० सेमी स्किल्ड लेबर और ३२,८०० नॉन स्किल्ड लेबर को इस विभाग ने १६५६–६० में काम दिया। इस विभाग द्वारा, ठेकेदारों द्वारा काम कराने वाली बात है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूँगा और मैं इस बात का पक्षपाती हूँ कि विभाग ठेकेदारी द्वारा काम न कराये। विभाग ने स्वत: काम किये हैं वे कहीं ज्यादा अच्छे साबित हुए हैं और लेबरर्स को उसमें पूरे पैसे प्राप्त होते है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि विभाग में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करें। हां, आपको एस्टेब्लिशमेंट पर थोड़ा ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। मेरा कटौती प्रस्ताव अधीक्षक अभियन्ताओं की पोस्ट्स को खत्म करने के बारे में है। मैं उस पर आना चाहता हूँ। अगर आप विभाग में ठेकेदारी को समाप्त करके विभाग द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करावें तो आपको ज्यादा सुविधा होगी। आपके ५ अधीक्षक अभियन्ता हैं और एक अधीक्षक अभियन्ता गांवों के लिये है, इस प्रकार ६ अधीक्षक अभियन्ता हैं, दो एडीशनल अभियन्ताओं को और जोड़िये। इस तरह विभाग का खर्चा बढ़ता है। यदि ठेकेदारों द्वारा कार्य कराने के स्थान पर विभागीय कार्य कराना शुरू कर दें तो ये अधीक्षक अभियन्ताओं की पोस्ट्स कम हो सकती हैं और ऐसा करने से जो ४० हजार मजदूर आपके विभाग के आश्रित हैं, उनको पूरा पैसा मिल सकेगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह पॉलिसी मेटर है, इस पर सरकार विचार

(श्री भीमसेन)

करेगी।

मेरे दो-तीन कटौती प्रस्ताव और हैं, उन पर मैं बिल्कुल संक्षेप में निवेदन कर देना चाहता हूँ। एक कटौती प्रस्ताव धौलपुर पुलिस स्टेशन के बारे में है, लैंड एक्वायर नहीं होने या विभागीय सुस्ती के कारण वह काम रुका पड़ा है, इसमें शीघ्रता करें तो अच्छा है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से धौलपुर एक डिस्टर्ब्ड एरिया है, अच्छा पुलिस स्टेशन नहीं हो तो वहां लॉ एन्ड ऑर्डर ठीक तरह से मेन्टेन नहीं किया जा सकता।

एक कटौती प्रस्ताव और है, भूतपूर्व सैनिकों की बैरेक्स के बारे में। ये बैरेक्स बेकार पड़ी हुई हैं। पूरी तरह तो मुझे मालूम नहीं कि ये आपके विभाग के अन्डर में हैं या नजूल की सम्पत्ति हैं। नजूल की सम्पत्ति तो हो नहीं सकतीं, पी. डब्ल्यू. डी. की ही होंगी। तो या तो इस प्रोपर्टी को म्युनिसिपैलिटी को ट्रान्सफर कर दिया जाय या लोगों को रहने के लिये दे दिया जाय या बेच दें।

अन्त में मैं वही निवेदन करूंगा कि धौलपुर की रोड्स के मामले में जो उपेक्षा की गई है इस ओर अवश्य ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष : रावराजा श्री सरदार-सिंह।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा इस मांग पर एक कटौती प्रस्ताव है....

श्री उपाध्यक्ष : एक ही सड़क का है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पढ़ं क्या साहब ?

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ा हुआ ही है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मेरा क्षेत्र आपसे छुपा हुआ नहीं है। मेरा क्षेत्र सेंटर से एडमिनिस्टर्ड है, सेंटर से जो हुक्म होता है वही वहां होता है। इसलिये कर्मचारियों को दोष नहीं देना चाहता। पर दो-चार बातें मैं अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। ५२ से पंचवर्षीय योजना शुरू होती है। उसमें इस क्षेत्र में सड़क बनाने के लिये धन-राशि ले ली जाती है, इसके बाद क्या होता है, मैं अर्ज करूं, लाखेरी से टौंक वाया उनियारा, खातोली, इन्द्रगढ़ होती हुई सड़क के लिये ८६६ हजार रुपये की मन्जूरी ५२ से चली आ रही है। हां, हां, आपने दिलाई है, हम बड़े आभारी हैं आपके....

श्री उपाध्यक्ष : किसकी तरफ इशारा है ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : पहले मिनिस्टर थे। जिस डिविज़न से मिनिस्टर आये, इन्द्रगढ़ से बांसोली तक तो बन गई, पर बाकी की उनियारा से १० मील का टुकड़ा पड़ा हुआ है, वह आज तक नहीं बना है। यह सड़क बड़ी ही इम्पोर्टेन्ट है। सीमेंट की बड़ी स्केयरसिटी है, यहां सीमेंट मिलती नहीं है। सवाई माधोपुर में अभी सीमेंट का कार-

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

खाना हुआ, टौंक से सवाई माधोपुर सड़क बड़ी है, पहले लाखेरी से सीमेंट आती थी तो ६० मील का चक्कर पड़ता था, अब वह ६० मील का चक्कर सवाई माधोपुर से सीमेंट लाने से नहीं पड़ता। पर आज तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। मैंने सदन में कई बार निवेदन किया, पर बड़ी शर्म आती है कहते हुए कि केबिनेट ने डिसीज़न ले लिया है कि यह धन-राशि जो इसके लिये स्वीकृत है वह और दूसरी जगह लगाई जाय। जिस समय चुनाव आयें तो कहते है, यह रकम लगाई जाती है, चुनाव का काम निकला और कह देते हैं कि यह रकम दूसरी जगह देते हैं, यह आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है। मेरे क्षेत्र में टोडा से नासिरदा, नेगड़िया सड़क मिलाने का था, मंजूरी दे दी, ठेका दे दिया, मेटीरियल इकट्ठा हो गया, पर बाद में कहा जाता है कि बनास का प्रोजेक्ट बना रहे हैं; नासिरदा थांवला डूब में आयेंगे इसलिये यह सड़क नहीं बनेगी।

मैंने सदन में एक कवेश्चन किया था, उसका जो जवाब दिया उसकी प्रतिलिपि मेरे पास है। उन्होंने कहा था कि नासिरदा और थांवला बनास की डूब में नहीं आवेंगे। जब वे डूब में नहीं आते तो यह सड़क बड़ी इम्पोर्टेन्ट है टोडा से डाइरेक्ट नासिरदा, थांवला होती हुई केकड़ी तक की बना दें....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे तो माननीय उपाध्यक्ष, अभी दो मिनट ही हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मिनट तो मेरे पास रहते हैं, आपके पास थोड़े ही रहते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी कॉन्स्टिट्यु-एन्सी के साथ आपका बर्ताव अच्छा नहीं। यह जो धनराशि स्वीकृत कर दी गई है, कम से कम प्रायोरिटी इसको देनी चाहिये। अब तो मिनिस्टर उधर की साइड के आये हैं। सड़क बन जायगी तो जब कभी काम पड़ेगा तो जल्दी आजावेंगे। अब तो सीमेंट भी वहां आसानी से लाई जा सकती है, इसलिये मेरा निवेदन है कि उनियारा तक मिलाने की जल्दी करें। जब इसके लिये ८ लाख रुपये की धन-राशि रखी है तो इस पर क्यों नहीं लगाते हैं? नाम तो है इन्दरगढ़ वाया उनियारा टौंक सड़क का और दूसरी जगह वह धनराशि लगाते हैं, यह न्याय नहीं कहा जा सकता। नासिरदा टू थांवला बड़ी इम्पोर्टेन्ट सड़क है, नासिरदा बड़ा अच्छा कस्बा है, वहां ४ हजार की आबादी है और बनास के प्रोजेक्ट से भी यह इफेक्टेड नहीं होता।

तीसरी बात, मन्त्री महोदय स्वयं जानते होंगे। माननीय उपाध्यक्ष भी पधारे होंगे, मेरा राजमहल है, बड़ी अच्छी जगह है....

श्री उपाध्यक्ष : आपके राजमहल ने कभी आतिथ्य नहीं दिया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : राजमहल ऐसी अच्छी जगह है, ऐसा उपयुक्त स्थान है कि बाहर के टूरिस्ट्स आते हैं तो वहां जाते हैं। तो मन्त्री महोदय से निवेदन करूं कि अगर आप मेरे कहने के ऊपर नहीं बनाना चाहते हैं तो जो रिमेनिंग सड़कें रही हैं, जो

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी रह गईं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी रह गईं इनको जरूर बनायें। इसके लिये सीमेंट, कातले और पट्टी आने में भी बड़ी सहूलियत रहेगी। इन्दरगढ़ से उनियारा की सड़क बड़ी इम्पोर्टेन्ट है। बात यह है कि कल एक क्वेश्चन किया गया था, उसके जवाब में कहा कि सवाई माधोपुर से उनियारा सड़क पर ५० नाले आते हैं, सड़क तो बनी दी, नालों का कोई प्रबन्ध नहीं है। तो यह तो वही मिसाल हुई कि तालाब तो बना दिया, पर नहरें नहीं बनाईं, तो वह तालाब बनाया हुआ किस काम का? तो इसी तरह नाले नहीं बनाने से सड़क किस काम की? तो मेरा निवेदन है कि जो सड़क बनाई जाय तो नाले भी बनाये जायं। यह सड़क बड़ी इम्पोर्टेन्ट है। सीमेंट के कारखाने लाखेरी में सवाई माधोपुर में हैं, इनके लिये यह सड़क बड़ी काम की है, बड़ी ही इम्पोर्टेन्ट है। तो मेरा सरकार से और मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इस सड़क को अभी नहीं तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में अवश्य लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मांग पर मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। पहला है कि जितने भी विभागीय कार्य होते हैं वे सहकारी समितियों द्वारा कराये जावें, इस सम्बन्ध में है। हमारे यहां जितने भी विभाग के काम होते हैं वे ज्यादातर व्यक्तिगत ठेकेदारों से कराये जाते हैं। इससे एक तरफ तो ठेकेदार ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ वह ठेकेदार इस बात का ख्याल रखता है कि ऐसा सामान लगाया जावे जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा और नफा मिल सके। अगर सहकारी समितियों द्वारा यह कार्य कराया जावेगा तो एक तरफ हमारे मजदूरों को लाभ होगा और सहकारी समितियों को भी लाभ होगा और जब सहकारी समितियों को लाभ होगा तो उस लाभ का हिस्सा मजदूरों को भी मिलेगा। इसके अलावा वे अच्छा सामान काम में लावेंगे और हमारा निर्माण—कार्य जो भी होगा वह बहुत मजबूत होगा। इसके अलावा दूसरा लाभ यह भी होगा कि आज कल जितना रुपया हमारे कर्मचारियों की जेब में, ठेकेदारों के साथ बंधा हुआ पर्सेन्टेज है वह व्यक्तिगत जेब में नहीं जावेगा और हमारे मजदूरों को उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिल सकेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी विभागीय कार्य हों वे ठेकेदारों से न करा कर वा सहकारी समितियों की मार्फत करवाये जावें।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की नीति यह है कि हमारे सभी कार्य धीरे धीरे सहकारी समितियों के द्वारा कराये जावें। लेकिन जहां सरकार की एक तरफ यह नीति है उधर दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी यह चाहते हैं कि यह नीति असफल हो और वे सहकारी समितियां द्वारा काम कराने की नीति को असफल बनाना चाहते हैं। उनका लक्ष्य होता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि किसी न किसी तरह से इसमें गड़बड़ी हो। अतः वे यह कहते हैं कि शिड्यूल्ड रेट से मजदूरों को पैसा दिया जाए। मैं यह कहूँगा कि हमारे बीकानेर में सन् ५५—५६ में शिड्यूल्ड रेंटस बने हैं और वे अभी तक

(श्री भीमसेन)

रिवाइज़ नहीं हुए हैं। विभाग वाले कहते है कि जो शिड्यूल्ड रेटस बने हुए हैं उनसे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते। इसलिये सरकारी कर्मचारियों की यह नीति है कि कम रेट दिया जावे और पुराने रेट किसी तरह से ऐसे नहीं हैं जिससे कि वे किसी दूसरे के साथ कम्पीट करने का साहस करें और जब वे कम्पीटीशन में नहीं रह सकते तो फैल हो जाते हैं। इसलिये जो बढ़े हुए भाव हैं उनके अनुसार रेट में चेन्ज किया जावे तो सरकार की यह नीति अमल में लाई जा सकती है। इसलिये मैं दूसरे कटौती प्रस्ताव द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि रेट्स पुराने हैं, उनको रिवाइज़ किया जाये और सहकारी समितियों को काम दिया जावे और अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो सरकार की यह नीति किसी भी प्रकार से कार्यान्वित नहीं की जा सकेगी। इन प्रस्तावों द्वारा मैंने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि शिडयूल ऑफ रेट्स को अप-टू-डेट रखा जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस मांग पर दो कट मोशन्स हैं; न० १३ और १४। कट मोशन १३ जो है उसमें फुलेरा और सांभर के बीच में रेल्वे लाइन पर लेवल क्रोसिंग लोज के लिये एडीक्वेट एरेन्जमैंट करने के लिये है। इस सम्बन्ध में २॥ वर्षों से रेल्वे डिपार्टमेंट से मेरी कोरेस्पोन्डेन्स चल रही है। रेल्वे लेवल क्रोसिंग के कानून ऐसे हैं कि रेल्वे लाइन बनने से पहले अगर बनाते हैं तो वे लेवल क्रोसिंग बना देते हैं, लेकिन रेल्वे लाइन बनने के बाद रेल्वे का १८९६ का एक्ट है उसमें लेवलिंग होगा उसका खर्चा जो होगा व उसकी मैन्टीनेन्स का खर्चा स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट इस बात पर रजामन्द हो जावे तो दे देते हैं। पहले तो मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मैंने श्री जगजीवनराम बाबू को लिखा और उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट से लिखवा कर भेजो। मैंने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा, उन्होंने लिखा कि सड़क बना दें। उन्होंने कहा कि हम सड़क बना देंगे, लेकिन १८९६ के एक्ट के अनुसार आपको मेन्टीनेन्स का चार्ज जब तक लेवल क्रोसिंग रहेगा देना होगा। वहां के लोग इसके लिये श्रमदान देने के लिये तैयार थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम श्रमदान नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को हमें लिख कर देना चाहिये कि वे इसका भार बर्दाश्त करेंगे। सांभर की मंडी में जाने के लिये इधर से होकर जाना पड़ता है। अगर लेवल क्रोसिंग होता है तो हजार, दो हजार आदमी जो यहां रहते हैं उनको एक मील का फासला तय करना पड़ता है। अगर यह नहीं होता है तो करीब तीन मील उधर और तीन मील इस तरफ यानी ५ या ६ मील का चक्कर लगा कर आना पड़ता है, एक गांव से दूसरे गांव को जाना पड़ता है। मैं इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि लेवल क्रोसिंग नहीं होने से उन लोगों को ट्रान्सपोर्ट में बहुत दिक्कत रहती है और अपनी प्रोड्यूस को मार्केट करने में बहुत समय वेस्ट करना पड़ता है, इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि इसके लिये खर्चा

(श्री पी० के० चौधरी

सरकार को ५०) या ६०) रु० सालाना देने की गारन्टी देनी पड़ती है । इस प्रश्न को माननीय मंत्री महोदय ने टेक अप किया है। मगर डिपार्टमेंट वालों ने कहा है, ऐसा मुझे मालूम हुआ है कि ता-जिन्दगी ऐसी गारन्टी क्यों की जावे, इसमें कमी की जावे । मैं यह कहूंगा कि कम करना आपके हाथ में नहीं है। It amounts an amendment to the Indian Railways Act, जो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती । मैं यह कहूँगा कि ५०) रु० देने के लिये फाइनेन्स विभाग तैयार नहीं होता है । इस प्रकार का रिजिड एप्रोच है, जो आज फ्लेक्सिब्ल होना चाहिये। इससे कितनी फेसिलिटी लोगों को अपनी प्रोड्यूस को मार्केट में ले जाने को मिलेगी ? उनको ब्लॉक हैड क्वार्टर में जाना पड़ता है । इन सारी बातों से जो वेस्टेज समय आदि का होता है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और ५०) रु० की तरफ ध्यान दिया जाता है । क्यों नहीं आप इस रूल को मोडीफाई कराते ? यह तभी मोडिफाई हो सकता है जब रेल्वे मिनिस्टर इसको मोडिफाई करेंगे । लेकिन इस बात को मान कर चलें कि इस रेल्वे क्रोसिंग से जनता को बहुत फायदा होगा। मैं तो यह आपको बताना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट का एटीच्यूड कितना रिजिड है । यह लेवल क्रोसिंग बने या न बने, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट का एप्रोच कितना रिजिड है ; unimaginative और rigid approach है । इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिये लाया हूँ ।

दूसरा जो मेरा कट मोशन है वह है फुलेरा से रेनवाल और फुलेरा से बीचूण सड़क के बारे में। पिछले साल माननीय मंत्री महोदय ने मंजूर किया था और रुपया भी सेन्क्शन कर दिया था, लेकिन काम शुरू हुआ था उसको मैंने देखा है और वह लग-भग १॥ महीने पहले ही शुरु हुआ है । मार्च महीने में जितना काम हो जायगा वह हो जायगा और जो पिछले साल रुपया दिया गया था वह आगे के लिए लैप्स हो जायगा । इसलिए मैंने ध्यान दिलाया इसके जरिये से । महीने में तीन दफा तो मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाता हूँ । वे उनके डिपार्टमेंट को कहते है । मेरे मित्र हैं, जितना कहना चाहिये उतना तो कह देते हैं । लेकिन उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट का ढांचा मुझे ऐसा लगता है कि काम नहीं होता है । अप्रेल में रुपया मंजूर होता है उस वर्क का, जॉब का ऑपरेशन शुरू होता है वह दिसम्बर में जाकर होता है । कुछ सड़कों का दिसम्बर में जाकर कॉन्ट्रेक्ट दिया जाता है, जनवरी—फरवरी में जाकर काम करते हैं । दो महीने में सारा रुपया खर्च करना चाहते हैं वह नहीं होता है । इसलिए इस कट मोशन के जरिये डिपार्टमेंट का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यह जो सिस्टम है, रुपया सैंक्शन होने के बाद ६—१० महीने का समय चला जाता है, before any initiation is made in the job, एक्चुअल एग्ज़ीक्यूशन नही होता है । उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए, डिपार्टमेंट में चेन्ज है, या जो प्रोसीजर है उसमें चेन्ज करने का हो या और कोई चेन्ज करना हो, फाइनेन्शियल रूल्स में चेन्ज करना हो तो किये जाय जिससे कि इमीजियेटली काम हो सके । हम हमेशा कहते हैं, एग्ज़ीक्युटिव है, मशीनरी है उसको टोन अप करना चाहते

(श्री पी० के० चौधरी)

हैं और उस लेवल पर लाना चाहते हैं कि पेस ऑफ डेवलपमेंट है वह मूव हो; Second Plan Development allocation थर्ड प्लॉन में डबल से ज्यादा है। यदि पेस ऑफ वर्क यही रहा तो मैं नहीं समझता we can succeed in fulfilling our plan targets. डिले एग्जीक्युशन में किस प्रकार होती है, शॉर्ट फाल होता है। हां, फन्ड्स को दूसरी जगह ट्रान्सफर कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक जॉब के लिए रकम रखते हैं वह उसमें यूटिलाइज़ नहीं होती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो रुपया पिछले साल सैंक्शन किया था और इस साल ड्रॉ नहीं हो पायगा, उस रुपये का जो लेप्स होगा इसको इस जोब के लिए अलॉट कर देंगे, यह मेरा इस कट मोशन के जरिये निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनाराम।

(अनुपस्थित)

कटौती प्रस्तावों सम्बन्धी औचित्य प्रश्न

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, श्रीमान् मैं एक आपत्ति उठाना चाहता हूँ। जिस मांग पर बहस कर रहे हैं उसके सम्बन्ध में मैंने भी दो कटौती प्रस्ताव दिये थे। मैं देखता हूँ कि वे सर्क्युलेट नहीं हुए हैं और न ही उनको सूची में लिया गया है। जहां तक मेरा अन्दाज है, सही स्थिति नहीं कह सकता....

श्री उपाध्यक्ष : When they were submitted ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : कल मैंने दिये।

श्री उपाध्यक्ष : टाइम ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : करीब ३-३। बजे दिये। मैं जानता नहीं, सूचना मुझे नहीं दी गई है कि क्यों नहीं सूची में लिये गये। अगर समय के कारण से नहीं लिये गये हों तो मेरी आपत्ति है रूल १४८....

श्री उपाध्यक्ष : Let me ascertain the position whether they are at all there or whether they have been disallowed ..

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : You may kindly enlighten me as also the House on this point.

श्री उपाध्यक्ष : Till I verify the position we proceed on with the debate Your point of order will be entertained later on. Yes, Shri Hori Prasad yadav.

मांग संख्या २६–नागरिक निर्माण कार्य इत्यादि

(पूर्व क्रम से)

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-मु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कट मोशन मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण कार्यों आदि में पी. डब्ल्यू. डी. की ओर से जो शिथिलता बरती गई है उस पर बहस करने के लिए है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब भारत की पंचवर्षीय योजनायें शुरू हुई तो राजस्थान में पहली पंचवर्षीय योजना में सड़कों के निर्माण की बात सोची गई। उसके बाद दूसरी

Page No.70

(श्री हरिप्रसाद यादव)

पंचवर्षीय योजना में सड़कों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा होता रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट दिये गये हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य के विषय को लेकर अर्ज कर दूं। पांच मिनट और बढ़ा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : समय नहीं बढ़ाया जायगा। जो कुछ फर्माया जावेगा वह टाइम में ही होगा।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय, राजा साहब का ध्यान दिलाऊं कि आज जो सड़कों की हालत दूसरी पंचवर्षीय योजना में रही है, उसकी आज की स्थिति को देखते हुए इससे यह अन्दाज लगाया जा सकता है कि आने वाले अगले पांच वर्षों में तीसरी योजना के काल में ये सड़कें पूरी होने वाली नहीं हैं। मेरे क्षेत्र के लिए निवेदन करूं कि वल्लभनगर, भोपालसागर, लसाड़िया, लसाड़िया में जवाहर कोलोनी है, उसकी शुरुआत ढेबर भाई के हाथों से हुई थी। भारत सरकार ने कई बार पी. डब्ल्यू. डी. से लिखा-पढ़ी की कि जवाहरनगर से बानसी तक की जो कच्ची रोड है वह पक्की बना दी जाय। बानसी से कानोड़, कानोड से भींडर, भींडर से दांडिया, आकोला और आकोला से भोपालसागर, भोपालसागर से जासमा, रेलमगरा, रेलमगरा से होकर गंगापुर, पोटला रोड का कार्य चल रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष भी मैंने माननीय मंत्री जी, राजा साहब से निवेदन किया था कि ये दो मेन रोड्स हैं, शुगर केन एरिया से लगी हुई हैं, उदयपुर से नाहरामगरा, नाहरामगरा से मावली, मावली से फतहनगर, फतहनगर से काकरवा, कपासन और चित्तौड़ निकल रही है। ये दो मेन रोड्स चित्तौड़ जिले के अन्दर....

श्री उपाध्यक्ष : आपका कट मोशन तो विभागीय शिथिलता के ऊपर बहस करने के लिए है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री हरिप्रसाद यादव : सड़कों के लिए जोर दे रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : विभागीय शिथिलता पर बोल सकते हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव : शिथिलता बरती जा रही है सड़कों के बनाने में राजा साहब के डिपार्टमेंट की ओर से, उस पर ही तो बता रहा हूँ। राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं में सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। राजा साहब के विभाग के जो एक्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर्स हैं, हमारे जिले के, उदयपुर में एक्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर हैं भार्गव, उनके बारे में राजा साहब का ध्यान दिलाऊं कि जब जिला परिषद् उदयपुर की बैठकें होती हैं, जिस सड़क के लिए कहते हैं, तो वे कहते हैं कि तीन महीने में पूरी हो

(श्री हरिप्रसाद यादव)

जावेगी। यह तीन महीने का कितना अर्सा होता है? जब कि सड़कें पूरी नहीं होती। मैं अर्ज करूं कि सड़कों के नाम से पी.डब्ल्यू.डी. भारत सरकार से करोड़ों रुपया निगल गया है। सड़कें बनाई जाती हैं, ६ मील का टुकड़ा बन नहीं पाता कि पीछे से रिपेयर शुरू हो जाती है। एक सड़क बनाई गई भोपाल सागर से कपासन तक। उसको तीन-चार बार पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा मरम्मत की गई और वह सड़क फिर टूट गई। बैलगाड़ी २० मन गन्ना लेकर चलती है........

श्री उपाध्यक्ष : टूटेगी नहीं तो क्या करेगी?

श्री हरिप्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, तीन टन माल का ट्रक लेकर चलेंगे तो फिर राजा साहब की सड़कों का पता ही नहीं लगेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब को यह चेतावनी दे दूं कि वहां की सड़कों को पूरी तरह से ठीक बना दीजिये जिससे कि जनता के अभाव अभियोग पूरे हों। शुगर केन के लिए आने जाने के लिए भी सड़कों की जरूरत है; जैसे आदमी को पहले कपड़े की जरूरत नहीं होती, पहले तो खाने की जरूरत होती है उसी तरह से राजस्थान के निवासियों को माल लाने और ले जाने के लिए सड़कों की जरूरत होती है। मेरे इस प्रस्ताव के जरिये राजा साहब हरिश्चंद्र जी को यह बधाई भी दूंगा कि साल भर में सड़कें पूरी कर देंगे तो अगले साल भोपाल सागर शुगर मिल चलेगा। वहां पर एक डबल प्लान्ट लगाया गया है, शुगर बना कर आपके लिए कारखाने से आती है, वह तरक्की कर रहा है और आगे और कर सकता है और वह ६० लाख रुपया आपकी गवर्नमेन्ट को एक छोटा सा इलाका दे रहा है। तो मैं निवेदन करूं कि उदयपुर डिविज़न में तीन चार मेन रोडस का कार्य चल रहा है। इन सड़कों का काम यदि यह भार्गव इन्जीनियर रहा तो उदयपुर क्षेत्र में तो मुझे आशा नहीं है कि वे पूरी हो जावेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर!! अधिकारियों के नाम प्रायः नहीं लिये जाते हैं। बहस में आप तो शिथिलता पर ही बोलिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : फिर 'राजा' के नाम से चिढ़ भी है।

श्री हरिप्रसाद यादव : अभी आपने जो फरमाया उसके लिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहमत हूँ। किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिये। लेकिन मैं राजा साहब से साल भर से निवेदन कर रहा हूँ। वे ठीक व्यक्ति नहीं हैं। आप उनकी जगह माथुर, गुप्ता, शर्मा, वर्मा किसी को भेज दीजिये। मुझे कोई एतराज नहीं है और मैं यही कहूँगा कि इन्हीं के कारण हमारे यहां सड़कों के बनने में शिथिलता है। अब रहा सवाल राजा साहब के डिपार्टमेन्ट का।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप 'महा' और लगा दीजिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : आप भी 'राजा' हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजा साहब तो इन कामों को पूरा करवाना चाहते हैं लेकिन आपके विभाग से जो कॉन्ट्रेक्ट दिया जाता है वह ए.

(श्री हरिप्रसाद यादव)

क्लास कान्ट्रेक्टर को दिया जाता है, हो सकता है उस ठेकेदार से उनका कुछ स्वार्थ सिद्ध होता हो....

श्री उपाध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं, आपका कटमोशन है शिथिलता पर। आप उसी पर बोलिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं अगर इस विषय को नहीं लेऊंगा तो राजा साहब नहीं समझ पायेंगे, मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि यह जो शिथिलता है वह किस कारण से है और इस शिथिलता पर राजा साहब क्यों बैठे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप भाषा पर संयम रखें।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं हिन्दी में बोल रहा हूँ बृज भाषा में बोल रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन संयम और सीमा में रहते हुए !

श्री हरिप्रसाद यादव: राजा साहब का विभाग है, वह जो सड़कों का ठेका देता है वह 'ए' क्लास कॉन्ट्रेक्टर को देता है और वह ठेका करीब दस लाख रुपये का होता है। मेरा उनसे निवेदन है कि हमारे नाथूरामजी की बहुत सी सहकारी समितियां इस प्रकार की बनी हुई हैं जो लेबर कॉन्ट्रेक्ट लेती हैं सामुहिक ढंग से काम करने लिये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, आप उनको पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का ठेका दें। आपने जब यह उसूल बना रखा है कि को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्राथमिकता दें, तो आपको इसके लिये भी इन्हीं को तरजीह देनी चाहिये। भारत सरकार ने और राजस्थान सरकार ने सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जाय, इस बात को माना है। उसके बाद मेरी समझ में यह नहीं आता कि आपका विभाग केवल बड़े ठेकेदारों को ही यह काम क्यों देता है। अतः मेरा निवेदन है कि आप 'सी' क्लास के ठेकेदार को भी प्राथमिकता दें।

इस प्रस्ताव के जरिये मैं सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वे सहकारी समितियों को प्राथमिकता देकर हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग के जरिये जो सड़कें और बिल्डिंगें अधूरी बनी हुई पड़ी हैं उनको पूरा करवाने की कृपा करेंगे।

(२.०४ म० प०)

कटौती प्रस्तावों की अस्वीकृति सम्बन्धी औचित्य-प्रश्न

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व): I have got two cut motions.

श्री उपाध्यक्ष : For want of due notice they have been disallowed.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : In that case I would raise a point of order under Rule 148. I think this Rule has been flagrantly violated in deleting my cut motions and the business of the House has been obstructed. The Rule reads:—

"If notice of a motion to reduce any demand for grant has not been given one day previous to the day on which the demand is under considera-

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

tion, any member may object to the moving of the motion, and such objection shall prevail, unless the Speaker allows the motion to be made."

उपाध्यक्ष महोदय, इसका सीधा सा अर्थ यह होता है कि समय के पश्चात् कटमोशन दिया जाता है तो हमारा सेक्रेटेरिएट बिना रूल्स को देखे हुए रिजेक्ट नहीं कर सकता। उसके लिये सदन में कोई भी सदस्य आपत्ति उठा सकता है कि समय के अन्दर नोटिस नहीं आया है, इसलिये इसको रिजेक्ट किया जाय; उस पर भी माननीय अध्यक्ष महोदय चाहें, इस प्रकार की आपत्ति के बावजूद भी वे उसको मूव करने की परमिशन दे सकते हैं; मगर बाला-बाला सदन के सामने लाये बगैर ही सेक्रेटेरिएट द्वारा रोक देना, मैं समझता हूँ, उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं श्रीमान् की रूलिंग चाहता हूँ, इस तरह की कार्यवाही रोजमर्रा हमें देखने को मिलती है। यह एक प्रकार से सदन के सदस्यों के अधिकारों पर कुठाराघात है।

श्री उपाध्यक्ष : कुठाराघात का प्रश्न कहां से पैदा हो गया? "If notice of a motion to reduce any demand has not been given one day previous to the day on which the demand is under consideration, any member may object..." That means there are grounds for rejection, if it is not submitted a day before.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : श्रीमान्, मैं फिर अर्ज करूंगा, रूल १४६ को भी देखा जाय। रूल १४६ में १३ कन्डीशन्स लिखी हुई हैं। इन कन्डीशन्स के अन्तर्गत टकराने से कटमोशन इन-एडमिसिबल हो सकता है। उन कन्डीशन्स में से समय से पहले नोटिस देने की कोई कन्डीशन नहीं है। निर्दिष्ट समय के बाद भी १४६ के अन्तर्गत इन-एडमिसिबल नहीं है, उसके लिये सदन के अन्दर सदस्य एतराज उठा सकते हैं, मगर उसे दफ्तरी कार्यवाही से एडमिट होने से रोका नहीं जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष : You mean to point out that the notice of cut motion, if it was intended to be a ground for rejection, ought to have been included in Rule 146?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : १४६ में जो कन्डीशन्स दी गई हैं उनमें कटमोशन्स रिजेक्ट किये जा सकते हैं, लेकिन उसमें लेट नोटिस आने पर रिजेक्ट किया जा सकता है, यह प्रावधान नहीं है। उसके लिये १४८ साफ कहता है कि लेट नोटिस आने के बाद भी कोई आपत्ति उठाने का हकदार है तो वह सदन है, सदन के माननीय सदस्य हैं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : I think the Hon'ble member has given the most correct interpretation to it You cannot render it inadmissible on account of short notice. The Hon'ble member has a right to move it and speak on it and it is only for the Hon'ble members of this House to object to it and not for any body else.

(श्री पी. के. चौधरी)

इस रूल के मातहत कोई भी कट मोशन ऑफिस कार्यवाही के जरिये डिस-अलाउ नहीं किया जा सकता ।

श्री उपाध्यक्ष : Which means that the question of notice is almost immaterial?

श्री पी. के. चौधरी : Notice is material if the Hon'ble members object. The office cannot say that because it has not been received within time, therefore, it has been disallowed. The member can move it, but if any member objects to it the objection shall prevail unless the Speaker allows the motion to be made.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : श्रीमान् आप रूल १४८ को ध्यान से देखें। इसमें साफ लिखा हुआ है कि स्पीकर महोदय, किसी सदन के सदस्य के आपत्ति करने के बावजूद भी, लेट नोटिस आने के बावजूद भी, उस आपत्ति को काट कर पर्मिशन दे सकते हैं; इसको काट नहीं सकते, यह कार्यालय के हाथ में नहीं रहता । स्पीकर महोदय को शक्ति दी है, चाहे मेरा कट मोशन लेट आया हो, मुझे वे पर्मिशन दे सकते हैं, मेरे हक का हनन नहीं कर सकते । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस बारे में स्पीकर महोदय को सेक्रेटेरिएट द्वारा करेक्ट गाइडेन्स नहीं दी जाती है ।

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Mahender Singh, I think you will not go to that extent.

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बून्दी) : उपाध्यक्ष महोदय, इसका दूसरा पहलू भी है । जब कट मोशन आये और अगर वह सदन में पेश होता है तो ऑब्जेक्शन के आधार पर उसको पेश नहीं करने दिया जा सकता, लेकिन अध्यक्ष महोदय को अधिकार है कि अगर टाइम के अन्दर भी कोई कट मोशन पेश नहीं होता है, उनके डिसक्रीशन पर वे बोलने के लिये, उसको मूव करने के लिये इजाजत दे सकते हैं ।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Please substantiate from rules.

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble the Speaker has discretion on both the counts. Even though objection has been raised, then too the Hon'ble Speaker can allow it.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : If the objection is not raised, then also he can reject it.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : No, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : You mean to say that if no objection is raised then every cut motion, which is lacking so far as notice time is concerned, has to be treated as admissble ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : That is what the rule 146 says.

श्री बृजसुन्दर शर्मा : If the objection is made by any member, then it is allright. But if the objection is not

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

made, then also the Hon'ble Speaker can prevent its coming before the House.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : I would bring to your notice the provisions of Rule 147. It is of course for the Speaker to decide whether a cut motion is admissible or not, but the conditions of admissibility are all laid down in Rule 146. The Speaker is not authorised to withhold any cut motion from the House if it satisfies all the conditions laid down in Rule 146.

श्री उपाध्यक्ष : Rule 148 does not state about admissibility on the ground of notice.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : That is what I say. It does not deal with the question of admissibility at all, because short notice does not mean inadmissibility.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Mr. Sohan Lal Bhatnagar.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : This Rule is similar to Rule 171 which deals with amendments. यह जनरल प्रेक्टिस है, इसलिये सिद्धान्त भी यही रखा; this is the general practice.

श्री उपाध्यक्ष : I know the general practice, but let us consider the rules.

श्री पी० के० चौधरी : Rule 148 has been provided because the cut motion has to be sent to the Minister concerned and he has to prepare a reply and all that, but it does not make a cut motion inadmissible on the ground of short notice.

श्री उपाध्यक्ष : You mean that Rule 148 is quite independent of Rule 146 ?

श्री पी० के० चौधरी : Of course. Otherwise why it should be kept separately ?

श्री उपाध्यक्ष : We proceed on Mr. Mahander Singh. Till then I study the rules and then interpret the law.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Yes, the ruling may come later on.

श्री उपाध्यक्ष : Shrimati Ganga Devi Data.

(२. १२ म० प०)

मांग संख्या २६–नागरिक निर्माण कार्य इत्यादि

(पूर्व क्रम से)

श्री गंगादेवी डाटा (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २६ में मेरे कटौती के प्रस्तावों में से एक है रामगढ़ से अलावड़ा सड़क के बारे में ।

(श्रीमती गंगादेवी डाटा)

उपाध्यक्ष महोदय, विगत चार–पांच साल के राजस्थान के बजट को देखते हुए खुशी होती है कि इस विभाग ने वास्तव में काफी काम किया है जनता की सुविधा के लिये, पर दूसरी तरफ जिस क्षेत्र से मैं आई हूँ वहां की हालत को देखती हूँ तो दुख भी होता है कि उस क्षेत्र की इतनी उपेक्षा क्यों बरती गई जब कि और क्षेत्रों में काफी सड़कों का निर्माण हुआ ? आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि मेरे क्षेत्र में इस सारे अर्से में केवल दो मील का सड़क का टुकड़ा बना है और वह भी डामर होने से बाकी है। आखिर इसकी क्या वजह है ? मैं देखती हूँ कि योजना का जो रुपया खर्च किया जाता है उसके निश्चित नियम तो नहीं हैं कि इतना इतना रुपया निश्चित क्षेत्र में खर्च किया जाय, पर फिर भी यह अवश्य है कि आवश्यकता और जरूरी मांग को देखते हुए खर्च किया जाय। फिर क्या वजह है कि उस क्षेत्र में आज तक केवल दो मील सड़क का टुकड़ा बना ? या तो इसके लिये यह कहा जावे कि वहां इस तरह की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई या मंत्री महोदय ने वहां की आवश्यकता को बराबर नहीं रखा। हमने भी अपनी मांगें बराबर उनके सामने इस वर्ष भी और पूर्व में भी रक्खी हैं; बल्कि यहां तक कि जो एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर है उनके द्वारा भी प्रस्ताव खर्चे वगैरह के आंकड़ों सहित आये हैं। फिर क्या वजह है कि इस क्षेत्र की इस तरह से उपेक्षा बरती जा रही है ? तो क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक क्यों इस क्षेत्र की उपेक्षा बरती गई और अब क्या राहत देने जा रहे हैं ? मेरा तो निवेदन है कि वहां एक रामगढ़ से अलावड़ा का एक छः मील का टुकड़ा है। बरसात में चार महीने उसके ठीक नहीं होने से लोगों का आवागमन बन्द हो जाता है। इसलिये इसकी अत्यन्त आवश्यकता उधर के लोग महसूस कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस पर ध्यान दिया जावेगा और इस वर्ष इस सड़क को अवश्य ले लिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : बाकी के मेरे कटौती के प्रस्ताव बाद में लिये जावेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : पांच मिनट हैं आपके लिये।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : फिर तो मेरे लिये एक एक मिनट ही पड़ा, एक एक कट मोशन के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : जारी रखिये।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : दूसरा मेरा कट मोशन रामगढ़ हाई स्कूल के लिये है। पांच-छः वर्षों से इस स्कूल की बिल्डिंग अधूरी ही पड़ी है, हालांकि इसमें जनता ने और पंचायत समिति ने भी काफी रुपया लगाया है। पर फिर भी यह खम्भों तक ही आकर अधूरी पड़ी है। अगर इस पर सरकार ने और पैसा नहीं लगाया तो जो अब तक पैसा लगा है वह भी बेकार चला जावेगा क्योंकि बरसात में इसकी नींव में पानी भरने का डर है। काफी वर्षों से शिक्षा विभाग का भी नोटिस मिल रहा है कि यह पूरी नहीं की गई तो हाई स्कूल बिल्डिंग

(श्रीमती गंगादेवी डाटा)

तोड़ दी जावेगी। बच्चे भी आज तक बाहर बरान्डे में धूप में बैठते आ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय इस पर ध्यान देंगे।

तीसरा है मालाखेडा हाई स्कूल के बारे में। ३२ साल पुराना स्कूल था। इस साल वह हायर सेकन्डरी बनी। ५० हजार रुपया खर्च हुआ, इसमें से ७ हजार सरकार से मिला, बाकी जनता द्वारा लगा है। पर अब वह बिल्डिंग हायर सेकन्डरी के लिये कम पड़ती है। बच्चों के बैठने की दशा बड़ी सोचनीय है। इस बिल्डिंग को पूरा करना लाजमी मालूम पड़ता है। तो मन्त्री महोदय से खास तौर से निवेदन है कि यह पुराना स्कूल है और काफी लड़के हैं, इसकी बिल्डिंग पूरी करना आवश्यक है। इसे और थोड़ी धन-राशि देकर पूरा किया जावे।

चौथा मेरा प्रस्ताव है रामगढ़ ब्लॉक मिडल स्कूल के सम्बन्ध में। यह बिल्डिंग कस्टोडियन की है। कस्टोडियन बराबर नोटिस दे रहा है खाली करने का और कभी न कभी इसे खाली करना पड़ेगा। पर इस बस्ती की आबादी को देखते हुए जो कि पांच हजार से ऊपर की आबादी का कस्बा है, इसमें मिडल स्कूल जारी रखना जरूरी है। बीस साल से यह चल रहा है, पर बिल्डिंग की वजह से यह टूट जावे, यह दुःख की बात होगी। आज भी जिस कस्टोडियन की बिल्डिंग में यह स्कूल चल रही है वहां बच्चियों को खेलने के लिये ग्राउन्ड बिल्कुल नहीं है और इसकी वजह से वे खेलने से महरूम रहती हैं। जब भी खेल होते हैं तो वे बच्चे हमेशा पीछे रहते हैं। तो इसकी बिल्डिंग बनाना बहुत आवश्यक है और उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस बिल्डिंग को सरकार जल्दी से बनाने की कृपा करे क्योंकि वहां पर लड़कों का पहले ही स्कूल अधूरा पड़ा है, तो लड़कियों का बनना तो असम्भव सा प्रतीत होता है। सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और इसकी बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी किसी तरीके से बनवाये।

मेरा पांचवां कटमोशन बहादुरपुर कस्बे में मिडल स्कूल के सम्बन्ध में है। वह मिडल स्कूल जो लड़कों का है वह कस्टोडियन की बिल्डिंग में चला आ रहा है और वह कस्टोडियन की बिल्डिंग बहुत ही जीर्ण-क्षीण अवस्था में उनको मिली है और उसी अवस्था में लगभग अभी तक चली आ रही है। उसमें जो बच्चों की उपस्थिति है वह इतनी अधिक है कि बच्चों को चार महीने जब बरसात के दिन आते हैं तो छुट्टी कहीं बाहर करनी पड़ती है। उसको वजह से वहां का रिज़ल्ट भी मैं देखती हूँ कि अच्छा नहीं आ पाता है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

तो वहां का जो मिडल स्कूल है वह पूरा हो जाये, उसके लिए जनता भी कुछ रकम देने के लिए तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि जनता रकम देने के लिए तैयार नहीं हो। जितना उनके बंटवारे में आयेगा वह देगी और सरकार भी जो उदारतापूर्वक रकम दे सकती है वह दे, क्योंकि वह सबसे बड़ा कस्बा है और वहां के बच्चों की उपस्थिति देखते हुए

(श्रीमती गंगादेवी द्वारा)

बिल्डिंग मिडल स्कूल की जरूर बननी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय इसकी ओर ध्यान देंगे और बिल्डिंग के लिए रुपया देने की कृपा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मण हीरात।

श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा—सु०) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव मांग संख्या २६ पर है और मैं आपके द्वारा इस हाउस का ध्यान उस आदिवासी इलाके की ओर ले जाना चाहता हूँ कि जहां कोटड़ा, गोगुन्दा, फलासिया, खेरवाड़ा तथा सराड़ा तहसीलें हैं जो उदयपुर जिले की हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन तहसीलों के बॉर्डर पर गुजरात का राज्य लगा हुआ है और इधर राजस्थान आ जाता है। उस इलाके से लगी हुई कुछ सड़कें हैं जिनका नाम लेकर यहां जिक्र करना चाहता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक रोड जो भामेर से कोटड़ा आती है यह करीब २२ मील का टुकड़ा है और इस टुकड़े पर १९५५ में जब रिलीफ वर्क्स चालू हुए थे तब उस पर वर्क किया गया था। इसके बाद उस पर कोई वर्क नहीं किया गया और अब मामूली गैंग है और मामूली मिट्टी डाल दी जाती है। अच्छा हो कुछ रकम और मंजूर करके इस रोड को बनवा दिया जाये ताकि कोटड़ा और भामेर तहसीलें दोनों आपस में मिल जायें और उससे आने—जाने वाले लोगों को फायदा हो सकता है। उस पर आने-जाने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा है। इससे उसका डेवलपमेन्ट भी हो सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस इलाके से अधिकतर लोग बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए। जैसे अहमदाबाद, बम्बई वगैरह जाते हैं, क्योंकि वहां उनको मजदूरी ज्यादा मिलती है और हमारे इलाके में बहुत कम मजदूरी मिलती है। तो अगर सरकार वहां पर सड़कों पर ज्यादा काम कराये तो इससे मजदूरों को मजदूरी मिल जायेगी और हमारी आये दिन जो बेकारी बढ़ रही है वह भी कम हो जायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात पर इस हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वह यह है कि उधर बिल्कुल पहाड़ी इलाका है और उस पहाड़ी इलाके में पंचायत समितियों को जितना काम करना चाहिए उतना वह नहीं कर सकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पी० डब्ल्यू० डी० उस इलाके की तरफ कुछ ध्यान देकर कुछ रकम पंचायत समितियों को दे और वे पंचायत समितियां अपनी रकम को लेकर और इधर सरकार से जो सहायता मिले दोनों मिला कर एक गांव से दूसरे गांव को जाने वाली सड़कों का निर्माण करें और इससे एक गांव से दूसरे गांव को मिलाया जा सकता है और आसानी से उस इलाके का डेवलपमेन्ट किया जा सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां कई ऐसी सड़कें हैं जो एक तहसील से लेकर जिला और जिला से लेकर डिवीज़न को मिलाती हैं। जैसे कि उदयपुर डिवीज़न से जोधपुर डिवीज़न को मिलाने वाली सड़क जो राणकपुर होकर जाती है वह सेकण्ड प्लान में लेनी है लेकिन उस पर बहुत कम काम हुआ है। मैं समझता

(श्री लक्ष्मण हीरात)

हूँ कि तीसरा प्लान खत्म हो जायेगा तब भी वह सड़क पूरी होने वाली नहीं है। तो ऐसी सड़कें जो कि जिला और डिवीज़न को मिलाती हैं, उनको जल्दी से जल्दी बनाने के लिए हमारी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह से इस समस्या पर विचार किया जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर से गोगुन्दा जाने वाली रोड २२ मील का टुकड़ा है लेकिन वह टुकड़ा पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना गुजर गई है, लेकिन वह आज तक ठीक नहीं हुआ और उस टुकड़े पर आये दिन एक्सीडेन्ट्स होते रहते हैं और एक्सीडेन्ट्स के कारण उस पर एक-दो मृत्यु हर साल हो जाती हैं। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि जहां तहसील और तहसील हैडक्वार्टर्स हैं उनको मिलाने के लिए हमारी सरकार का ध्यान जाना ही चाहिए ताकि साल में बारहों महीने गाड़ियां आयें और जायें। लेकिन कोटड़ा और गोगुन्दा और फलासिया तहसीलों में तो बरसात के दिनों में आना-जाना बिलकुल बन्द हो जाता है और कहीं किसी गांव में डाका भी पड़ जाये तो उसका किसी को मालूम भी नहीं हो सकता। तो ऐसे इलाके को डेवलप करने के लिए हमारी सरकार का ज्यादा से ज्यादा ध्यान जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि हमें सारी योजनायें बन्द करके निर्माण कार्यों में ज्यादा रकम रखनी चाहिए। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यही विचार है कि आप चाहे दूसरी मदों में रकम नहीं दें लेकिन इनके लिए ज्यादा से ज्यादा रकम दें ताकि लोग एक गांव से दूसरे गांव में आसानी से जा सकें और कुछ डेवलपमेन्ट कर सकें। वहां ऐसी दिक्कतें हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे एक सड़क सरूपगंज से कोटड़ा और कोटड़ा से खैरवाड़ा और खैरवाड़ा से डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट और बांसवाड़ा जाती है, जो कि तीन-चार डिस्ट्रिक्ट्स को मिलती है, उस रोड की भी यही दशा है। लेकिन वहां कोई काम नहीं हुआ है, ऐसा मानकर चलना चाहिए। मैं समझता हूं कि वह काम बहुत मन्द गति से हो रहा है। इस विभाग की मन्द गति के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। उसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा है लेकिन फिर भी समय आ गया है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सड़कों की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि हम कुछ कर सकें। हो सकता है, राजस्थान में दूसरे इलाके में हम सड़कों पर कम ध्यान दें लेकिन हमारा इलाका ऐसा है कि जहां सड़कों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हम राजस्थान के दूसरे हिस्सों से बहुत पीछे रह जायेंगे। इसलिए मैं इन शब्दों के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इलाके की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रावतमल पारीख।

(अनुपस्थित)

(२. २५. म० प०)

कटौती प्रस्तावों की अस्वीकृति सम्बन्धी पुनः वाद-विवाद

Mr. Mahender Singh, there is

(श्री अध्यक्ष)

one difficulty with me.The intention behind the giving of notice is that the Hon'ble Ministers as well as other Hom'ble members must have right notice of the issue raised and the Government should have an opportunity of preparing a reply. If I take the interpretation of Rule 148 as you have suggested, then it would create difficulty. Moreover, I woud like to refer to Rule 245 which expresses this intention,

"Evey notice required by these rules shall be given in writing addressed to the Secretary..."

It means thereby that everyone must have an opportuniiy to give his cut motions and be prepared for the purpose.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : But a notice was indeed given in writing to the Secretary. There is no doubt about that.

श्री उपाध्यक्ष : Don't you think Government is deprived of the opportunity to give a reply.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : Well, this is what the Rule says. Any member can object to the moving of such a cut motion and the Hon'ble Ministers also, being the members of this House, can raise an objection. The correct interpretation of this Rule is that an Hon'ble member can give a notice of cut motion even right now when the demand is under discussion.

श्री उपाध्यक्ष : What about the Government ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : Govermment is also the member of the House. They can object to it. If they don't object it can be moved.

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : What is the cut motion ?

श्री उपाध्यक्ष : We are not expected to know the contents of the cut motion. The contention of the Hon'ble member is that a cut motion, which is lacking due notice has to be admitted and placed before the House and it can only be rejected where an Hon'ble member makes an objection.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : And 'Member includes a Minister also.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Proceed Shri Brijsunder Sharma.

(२. ३० म० प०)

मांग संख्या २६ नागरिक निर्माण कार्य (इत्यादि)

पूर्व क्रम से

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : माननीय

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं जो कि बहुत मुद्दे के और बहुत अहम प्रश्न पर हैं ।

मेरा पहला कटौती प्रस्ताव बूंदी-चित्तौड़ रोड का अभी तक समाप्त नहीं किये जाने के बारे में है ।

"To discuss failure of the Government to complete the construction of Bundi-Chittor road."

यह सड़क प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी । वह प्रथम पंचवर्षीय योजना में पूरी नहीं हुई और अब द्वितीय पंचवर्षीय योजना खत्म होने जा रही है और अभी तक समाप्त होने का समय नहीं आया है । मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री इस बात से परिचित हैं और चाहूंगा कि राजस्थान सरकार का ध्यान इस तरफ जाय कि यह सड़क इसी साल समाप्त हो ।

दूसरा कटौती प्रस्ताव मेरा सड़कों के मेन्टीनेन्स के ऊपर है:—

"To discuss failure of the Government in maintenance of Bundi District roads in repairing them in time."

आम तौर पर यह देखा जाता है कि नई सड़कें बनती हैं और पुरानी सड़कें खराब होती जाती हैं । उसके मेन्टीनेन्स पर विशेष रकम खर्च नहीं हो पाती है । हमेशा यह कहना रहता है डिपार्टमेंट का कि मेन्टीनेन्स के लिए पूरी रकम नहीं मिल पाती है । तो मैं राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि सड़क के मेन्टीनेन्स के लिए उसी कदर ध्यान दिया जाना चाहिए जैसा कि नई सड़कों के निर्माण में दिया जाता है, वर्ना नई सड़कें बनती जायंगी और पुरानी सड़कें खराब होती जायेंगी । बूंदी जिले में बूंदी राज्य के समय की सड़कें बनी हुई हैं उनकी मरम्मत पर ध्यान नहीं जाता है । उनके बोर्डर्स और सोलिंग निकल आये हैं और ज्यों ज्यों ज्यादा सड़कें खराब होती जाती हैं, त्यों त्यों ज्यादा रुपया मरम्मत में खर्च होता है । माननीय मन्त्री महोदय स्वयं नेनवा की सड़क और बूंदी से पाटन की रोड पर जा चुके हैं । मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर अवश्य जायगा कि बूंदी जिले में ही नहीं, बल्कि कोटा डिवीजन में पुरानी सड़कें जो कि खराब हो चुकी हैं उनकी मरम्मत कराने के बारे में जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जायगा ।

तीसरा कटौती प्रस्ताव है :

"To discuss the transfer of Bundi Sub-Divisional office from the control of Executive Engineer, Kota, to Executive Engineer, Tonk, and consequent inconvenivnience and financial difficulties."

मेरा इस विषय पर यह निवेदन है कि इन सबका कारण एक है कि बूंदी सब डिवीज़न जो पहले कोटा एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर के अन्डर में था उस वक्त काम ठीक तरह से होता था, लोगों को तकलीफ भी नहीं होती थी, और खर्चा भी कम होता था, लेकिन अब यह देखने में आता है कि रुपया जो प्रोवाइड किया जाता है बजट में वह खर्च नहीं होता है । लोगों, ठेकेदारों और

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

आम जनता की तकलीफ इसलिए बढ़ गई है कि वहां से दूर ६० मील पर टौंक एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर है उसके अन्दर में बूंदी सब डिवीजन को डाल दिया गया है जिससे बड़ी तकलीफ होती है और विकास में बाधा आती है। कोटा डिवीजन में कोटा एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर केवल २२ मील की दूरी पर है। वहां से लोगों को सुविधा होती है। हो सकता है कि कोटा एग्ज़ीक्यूटिव इन्जीनियर के पास ज्यादा काम हो तो मेरा सुझाव है कि कोटा एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर जो कि मंडी डिवीज़न के नाम पर बने हैं उन मंडी डिवीज़न के एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर के अन्दर में बूंदी सब डिवीजन पी. डब्लू. डी. को सौंप दिया जाय तो ज्यादा सार्थक होगा, ज्यादा काम हो सकेगा और वहां के ठेकेदारों और आम जनता को तकलीफ नहीं पड़ेगी और बजट में जो फण्ड है वह भी पूरा खर्च हो सकेगा और ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है।

मैंने ५ मिनट के अन्दर अन्दर ३ प्रस्ताव आपके सामने रखे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर ध्यान अवश्य जायगा।

श्री नाथूलालकरौल(लालसोट-सु.): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २६—मुख्य शीर्षक ५० नागरिक निर्माण कार्य आदि में १) रु० की कटौती की जाय (सांगानेर एरोड्रोम से स्टेशन सांगानेर तक सड़क की मरम्मत कराने पर बहस करने हेतु)। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कटौती प्रस्ताव इस सदन में तीन मर्तबा रखना पड़ा है और गत वर्ष श्री राजा साहब ने अपने जवाब में कहा था कि इसको इसी साल रिपेयर्स में ले लिया है, लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष, इस साल के खत्म होने में सिर्फ तीन रोज हैं और वह सड़क ज्यों की त्यों पड़ी हुई है। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूं कि सदन के अन्दर एक मर्तबा जिस बात का एनाउन्समेंट कर दें उसको तो कम से कम पूरा करने का उनका कर्तव्य हो जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान सरकार सड़कों के रिपेअर्स की तरफ ध्यान न देकर ज्यादातर नई सड़कें बनाने पर उतारू हैं। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष, अगर ज्यादा से ज्यादा नई सड़कें बनाई और पुरानी सड़कों की मरम्मत नहीं कराई और वह सड़क दिन प्रति दिन खराब होती जायगी। जो सांगानेर एरोड्रोम से सांगानेर स्टेशन तक की सड़क, सांगानेर स्टेशन वह है जो कि दिल्ली लाइन पर होता है इतनी खराब हो गई है कंकर और नीचे के पत्थर भी निकल आये हैं। उसके ऊपर विभाग के द्वारा मिट्टी डाल दी जाती है और उसकी मरम्मत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह सड़क जिसके मुताल्लिक मैं अर्ज कर रहा हूँ काफी ट्रक उस सड़क पर होकर झालाना की खानों से आते हैं, इसलिए तो उस सड़क को बनाना लाजिमी हो जाता है। पहले खानें नहीं थीं उस टाइम के ऊपर वहां पर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी और सड़क की मरम्मत की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन स्टेशन सांगानेर से गांधीनगर के चौराहे तक सड़क बन गई है और डामर भी हो गयी है और उस पर काफी ट्राफिक चलता है, तो सड़क बनाना लाजिमी हो जाता है, स्टेशन सांगानेर से

(श्री नाथूराम करोल)

एरोड्रोम तक। ट्रैफिक की भगदड़ की वजह से सड़क इतनी ज्यादा खराब हो गई है बैलगाडी और साइकिलों के लिए तो उसके ऊपर होकर जाना मुश्किल है। वहां पर विभाग के लोगों ने एरोड्राम से काफी मिट्टी उठा कर डाल दी है जिसकी वजह से सड़क पर बैलगाड़ी और साइकिलों पर जाना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। इस लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस सड़क को जल्दी से जल्दी रिपेयर करवाया जाय। उसके उपर डामर करवा दिया जाय। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूँ कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी इसी साल के अन्दर ठीक करवा दिया जावे।

श्री चन्दनमल बैद (सरदारशहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ कि उनके प्रयत्नों से सन् ६० में राजस्थान में दो बड़े काम हुए हैं। पहला काम जो हुआ है वह यह है कि आगरे से बीकानेर तक की जो सड़क है वह नेशनल हाइवे डिक्लेअर कर दी गई है। इस तरह से राजस्थान में कम से कम २–२॥ करोड़ रुपये का फायदा हो गया है.....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): सरदारशहर होकर जायगी क्या ?

श्री चन्दनमल बैद: इस सड़क को राष्ट्रीय मार्ग डिक्लेअर कर देने से मैं समझता हूँ कि राजस्थान के सब नागरिकों को प्रसन्नता होनी चाहिए, चाहे वह सरदारशहर जाय या रतनगढ़ जाय। यह खुशी की बात है कि ३५० मील की सड़क सारी की सारी राजस्थान में से जायेगी। यू. पी. का थोड़ा सा हिस्सा है आगरा के पास का जहां से वह जाती है, बाकी आगरे से बीकानेर के सारे हिस्से को वह कवर करती है। यह सब के लिए, चाहे वे इधर बैठे हुए हों, चाहे उधर बैठे हुए हों, चाहे किसी हिस्से से आने वाले माननीय सदस्य हों, सब के लिए खुशी की बात है कि कम से कम इस डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के मंत्री महोदय के प्रयत्नों के कारण से २–२॥ करोड़ सड़कों के एलोकेशन के अलावा राजस्थान में वे ला सके हैं। यह सब के लिए प्रसन्नता की बात है और मेरे साथ सारे सदन को शामिल होना चाहिए डिपार्टमेन्ट के मंत्री महोदय को बधाई देने में।

माननीय उपाध्यक्ष, इसके बाद में इस डिक्लेरेशन के बाद में जो थोड़ी सी अनसर्टेन्टी साधारण लोगों के दिमाग में है कि इसका एलाइनमेंट कैसे होगा उसके बारे में है। उसके लिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ। जहां तक जयपुर से आगरे का सवाल है जो मौजूदा सड़क आगरा से जयपुर की बनी हुई है उस पर ही राष्ट्रीय मार्ग का एलाइनमेंट होगा। दूसरी अनसर्टेंटी है जयपुर से बीकानेर के रास्ते के बारे में। उसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ। अब मेरा निवेदन यह है कि इसका एलाइनमेंट जयपुर से सीकर, फतहपुर, रतनगढ़ डूंगरगढ होते हुए बीकानेर होना चाहिए। इस रूट को लेने में स्टेट प्लान में, सैकण्ड फाइव ईयर प्लान में जो रोड्स हैं वे काफी कवर हो जायंगी; जैसे सीकर से फतहपुर तक बनने वाली सड़क, फतहपुर से रतनगढ़ तक और रतनगढ़ से राजल-

(श्री चन्दनमल वैद)

देसर तक और राजलदेसर से डूंगरगढ़ और डूंगरगढ़ से बीकानेर तक जो स्टेट प्लान में कमिटेड है दूसरी पंचवर्षीय योजना है और तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनना है। यह करीब ११५ या १२० मील की सड़क है जिसके लिये कमिटमैन्ट किया हुआ है कि इसे बनाना है और इसको बना नहीं सके हैं तो यदि इस नेशनल हाइवे को इस रास्ते से ले जाते हैं जो कि सीधा रास्ता है तो हम इस सड़क को बनाने में जो स्टेट को ४०–५० लाख रुपये खर्च करने पड़ते उनको बचा सकते हैं और उन रुपयों को दूसरे उपयोगी कामों में खर्च कर सकते हैं। इसलिये हमको यह निश्चित रास्ता अपनाना चाहिये और यह एलाइनमेंट स्वीकार करना चाहिये और मैं समझता हूँ कि यह एलाइनमेंट मंत्रीजी के विचाराधीन है। मैं चाहता हूँ कि मंत्रीजी यह जरूर घोषित करें कि सरकार ने क्या निर्णय लिया है, ताकि जो संदिग्ध स्थिति है वह दूर हो जाय।

दूसरा मेरा कट मोशन है ताल छापर से राजगढ़ तक जाने वाली सड़क की दयनीय स्थिति है उस बारे में ध्यान आकर्षित करने के बारे में। बीकानेर की तरफ से आने वाले माननीय सदस्य इस सड़क के बारे में अक्सर जिक्र करते हैं। बीकानेर से दिल्ली को जो सड़क जाती है वह खराब है और मैं भी इसके बारे में समय समय पर अर्ज करता रहा हूँ। ताल छापर से राजगढ़ तक १५० मील तक जो सड़क है उसकी स्थिति बहुत खराब है। यह खुशी की बात है कि ३० मील पर काम हो रहा है, मेटीरियल कलेक्ट हो रहा है, कुछ डामर हो रहा है। लेकिन जिस गति से काम हो रहा है उसको मैं संतोषजनक नहीं मानता। इसलिये मैं मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि इस पर तेज गति से काम पूरा हो जाय, नहीं तो मुझे डर है कि सारी सड़क बालू में डूब न जाय।

तीसरा मामला है ताल छापर से स्टेशन तक जो सड़क जाती है उसकी मरम्मत कराने का छोटा सा मामला है। इसका निर्माण फेमिन के समय में बीकानेर महाराज ने करवाया था और बनने के बाद उसकी मरम्मत नहीं हुई है इसलिये इसकी बहुत बुरी हालत हो रही है। इस डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपये खर्च होते हैं इसलिये मैं आशा करता हूँ कि मंत्रीजी मेरी बात को मानेंगे और अगले साल इसकी मरम्मत करवाने का आश्वासन देंगे।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस मांग पर तीन कटौती प्रस्ताव हैं जिनमें से सबसे पहला कटौती प्रस्ताव नगर पहाड़ी सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं किये जाने पर है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह नगर पहाड़ी सड़क निर्माण का मामला, मैं समझता हूँ, पिछले ४ साल से हमेशा इस अवसर पर और प्रश्नों या प्रस्तावों के द्वारा दूसरे अवसरों पर भी आता रहा है। यह भी मैं कहता हूँ कि इस पर काम भी होता है लेकिन उसकी प्रगति इतनी मंद होती है, इतनी धीमी होती है कि न होने के बराबर होती है।

यह इलाका जहां होकर यह सड़क निकलती है, उपज की दृष्टि से शायद भरतपुर का सबसे अच्छा इलाका है। यह सीकरी बांध और रूपारेल नदी के पेरेलल चलती है और अक्सर बरसात के दिनों में इस इलाके के सारे गांव

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

और दो तीन अच्छे-अच्छे कस्बे, व्यापारिक कस्बे; जैसे सीकरी, गोपालगढ़ भी हैं, वे भी आते हैं लेकिन बरसात में ये कस्बे टापू हो जाते हैं। सड़क बनती है, कुछ दूर तक बनती है, फिर कुछ टूट–फूट है, फिर कुछ हिस्सा बना दिया, इस तरह से यह कुल २०–२५ मील की सड़क है, जो कहीं २ मील बनी हुई मिलती है, फिर दो मील टूटी हुई मिलती है....

श्री धन्नालाल हरित (छबड़ा-सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : You are interested only in this.

श्री धन्नालाल हरित : Why not, when we are sitting here ?

श्री उपाध्यक्ष : You proceed. I am counting the Hon'ble members.

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में यह सड़क बनी है जो हिस्सा बन जाता है, थोड़े दिनों बाद वह भी नष्ट हो जाती है। इस सम्बन्ध में मुझे पता चला है, कि हमारे निर्माण मन्त्री महोदय पिछले नवम्बर के महीने में नगर पधारे थे और नगर के कार्यकर्ताओं ने पहले भी, और मैं परसों वहां होकर आया हूं, याद दिलाया कि माननीय मन्त्री महोदय ने कार्यकर्ताओं के बीच ऐलान किया था कि सड़क पूरी करने का काम दिवाली के बाद आरम्भ हो जायगा या एक महीने में हो जायगा। उन्होंने ये शब्द उनसे कहे थे। लेकिन उन लोगों ने मुझे बताया कि दिवाली की जगह तो होली भी निकल गई है और एक महीने के स्थान पर ७ महीने हो गये हैं लेकिन कोई काम इस बारे में नहीं हुआ है। कभी ठेकेदार फैल होते हैं तो कभी डिपार्टमेंट काम करता है, और सफल नहीं होता है। कुछ इस सड़क का दुर्भाग्य सा रहा है कि वहां समय पर जिन ठेकेदारों को काम दिया पूरा नहीं कर पाये। तो यह ऐसा मामला है जिस पर सम्बन्धित मन्त्री महोदय गंभीरता से ध्यान देंगे और इस सड़क को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे।

कटौती का जो मेरा दूसरा प्रस्ताव है वह हमारी इस मेन रोड से सम्बन्धित है जिसको आगरा, जयपुर या भरतपुर-जयपुर रोड कह दीजिये और जिसके सम्बन्ध में मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि भविष्य में राष्ट्रीय उच्च मार्ग की आशा दिलाई है, मैंने भी इस सम्बन्ध में जब भी चर्चा की है, बताया है।

भरतपुर से २०–२५ मील का हिस्सा ऐसा है, जो सन् ५८ की बाढ़ आई थी, उससे बुरी तरह से क्षत–विक्षत हुआ था और उस टूटे हुए हिस्से की गवर्नमेंट ने कोई मरम्मत नहीं कराई, पैच वर्क हुआ है, लिटरेरी मायने में पैच वर्क हुआ है। उधर होकर जो गाड़ियें चलती हैं, जिस समय यह २५ मील का हिस्सा आता है तब वे लोग कहते हैं कि अब सड़क बहुत खराब आई है, इस पर चलना मुश्किल है। मैं नहीं कह सकता कि जो टूरिस्टस आगरा से जयपुर तक आते हैं, उनको मैंने खुद ने उछलते कूदते देखा है। उससे खुशी होती होगी या कष्ट, यह नहीं कहा

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

जा सकता। यह राजस्थान के आरम्भ की सडक है यह जिस दुर्दशा में पड़ी है उसको देखकर वे लोग क्या समझते होंगे नेशनल हाइवे बनने पर इसका उज्जवल भविष्य बन सकता है, लेकिन वर्तमान में आज क्या है, इसको देखना है। नेशनल हाई वे जब बनेगी तब बनेगी और हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन जब तक इसमें जो खड्डे और टौंचियां पड़ी हैं, उनकी मरम्मत नहीं की जायगी तब तक आने-जाने वाले लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ, मंत्रीजी सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और इसे ठीक कराने का निश्चय करेंगे।

तीसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है, भरतपुर से उच्चैन होकर बयाना तक की सड़क की पूरी मरम्मत कराने के बारे में। मैं हाल ही इन दिनों के बारे में तो कह नहीं सकता लेकिन दो–तीन महीनों पहले जब भी इस सड़क पर से गुजरा तो उसकी यह हालत पाई कि दो मील तक अच्छी सड़क आती है, जहां डामर बिछी हुई है, लेकिन फिर टूटी फूटी आती है, फिर अच्छी आती है फिर टूटी–फूटी आती है। यह करीब–करीब ५,७ या ८ साल से हालत चली आती है। उपाध्यक्ष महोदय, होता यह होगा कि जैसे ८ साल पहले २ मील का टुकड़ा बनाया, उससे आगे आज तक ठीक नहीं हो रहो है। जब आगे ठीक होगी तो पिछली बराबर होती चली जायगी। तो उस पर चलने वाले यात्रियों को असुविधा होती है। पूरी तौर से उसकी मरम्मत हुई है, ऐसा नहीं मालूम होता है। मैं समझता हूँ, कुछ नयी सड़क बनती है, उसमें ऐसा होता है कि सड़क बन जाती है और बीच-बीच में कलवर्ट्स या पुलिये आते हैं उनको अधूरा छोड़ दिया जाता है। बरसात में उन पर से निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं समझता हूँ, इस दृष्टि से नयी सड़कों के पुलियों की ओर ध्यान रखा जाय और पुरानी सड़कों को मरम्मत की इस प्रकार से व्यवस्था की जाय जिससे लोग अनुभव करें कि इसकी मरम्मत वास्तव में हुई है। नहीं तो कुछ हिस्सा इस साल शुरू होता है और फिर अगला हिस्सा ५ साल बाद शुरू होता है, जिससे कि पहला हिस्सा जब तक टूट–फूट जाय। मैं समझता हूँ, इस दृष्टि से इन सड़कों की मरम्मत हो या जो नई सड़कें बनने वाली हैं उन सब को देखा जायगा और उन पर अमल किया जायगा, यह मैं आशा करता हूं और इस आशा से अपने कटौती के प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम मिर्धा।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २६ पर मेरा कटौती का प्रस्ताव बांसवाड़ा जिले में बांसवाड़ा-सागवाड़ा सड़क बाया गढ़ी पर बहस करने के लिए है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सड़क एक लम्बे अर्से से बन रही है, लेकिन अब तक अपूर्ण है। यह सड़क बांसवाड़ा से डूंगरपुर जाने वाली सड़क है, इस सड़क पर कई छोटे छोटे नदी–नाले हैं लेकिन कई जगह पुलियां नई बनी हैं। माननीय उपाध्यक्ष, आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सड़क के छोटे-छोटे टुकड़े बन रहे हैं लेकिन ठेकेदारों का काम बहुत धीमी चाल से चल रहा है? जब वर्षा का मौसम आता है उस समय यह स्थिति हो

(श्री नाथूराम)

जाती है कि गढ़ी से बांसवाड़ा जाने के लिए रास्ता बिल्कुल बन्द हो जाता है, यानी बिल्कुल टापू बन जाता है। जिन लोगों को जरूरी काम से जाना होता है वे रास्ते में पड़े रहते हैं। इस सड़क पर बांसवाड़ा-सागवाड़ा, बांसवाड़ा-डूंगरपुर, बांसवाड़ा–गढ़ी जाने वाली कई बसें चलती हैं, लेकिन वह सड़क इतनी खराब है कि कुछ जगह तो पक्की सड़क बनी है, कई स्थान ऐसे हैं वहां पर पुलिया नहीं बनने से उन बसों को रुक जाना पड़ता है। गर्मी के मौसम में तो बसें खराब हो जाती हैं और वर्षा के मौसम में बिल्कुल टापू बन जाते हैं, इसलिए मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि जो पुलिया अपूर्ण हैं उनको शीघ्र ही पूर्ण कराने की कृपा करें।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव है....

श्री उपाध्यक्ष : दूसरा कहां है, एक ही तो है। समाप्त हो गया।

श्री नाथूराम : दूसरा और है।

श्री उपाध्यक्ष : २४ ही है। कह दीजिये, एक सेन्टेन्स में 'दूसरे' के लिए भी।

श्री नाथूराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा जिले में गढ़ी से गलिया-कोट जाने वाली सड़क का कार्य आरम्भ करने के लिए दूसरा कटौती का प्रस्ताव है। गढ़ी से गलियाकोट जाने वाली सड़क थर्ड प्लान में रखी है, ऐसा मैंने सुना है। आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन है कि दस मील का टुकड़ा ऐसा रह जाता है कि कई बसें वहां पड़ी रहती हैं। इसके अलावा गलियां कोट ऐसा स्थान है जहां बाहर से हिन्दुस्तान के बाहर से आने वाले बहुत से यात्री लोग दर्शन के लिए आते हैं, हिन्दुस्तान से भी कई यात्री आते हैं। ऐसी स्थिति में भी यह सड़क बिल्कुल खराब है रिलीफ के वक्त सड़क पर मिट्टी डाल कर थोड़ी मरम्मत की गई थी, लेकिन जब तक यह टुकड़ा पक्का नहीं बन जाय तब तक लोगों को तकलीफ रहती है। इसलिए आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि यह छोटा सा टुकड़ा बहुत खराब है। इस सड़क पर हिन्दुस्तान के बाहर से आने वाले यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं, बहुत तकलीफ रहती है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इसलिये जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट वहां काम आरम्भ करने की कृपा करें।....

श्री उपाध्यक्ष : श्री रावतराम।

श्री नाथूराम : दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : मिनट-मिनट करते पांच मिनट हो गये।

श्री नाथूराम : मैं एक मिनट और चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब आधा मिनट। माननीय मंत्री से आप स्वयं मिल लें और कह दें। ऐसी बात है तो शुरू करिये।

श्री नाथूराम : बांसवाड़ा जिले में कुशलकोट से झालोद जाने वाली सड़क है, वह बहुत ही खराब है....

Page No.88

श्री उपाध्यक्ष : कट मोशन नहीं है, आपका सबमिशन है।

श्री नाथूराम : आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह सड़क बहुत खराब है, इसके बीच में नदी पड़ती है और बहुत नाले पड़ते हैं। इस सड़क को कम से कम इस साल आरम्भ करा जाय क्योंकि वहां बाहर से बहुत लोग आते हैं और आदिवासी क्षेत्र है। बस....

श्री उपाध्यक्ष : बस पर्याप्त है। श्री रावतराम।

श्री नाथूराम : बस इतना ही निवेदन है।

श्री रावतराम (चूरू—सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५० पर मेरा कटौती का प्रस्ताव है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के द्वारा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान चूरू जिले की सड़कों की तरफ दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, चूरू जिला रेगिस्तानी क्षेत्र है और वहां आवागमन के साधन बहुत कम हैं। इस लिहाज़ से, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की भी यह नीति रही है कि जो क्षेत्र पहले ही पिछड़ा हुआ है या जहां आवागमन के साधन कम हैं उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, दो पंच-साला योजना आज बीत रही है, उसके बावजूद भी आज चूरू जिले की जब सड़कों की हालत हम देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि चूरू जिले के साथ सरकार ने काफी उपेक्षा बरती है। उपाध्यक्ष महोदय....

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : कब से ?

श्री रावतराम : जहां तक चूरू डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स का सवाल है, कम से कम यह देखा जाय कि डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स का तहसील हैड क्वार्टर से सम्बन्ध होना चाहिए। आज हालत यह है कि चूरू जिले में जितने तहसील हैड क्वार्टर्स हैं, उनसे डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स का कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना में जो सड़कें ली गईं, वे पूरी नहीं हुई और बहुत ढिलाई के साथ काम चला। इस प्रकार पहली पंचवर्षीय योजना आई उसमें भी उन सड़कों को डाल दिया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना जब स्वीकार हुई तो उसमें भी कुछ सड़कों को लिया।

उपाध्यक्ष महोदय, अब दूसरी पंचवर्षीय योजना पूरी होने को जा रही है, लेकिन हालत वहां यह है कि पहली पंचवर्षीय योजना में जो सड़कें सरकार ने मन्जूर की थीं वे आज तक भी पूरी नहीं हुई हैं। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी का ध्यान खास तौर से जो सड़क सरदारशहर से रावतसर को जाती है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। वह महत्वपूर्ण सड़क है और गंगानगर जिले को जोड़ती है। चूरू जिले में दूसरा डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स है वह रतनगढ़ है, चूरू से रतनगढ़ सड़क का काम चालू नहीं हुआ, चूरू से सुजानगढ़ जाने वाली सड़क का काम चालू नहीं हुआ, चूरू से सरदारशहर जाने वाली सड़क का काम चालू नहीं हुआ। इस तरह से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सड़कें मन्जूर हैं, जिनको दूसरी पंचवर्षीय योजना में मन्जूर

(श्री रावतराम)

किया है, उनका काम वक्त के अन्दर पूर्ण नहीं होता और उनके अन्दर ढिलाई होती है। मैं समझता हूँ कि ढिलाई बरतना कहां तक न्याय संगत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी पंचवर्षीय योजना में चूरू जिले में जो सड़कें मन्जूर की गई वे बहुत कम हैं, इसलिए माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि जो सड़कें दोनों पंचवर्षीय योजना में रखी हैं, वे कम से कम पूरी होनी चाहिए, उन पर काम चालू करना चाहिए और तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए जो सड़कें ली गई हैं उनका काम भी चालू होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा कटौती का प्रस्ताव है कि जो भवन या मकान पी. डब्ल्यू. डी. के द्वारा बनते हैं, जैसे अभी सरदारशहर पंचायत समिति का मकान बना, उसको बने हुए दो साल हो गये और तीसरे साल मकान का कुछ हिस्सा गिर गया क्योंकि इन मकानों में इस तरीके का हल्के दर्जे का मेटीरियल लगाते हैं, हल्के दर्जे का पत्थर और चूना लगाते हैं कि सरकार का पैसा भी खर्च होता है और मकान गिर जाता है। दूसरी तरफ जो गांव के लोग मकान बनाते हैं, उनकी काफी उम्र होती है। जब यह बात है कि सरकार का मकान में पैसा खर्च होता है और वह समय के पहले गिर जाता है तो इसमें सरकार की तोहीन होती है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, जो भवन मंजूर हों, रकम मंजूर हो, उससे इस तरह के मकानों का निर्माण होना चाहिए कि मकान अच्छे बने। जिसके उदाहरण से दूसरे लोग प्रेरणा ले सकें। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो हमारी चूरू जिले की सड़कें अधूरी पड़ी हैं....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

वे पूरी कराने के लिए मंत्री महोदय ध्यान देंगे और उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री तनसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री अनूपसिंह।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ कटौती के प्रस्ताव रखे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : कुछ कहां हैं, आपका एक ही तो है ३८।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : कुछ है तो एक बना दीजिये।

श्री अनूपसिंह : आपकी मर्जी हो तो एक बना दूं क्योंकि डिपार्टमेंट एक है....

श्री उपाध्यक्ष : आरम्भ करिये, किस तरकीब से निकालते हैं आप, देखें।

श्री अनूपसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बार बार इस तरह की बात करता हूँ, रिपीट करता हूँ, इस हाउस में दो–तीन बार इस तरह के तथ्य रख चुका हूँ, फिर भी उसका जब असर नहीं देखता हूँ तो अफसोस होता है, खेद इस बात का होता है कि रिपीट करता हूँ, दुःख इस बात का होता है कि जो मैं कहता हूँ वह हवा में चला जाता है....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : रिकॉर्ड करा लीजिये।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : यह तो प्राकृतिक है।

श्री अनूपसिंह : मुझे कोई चारा नजर नहीं आता, सिवाय इसके कि फिर अर्ज कर दूं। मेरा फर्ज है कि अपनी डिफीकल्टीज़....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : दर्द यों बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा होती गई।

श्री उपाध्यक्ष : आज हवा तेज नहीं, मौसम अच्छा है।

श्री अनूपसिंह : पंखा ही काफी है, मेरी बात को यह उड़ा ले जायगा। एक मिनट आगे बोलूंगा, उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : यह कन्सीडरेशन रखूंगा, चार की जगह पांच कर दूंगा।

श्री सोहनलाल भटनागर : मिनट मिनट बढ़ाते रहें।

(३,०० म. प.)

मेरा अर्ज करने का मतलब यह था कि जोधपुर से बाड़मेर के बारे में मैंने कट मोशन दिया था। यह जो कट मोशन आया है, सर्कुलेट हुआ है इसको वाइड एन्ड ब्रॉड कर दिया है। मेरा कट मोशन इतना ब्रॉड नहीं था। मेरा तो सिर्फ बाड़मेर के इलाके से सम्बन्धित था। जनरल कर दिया है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, I will confine myself to Barmer District. बाड़मेर में, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से तिलवाड़ा और बाड़मेर से शिव-जैसलमेर, ये सड़कें बनाने की योजना थी, पर इनमें से एक भी कम्प्लीट नहीं हुई है। कहीं कल्वर्ट्स बनाने थे तो वे नहीं बन पाये हैं, कहीं पर डामर बनाने की बातें थी तो डामर नहीं डाला गया है, कहीं मुरड़ की रोड बनाने का था, ग्रेवल रोड बनाना था तो ग्रेवल रोड पूरी नहीं हुई है। कोई भी पूरी हो गई हो ऐसी बात नहीं है। जोधपुर से बाड़मेर की सड़क को ही ले लीजिये, इसमें कहीं दो मील बनी है तो आगे दो मील नहीं बनी है। कहीं बन गई है तो कल्वर्ट्स नहीं हैं, ब्रिजेज़ नहीं हैं। सारी अधूरी पड़ी हुई हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बाड़मेर इलाके की इनमें से एक भी रोड ऐसी नहीं है जो कि कम्प्लीट हो गई हो। मैं यह अर्ज करना चाहूँगा कि अगर कुछ परिस्थितिवश या प्रकृति को ऐसी बात होने के कारण उस इलाके के लिये यह कहें कि वहां कोई नहर लाई नहीं जा सकती, वहां कोई बांध बनाया नहीं जा सकता, वहां बिजली नहीं ले जाई जा सकती, बाड़मेर को कानपुर, कानपुर से छोटा कानपुर और उस छोटे कानपुर से भी छोटा-कानपुर नहीं बनाया जा सकता। बिजली की योजनाओं का वहां सवाल नहीं, नहरों का सवाल नहीं; तो फिर अर्ज करूंगा कि जब कभी किसी प्लान की प्रायोरिटी फिक्स करते हैं तो पर्टिक्यूलर एरिया को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, कि वहां के रहने वालों की सुख-सम्पत्ति बढ़ सके, इस बात का ख्याल रखना चाहिये। पर देखा ऐसा गया है कि जहां भगवान महरबान हैं, नाराज नहीं हैं, तो वहां मन्त्री महोदय भी महरबान हैं और जहां भगवान नाराज हैं तो वहां मन्त्री महोदय भी नाराज हैं, रुष्ट हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्योंकि भगवान हो के तो हैं रूप ।

श्री अनूपसिंह : प्रकृति ने जो कुछ बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से, बाड़मेर इलाके से नाराखी बना रखी है वही बेरुखी सरकार की तरफ से भी है। अगर हम वहां और कोई चीज नहीं कर सकते तो कम से कम सफाखाने कर दें, वहां स्कूलें खोल दें। पर ये सब बाड़मेर इलाके में नहीं किये जाते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण मैं यह समझता हूँ कि वहां पर यातायात के जरिये नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं और सड़कें नहीं होने के कारण वहां सफाखाने खोलने में मुश्किल होती है, डॉक्टरों के पहुँचने में मुश्किल होती है, आदमियों के वहां पहुंचने में दिक्कत होती है और अगर कोई पहुँच भी गया तो भाग कर चला आता है। वहां डेज़र्ट और सूखा होने से डॉक्टर जाना नहीं चाहते, वहां थानेदार भी जाते हैं तो भाग कर आने की कोशिश करते है, ग्राम सेवक वहां जाता है तो भाग कर आने की कोशिश करता है। इसी तरह वेटरनरी के ऑफिसर्स भी वहां जाना नहीं चाहते और जाते हैं तो वापिस आने की कोशिश करते हैं। कोई भी वहां रहना पसंद नहीं करता, पेपर वहां मिलते नहीं, साग-सब्जी आदि वहां मिलती नहीं, यातायात के साधन नहीं, इन्हीं कारणों से वहां लोग जाना नहीं चाहते और इसी कारण वहां पर सफाखाने, स्कूलें वेटरनरी सफाखाने आदि नहीं खुलते ।....

श्री सोहनलाल भटनागर : दूध और घी तो खूब मिलता है ?

श्री अनूपसिंह : दूध और घी से नहाया तो जा नहीं सकता ।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर): वह तो आपकी स्थिति बता रही है कि आप दूध-घी पीते हैं।

श्री अनूपसिंह : तो यह सब निवेदन करने में मेरा आशय यह था कि यातायात की योजना उस इलाके में नहीं होने से ये चीजें वहां पहुंच नहीं सकतीं, सफाखाने, स्कूल आदि खुल नहीं सकते और दूसरी चीजें नहीं हो सकतो। ये सब चीजें वहां तभी होंगी जब कि यातायात की योजना को वहां पर कामयाबी के साथ पूरा किया जायगा। ये फीगर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, एक भी रोड पूरी नहीं हुई है। बालोतरा-जसोल के बीच में लूनी नदी का छोटा सा टुकड़ा है, वहां लो पिलर ब्रिज बनाने की न मालूम कितने साल से योजना है, न मालूम कितने वर्षों से उसके नक्शे बने हुए हैं, पर वह नदी आज भी उसी तरह पड़ी हुई है। नदी आ जाय तो वहां कोई भी कैसे निकले ?

डॉ० बहादुरसिंह : रेगिस्तान में नदी आ नहीं सकती ।

श्री उपाध्यक्ष : Why to disturb the Hon'ble member ? His every minute is valuable.

श्री अनूपसिंह : Therefore, I deserve two minutes more, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : You commenced at 2. 58 P.M. At that time you had two minutes at your disposal. So 2 plus 5 is equal to seven.

श्री अनूपसिंह : तो माननीय उपाध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि....

श्री उपाध्यक्ष : Rawal Narender Singh is also there to speak.

श्री अनूपसिंह : तो इस तरह की चीजों को प्रायोरिटी को फिक्स करके, उस एरिया की आवश्यकताओं को समझते हुए वहां चालू नहीं करेंगे तो ब्रोड प्लान सब जगह फिट नहीं हो सकता। अलग-अलग जगहों की अलग-अलग परिस्थितियां हैं और वहां की अलग-अलग आवश्यकताएं हैं; तो यह दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिये कि यह चीज़ वहां नहीं हो सकती। एक चीज वहां नहीं हो सकती तो दूसरी कोई चीज वहां की जा सकती है। वह चीज ही वहां कर दीजिये। वहां बन्ध नहीं बना सकते, नहरें नहीं ला सकते, बिजली नहीं ला सकते तो स्कूलें खोलिये, शफाखाने खोलिये, यातायात के साधन मुहय्या कीजिये, सोशियल सर्विसेज आसानी से उपलब्ध कराइये, वेटरनरी ऑफिसर्स भेजिये, यह सब काम तो आप वहां कर सकते हैं। पर बाड़मेर में इन सब योजनाओं की प्रगति रुकी हुई है। बाड़मेर इलाके की योजनाओं की प्रगति और उन्नति रुकने का एक मात्र कारण मैं तो यह समझता हूँ कि वे पी. डब्ल्यू. डी. की वजह से रुकी हुई हैं। यह विभाग वहां जोश के साथ काम नहीं कर रहा है। इसी कारण बाड़मेर इलाके की प्रगति-उन्नति पीछे रह रही है।

बाड़मेर में यातायात के साधनों को सुधार देने के बाद और पानी मुहय्या कर देने के बाद बाड़मेर की बहुत सी प्रोब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लादूराम सुलाणियां।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : कोटा डिस्ट्रिक्ट की तरफ से कोई नहीं बोले हैं, इसलिये मुझे बोलने का अवसर दिया जाया।

श्री लादूराम सुलाणिया (दूदू-सु०) : माननीय उपाध्यक्ष, इस मांग पर मेरा कटौती प्रस्ताव इस सम्बन्ध में है कि राजस्थान में पुरानी सरकारी इमारतों की संख्या ज्यादा है। वे इस प्रकार की इमारतें हैं कि उनका किसी प्रकार का उपयोग नहीं हो पाता है। कारण यह है कि राजस्थान में जितनी सरकारी इमारतें हैं उनकी तरफ राजस्थान सरकार ध्यान नहीं देती और नई इमारतें बनाने का प्रयत्न करती है। इससे हमें इतना नुकसान होता है कि हम उस नुकसान को पूरा नहीं कर पाते। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार पुरानी बिल्डिंगों की मरम्मत की तरफ ध्यान दे, बजाय नई बिल्डिंगें बनाने के। नई बिल्डिंगें जो बनती हैं वे इस साल में बनती हैं और दूसरे साल में ढह जाती हैं। इसका मैं एक उदाहरण दूं, पिछले साल २२ गोदाम के पास एक इमारत पी. डब्ल्यू. डी. की तरफ से बन रही थी। दीवार बनाई जा रही थी, इतनी मोटी थी कि काफी मजबूत होनी चाहिये; पर एक दिन शाम को ६ बजे हवा का झोंका आया और वह ५०-६० फीट लम्बी और पन्द्रह-सोलह फीट ऊंची दीवार ढह गई। वह हमारी पी. डब्ल्यू. डी. का नमूना था, जिससे जनता को मालूम हुआ कि हमारा डिपार्टमेंट कितना कीमती और अच्छा मैटीरियल लगा कर इमारतें बनाता है कि हवा के झोंके से वह दीवार ढह गई। तो

(श्री लादूराम सुलाणिया)

मुझे बड़ा अफसोस है कि इस प्रकार नई इमारतें बनती हैं उनसे हमें कितना घाटा होता है ! हमारे यहां जो पुरानी इमारतें हैं वे इतनी मजबूत हैं कि आज से सैकड़ों वर्षों पहले वे इमारतें बनी हैं, फिर भी ऐसी सुदृढ़ हैं कि उनकी मरम्मत कर दी जाय, देख-रेख होती रहे तो उसके अन्दर अगर अच्छे मसाले से मरम्मत की जावे तो हजारों वर्षों तक आगे भी वह इमारत ऐसी बन सकती हैजो उपयोग में ली जा सकती है । मैं इस प्रकार की बिल्डिंग का नमूना माननीय मिनिस्टर महोदय की जानकारी के लिये बताना चाहता हूँ कि छोटी चौपड़ के पास जयपुर में ही, मन्दिर के पास है जिसे सरकार ने कोई खानदान में वारिस नहीं होने के कारण लेली गई थी ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वह बिल्डिंग सरकार की है और मरम्मत करवा कर आय का साधन लगाया जावे तो इस बिल्डिंग से हजारों रुपयों की वार्षिक आय हो सकती है । लेकिन मैं, माननीय उपाध्यक्ष, यह बताना चाहता हूँ कि किसी प्रकार से उसकी मरम्मत नहीं होने से वह नष्ट होती जा रही है । इस प्रकार की कई इमारतें जयपुर में और दूसरी जगह है और मैं यह कहूँगा कि राजस्थान में लाखों बिल्डिंग्ज़ होंगी । अगर उनकी मरम्मत करवाकर सरकार के कर्मचारियों को दिया जावे, तो आज मकानों के नहीं मिलने की समस्या मकान किराये पर देकर दूर की जा सकती है ।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इस पर विचार किया जाए ।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

श्री लादूराम सुलाणिया : माननीय उपाध्यक्ष, आप ५ मिनट और दें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उपाध्यक्ष के पास समय कहां है ? आप अपने मित्रों के लिये तो समय दें । अभी आपके बहुत से मित्रों को बोलना है ।

श्री लादूराम सुलाणिया : तो पुरानी इमारतें हैं उनकी मरम्मत कराई जावे, इस लिये मैं इस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ ।

(दो बार समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

ऐसा मेरा विचार है ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सोहनलाल भटनागर ।

श्री सोहनलाल भटनागर : (सलूम्बर) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मांग पर मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं । जब बजट पर बहस हो रही थी तो........

श्री उपाध्यक्ष : समय का ध्यान रखना है

श्री सोहनलाल भटनागर : पांच मिनट का समय तो मुझे है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो एक मिनट में ही कह दीजिये ।

श्री सोहनलाल भटनागर : इकोनॉमी पर विचार किया । जब हम क्षेत्रों में काम करते हैं और देखते हैं कि पी. डब्ल्यू. डी. और इर्रिगेशन में कोऑर्डिनेशन नहीं होने से काफी खर्चा अधिक होता है । मेरे ख्याल से ये दोनों ही सरकार के विभाग है । इस कारण से बहुत से कार्य........

एक माननीय सदस्य : आप उप मंत्री, पंचायत................

श्री उपाध्यक्ष : It is very pleasant to hear Honble member.

एक माननीय सदस्य : उप मन्त्री नहीं बनेंगे । फुल ही बनेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष ; Your good wishes will be taken care of.

श्री सोहनलाल भटनागर : अच्छी तरह से नहीं हो पाते । एक पुल बना उसके पास एक ब्रिज बन रहा है, अगर पी. डब्ल्यू. डी. और इर्रिगेशन वालों में आपस में कोऑपरेशन हो तो काफी खर्चा बच सकता है । मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता । इस बारे में अगर सरकार सोचे तो खर्चे का काफी पर्सेन्टेज कम हो सकता है ।

दूसरी बात यह है कि राजस्थान सरकार ने हमारे यहां निर्माण में काफी तरक्की की है । सरकार ने हजारों मील सडकों का निर्माण किया है और तीसरी पंचवर्षीय योजना में जैसा क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिये नहीं किया और हेप–हेज़ार्ड वे में नई सडकें रखी हैं । माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह कहूँगा कि पहली योजना में उदयपुर जिले में देवारी कुरावड सडक जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई और जिसके लिये ६० हजार रुपये रखे थे उसके लिये दूसरी और तीसरी योजना में भी कुछ नहीं रखा । तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस चीज के लिये आपने प्रथम पंचवर्षीय योजना में रुपया रखा और उसके लिये बाद में कोई रुपया नहीं रखा जावे तो उस योजना की कोई फुल युटिलिटी नहीं है । मैं यह कहूंगा कि जो सडकें पहली पंचवर्षीय योजना से या दूसरी पंचवर्षीय योजना से चली आ रही हैं उनको मेन्टेन करने की जिम्मेदारी सरकार की है और अधूरी को पूरा करने की जिम्मेदारी भी सरकार की है इसलिये उनको पूर्ण करना चाहिये ।

इसी तरह से सलूम्बर से धरियावद की सडक पक्की नहीं कराई गई । वह सडक दो डिस्ट्रिक्ट्स, को उदयपुर से बांसवाडा जाने को मिलाती है और एक सडक सलूम्बर से झालरा का ८ मील का टुकडा है उसको पक्का कराया जावे । इसके आगे चलकर हम ब्रिज बना रहे हैं । इसलिये दोनों विभाग मिल कर कार्य करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

इसके बाद हम यह देखना चाहते हैं कि निर्माण कार्यों में क्यों देरी होती है ? हमारे पास इंजीनियर वगैरह काफी स्टाफ है, मगर मैं यह कहूंगा कि उनको फाइनेन्शियल पॉवर्स बहुत कम हैं । पहले टेकनीकल मंजूरी होती है, फिर फाइनल मंजूरी के लिये जाते हैं और फिर टेन्डर के लिए दो तीन महीने लग जाते हैं । जब हमने

(श्री सोहनलाल भटनागर)

उनका केडर बढ़ाया है तो हमें उनको फाइनेन्शियल पॉवर्स भी ज्यादा देने चाहिये। इसके अलावा जो काम ठेकेदारों के द्वारा कराये जाते हैं उनसे भी बहुत देरी होती है। कई स्थानों पर दो-दो, तीन-तीन साल से ठेकेदार काम नहीं करते हैं और सरकार उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती है। जैसे जयसमन्द रोड पर....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : मिट्टी में कट करना होता है।

श्री सोहनलाल भटनागर : पुराने शिड्यूल्ड रेट में भी फर्क है। अगर किसी से कराते हैं तो शिड्यूल्ड रेट दिया जाता है। इसलिये इसको भी एमेन्ड किया जावे। मगर मैं यह कहूँगा कि जो भी कार्य किया जावे वह जल्दी किया जावे। १० या १५ वर्षों में कोई कार्य होता है तो वह ठीक नहीं कहा जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष : We had to conclude the full debate at 3. 15 P. M. Hon'ble Minister will now reply after I have given my observations over the point of order raised by Shri Mahender Singh Panwar.

(३.१५ म. प.)

कटौती प्रस्तावों की स्वीकृति सम्बन्धी निर्णय

Hon'ble Shri Mahender Singh Panwar has raised a point of order to the effect that the two cut motions submitted by him have been withheld by the Secretariat and that even if they were not in compliance with Rule 148 of the Business Rules of our House, such a right does not exist in the light of the above rule. This view was supported by Shri P. K. Chaudhary and others. I have gone through the rules 148 and 146, and other relevant provisions. The clear interpretation of rule 148 of the Business Rules of this House is that a cut motion receivied after time cannot be withheld from the House, but the papers show that it was not received within time, so that members may, if they so choose, object to its being moved, whereafter the Chair can decide whether to relax the objection or not.

The language of rule 148 in so many words means:—

(1) That late notice of cut motion does not make it inadmissible under rule 146.

(2) That it is only the members who are authorised to object to a late notice of cut motion, and.

(3) that the Chair has been given the right to allow the motion in spite of such objection, but not to disallow late notices without an objection from any member.

If the interpretation of the above rule as given creates some complica-

(श्री उपाध्यक्ष)

tions in the working of the Secretariat, amendment of the above rule or some such provision would only be the remedy.

(विराम)

Yes, Hon'ble Minister.

(३. १६ म. प.)

मांग संख्या २६—नागरिक निर्माण कार्य

(पूर्व क्रम से)

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने कटौती के सुझावों के साथ-साथ कई ऐसी बातें सदन के सामने रखी हैं जिन पर विचार किया जा सके। जहां तक सड़कों का सवाल है, इस बात को मान कर चलना चाहिये कि राजस्थान की आर्थिक हालत को सुधारने के लिये, राजस्थान की तरक्की के लिये यह निहायत जरूरी है कि राजस्थान में नेट वर्क ऑफ रोड्स कायम हों और पी. डब्ल्यू. डी. ने इस बात की कोशिश की है कि आजादी के बाद राजस्थान में नेट वर्क ऑफ रोड्स बने।

यह बात जरूर है कि जहां तक कि हमारे पी. डब्ल्यू. विभाग का सम्बन्ध है, जो यार्ड स्टिक हमारे विभाग के सामने सेन्ट्रल पी. डब्ल्यू.डी. ने और औरस्टेटों ने रखी हैं, उसके ख्याल से देखें तो राजस्थान के पी. डब्ल्यू. डी. में जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी तादाद बहुत कम है। नॉर्मली एक्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर्स के पास कम से कम ३० या ४० लाख रुपयों का वर्क लोड होना चाहिये। राजस्थान में जो एक्जीक्युटिव इन्जीनियर्स हैं उनके पास में ५० से लेकर ६० लाख तक के वर्क लोड्स हैं। यह मैं आपके सामने इसलिए पेश करना चाहता हूँ कि हो सकता है कि कई बातें, कई त्रुटियां आपके नजर में आती हों। यह मैं नहीं कहता कि त्रुटियां नजर नहीं आती होंगी, लेकिन साथ-साथ हमारी जो तकलीफ है, दिक्कतें हैं उनको भी आपके सामने रखना हमारा एक फर्ज हो जाता है और मैं आशा करूंगा कि आप लोग, अगर हमारी त्रुटियां हैं तो उनको इस लाइट में देखते हुए आप अपना मानस बनावेंगे।

वैसे जब इन्टीग्रेशन ऑफ स्टेट्स हुई थी और ग्रेटर राजस्थान का फॉर्मेशन हुआ था उस वक्त राजस्थान के पास सिर्फ ४ हजार मील मेटल्ड और ग्रेवल्ड रोड्स थीं। उसके अलावा ४हजार मील फेयर वेदर रोड्स थीं। आपके जो मुख्य डिवीज़नल हैड क्वार्टर्स हैं वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे और अलग अलग रियासतों में अलग अलग तरीके से डेवलपमेन्ट चल रहा था। जब एकीकरण हुआ तो उसके बाद इस बात की कोशिश की गई कि राजस्थान में जल्दी से जल्दी हम एक ऐसा नेट वर्क कायम करें जिससे हम डिवीज़नल हैड क्वार्टर्स पर, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर और धीरे २ तहसील हैड क्वार्टर्स तक भी पहुंच सकें। मैं समझता हूँ कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में कई हद तक उनको पूरा किया है और मैं आशा करता हूँ कि अगर ऐसी कोई दिक्कतें अभी भी है तो हम उनको जल्दी से जल्दी हल करना चाहेंगे।

(श्री हरिश्चन्द्र)

जहां तक पहली पंचवर्षीय योजना का सवाल है उसमें राजस्थान सरकार ने ६०५ लाख रुपये का आउट ले रखा था और जो हमारा एक्सपेन्डीचर हुआ फर्स्ट प्लान में वह ५३५ लाख का रहा। जो फिज़िकल टार्गेट्स फर्स्ट फाइव इयर प्लान के हैं उनमें १३०४मील नयी सड़कें बनीं और १०२६ मील सडकों का इम्प्रूवमेंट हुआ और १७७ मील लम्बाई की सड़कों में नेशनल हाइ वे में इम्प्रूवमेन्ट हुआ यह फर्स्ट फाइव इयर प्लान के टार्गेट्स में अचीवमेन्ट था। अब सैकन्ड फाइव इयर प्लान जो खत्म होने जा रहा है, उसके आंकड़े मैं सदन के सामने पेश करूंगा। टोटल आउट ले जो सैन्कड फाइव इयर प्लान का है वह ६४१ लाख रुपये का है और जो हमारा एक्सपेक्टेड एक्स्पेन्डीचर है वह ६.६१ करोड़ है। यानी जो हमारा सैकन्ड फाइव इयर प्लान का आउट ले था उससे कम से कम ४५ लाख का सिवाय खर्चा बुक करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसको देखते हुए जिन जिन माननीय सदस्यों ने कहा, हमने काम नहीं किया है या हमारे डिपार्टमेन्ट में ढिलाई है तो मैं अदब के साथ निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। यह बात जरूर हो सकती है कि जो फिज़िकल टार्गेट्स हैं उनको प्रोपोर्शनेटली एचीव न कर पाये हों और इस वास्ते अचीव नहीं कर पाये हों कि दिन ब दिन प्रेशर बढ़ता जाता हैं और एक्स्पेन्डीचर भी बढ़ता जाता है, उससे फिजिकल टार्गेट्स भी कम होते हैं। फिर भी फिज़िकल टार्गेट्स हमने कम किये हों, मैं जो आंकड़े पेश करूंगा उससे प्रकट होगा।

उसके अलावा बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने नेशनल हाई वे की बात कही थी। मैं समझता हूँ कि राजस्थान के लिए यह एक बहुत अच्छी बात हुई है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमको एक नेशनल हाई वे मिला है और हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि इस नेशनल हाई वे पर जल्दी से जल्दी काम शुरू हो जिससे जहां जहां यह सड़क जावेगी, वहां के आदमियों को, वहां के कस्बों को और सारे राजस्थान को फायदा इससे मिले। इसके अलाइनमेन्ट का सवाल माननीय सदस्य ने रखा था उसके लिए मैं आपको यह निवेदन करना चाहूँगा कि भारत सरकार ने राजस्थान सरकार से यह पूछा था कि इसका अलाइनमेन्ट क्या होना चाहिये। उनकी राय से क्या अलाइनमेन्ट होना चाहिये उसका जवाब यहां से भेज दिया सेन्टल को। वह यह हैं :

"आगरा, भरतपुर, जयपुर, सीकर, लछमणगढ़, फतहपुर, रतनगढ़, राजलदेसर, डूंगरगढ़ और बीकानेर।"

यह अलाइनमेन्ट केबिनेट से रिकमन्ड होकर सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के पास भेज दिया गया है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : आगरा से फतहपुर पुराने पर आवेगी या फतहपुर सीकरी पर आवेगी? कारबेल, अचनेरा से है, या पुराने से?

श्री हरिश्चन्द्र : आगे बता सकता हूँ।

अब मैं आपको जो फिज़िकल टार्गेट्स हैं जो सेकिन्ड फाइव इयर प्लान है डिस्ट्रिक्ट वाइज़ उनको पेश करना चाहूँगा। टोटल जैसा

Page No.98

(श्री हरिश्चन्द्र)

मैंने अर्ज कर ही दिया था। अब जो डिस्ट्रिक्ट वाइज़ ब्रेक अप है वह माननीय सदस्य कहें तो पढ़ कर सुना दूं।

	ओरीजिनल अलोकेशन	खर्चा एक्स्पेक्टेड बुक करेंगे
जयपुर	५५.७ लाख	५८.०६ लाख
झुंझुनू	२३.४७ लाख	२३.४८ लाख
सीकर	५५.९६ लाख	५३.१० लाख
अलवर	३०.०७ ,,	४०.३३ ,,
भरतपुर	३५.९३ ,,	३४.४० ,,
सवाई माधोपुर	२८.७१ ,,	३६.९० ,,
टोंक	२०.०६ ,,	२३.९७ ,,
कोटा	३०.७८ ,,	२९.८९ ,,
बूंदी	१२.६२ ,,	१०.३० ,,
झालावाड़	२३.५१ ,,	२२.१४ ,,
अजमेर	४२.५० ,,	४५.९१ ,,
जोधपुर	२१.५२ ,,	२०.२९ ,,
नागोर	२८.८४ ,,	२८.८४ ,,
पाली	२४.०१ ,,	२५.११ ,,
जालोर	१८.९० ,,	१३.८१ ,,
सिरोही	१६.१८ ,,	२०.८१ ,,
बाडमेर	१९.३९ ,,	२१.०६ ,,

बाड़मेर के लिये अर्ज करना था। यह कहा गया कि कुछ नहीं हुआ, जो ओरीजिनल प्लान ९.३६ था, एक्सपेन्डीचर २१.०६ का हुआ है :

जैसलमेर	३०.४१ ,,	१६.७२ ,,
बीकानेर	१६.१२ ,,	१६.१२ ,,
श्रीगंगानगर	५०.५२ ,,	६६.५९ ,,
भाखरा रोड	८०.७४ ,,	
टोटल गंगानगर	१३०.५२ ,,	१४१.३० ,,
चुरू	२५.८७ ,,	२१.६० ,,
उदयपुर	५५.४२ ,,	५९.२१ ,,
चित्तौड़	३२.३४ ,,	३४.४८ ,,
भीलवाड़ा	३५.९६ ,,	३८.७९ ,,
बांसवाड़ा	१७.२६ ,,	२३.२२ ,,
डूंगरपुर	२०.९७ ,,	२२.७३ ,,

यह डिस्ट्रिक्ट वाइज़ अलोकेशन है।

यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का आखिरी साल है ताकि माननीय सदस्यों को मालूम हो कि कितना पैसा रखा था और कितना खर्च हुआ।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या ये रोड्स की डिटेल्स हैं?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : आपने जो रकम अलॉट की है वह किसी आधार पर की होगी, वह आधार क्या था?

श्री हरिश्चन्द्र : जो जिला पिछड़ा हुआ है उसको ज्यादा पैसा दिया गया है और इसके

(श्री हरिश्चन्द्र)

अलावा और भी कई फेक्टर्स हैं; कहीं पर फिज़िकल ब्रेक्स हैं उन पर ज्यादा पैसा देना पड़ता है या डेन्सिटी ऑफ पोपुलेशन है; इस तरह से स्टैंडर्ड बना हुआ है उसी के अनुसार दिया जाता है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या तृतीय योजना में इस बात पर विचार किया जायगा कि जहां ज्यादा अलॉट किया है वहां कम हो और जहां कम किया गया है वहां ज्यादा हो।

श्री हरिश्चन्द्र : थर्ड प्लान तो अभी विचाराधीन है; जब बन जायगा तो उसके आंकड़े भी पेश कर दूंगा।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : जब आपकी सरकार बने, आप चार गुना अधिक कर देना।

श्री हरिश्चन्द्र : जहां तक फिज़िकल अचीवमेंट का सवाल है उसके आंकड़े भी मैं आपके सामने रख दूं। सैकन्ड प्लान के जो अचीवमेन्ट्स हैं वह ४१४० मील्स का है उसमें से :

१५२० माइल पर ब्लैकटेपिंग हुआ।

१६१० माइल मेटल्ड रोड कन्स्ट्रक्ट हुई।

७१० माइल ग्रेवल रोड़।

———————

कुल टोटल ४१४०

टोटल माइलेज जो सैकन्ड प्लान का है वह ४१४० मील का होगा।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या आप इस प्रकार की इनफोर्मेशन दे सकते हैं कि फर्स्ट फाइव इयर प्लान में और सैकन्ड फाइव इयर प्लान में किस किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा और किस डिस्ट्रिक्ट में सब से कम रोड्स का कन्स्ट्रक्शन हुआ?

श्री हरिश्चन्द्र : सेकन्ड फाइव इयर प्लान का मैं अर्ज कर सकता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : फर्स्ट फाइव इयर प्लान का भी बतादें।

श्री चन्दनमल वैद : सारे डिस्ट्रिक्ट के फीगर्स दे दिये हैं, आप पता लगा लें।

श्री हरिश्चन्द्र : जो मैंने ४१४० माइल रोड्स के निर्माण का बताया है उसका ब्रेक अप दे सकता हूँ डिस्ट्रिक्टवाइज़।

एक सवाल बड़ा भारी रखा गया को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ को प्रोत्साहन देने के लिये। जब से को-ऑपरेटिव मूवमेन्ट शुरू हुआ है इस बात की हरचन्द कोशिश की है कि हमारे पी० डब्ल्यू० डी० विभाग द्वारा को-ऑपरेटिव सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा मदद दी जाय। सन् १९५८ के बाद जब से इस मूवमेन्ट ने जोर पकड़ा है हमारे पी० डब्लू० विभाग के सामने तीन तरह की संस्थायें आयीं; एक तो भारत सेवक समाज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और तीसरी पंचायत समितियां। जहां तक को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ का सवाल है वहां हमने को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इसी दूसरे योजना-काल के अन्दर १ करोड़ और १० लाख का काम दिया है, १ करोड़ और १० लाख का पेमेन्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ को किया है,

(श्री हरिश्चन्द्र)

यानी सोसाइटीज़ से १ करोड़ १० लाख का काम लिया है। यह मैं समझता हूँ हमने अच्छा कदम उठाया है और मैं आशा करता हूँ अगर को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ दिलचस्पी लें तो हम धीरे धीरे इस बात की कोशिश करें कि ठेका सिस्टम, जो इन्डिवीज्युअल को कॅन्ट्राक्ट देते हैं वह बन्द करना शुरू कर दें, लेकिन यह बात जरूर है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के सामने कई दिक्कतें आती हैं, टेक्निकल डिफिकल्टीज़ आती हैं : इन्वेस्टमेन्ट की डिफिकल्टीज़ आती हैं, मोनीटरी डिफिकल्टीज़ आती हैं तथा और भी कई दिक्कतें आ सकती हैं जिससे वे इतनी आगे बढ़ने न पायें। हमें पहले सोसाइटीज़ को टेक्निकली और फाइनेन्शियली साउन्ड बनाने की आवश्यकता है, लेकिन जहां तक हमारा इनको प्रोत्साहन देने का सवाल है उसके लिये जो भी कदम हम उठा सकेंगे हम हमेशा उठाने के लिये तैयार रहेंगे ताकि को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ आगे बढ़ सकें।

डिपार्टमेन्टल वर्क्स का जहां तक सवाल है उसमें भी बहुत कोशिश की गई। ठेकेदार जो हैं, जब कभी नहीं आते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं आती हैं, तो उस सूरत में डिपार्टमेन्ट द्वारा काम किया जाता है। इस पांच साल के अर्से में कम से कम ८०-९० लाख का काम डिपार्टमेन्ट द्वारा किया गया है। इसमें हमने एक्स्ट्रा लेबर एंगेज नहीं किया, हमारा जो स्टॉफ था; एक्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर, सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर आदि द्वारा अपने ही स्टाफ से सारा काम लिया गया। नहीं तो हर प्रोजेक्ट के लिये जहां अलग अलग स्टाफ मुकर्रर होता है वहां हमने अपने ही एग्ज़ीक्युटिव इन्जीनियर और असिस्टेन्ट इन्जीनियर द्वारा, हमारे एग्जि-स्टिंग स्टाफ द्वारा काम कराया है। यह एक कदम उठाया गया है। मिडल मैन के प्रोफिट को खत्म करने की सरकार पूर्ण कोशिश करती है और आगे भी यह कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे इस ठेकेदारी प्रथा को हटा दें; या तो ये वर्क्स डिपार्टमेन्टली हों या को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दें, लेकिन इस प्रकार का एटमोस्फियर बनाने में थोड़ा समय जरूर लगेगा।

अब मैं माननीय सदस्यों ने जो कट मोशन्स रखे हैं उनका अलग अलग जवाब देने की कोशिश करूंगा............

डॉ० बहादुरसिंह : भरतपुर की रोड्स का ध्यान रखियेगा।

श्री हरिश्चन्द्र (जारी) : कोटपूतली से आनेवाले माननीय सदस्य ने एक ही सड़क के लिये कई बार प्रश्न भी पूछा है और तरह तरह से उसको दोह-राया है। जहां तक पांच माइल के टुकड़े का सवाल है यह टुकड़ा, मेरा ऐसा ख्याल है कि यह पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट के पास नहीं था। जब केबिनेट वहां गई तो वहां यह डिसाइड किया गया कि यह सड़क पी. डब्ल्यू. डी. को ट्रान्सफर की जाय, उसके बाद यह सड़क इस विभाग के पास आयी है। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर इस सड़क से इन्टर कॉम्युनिकेशन ठीक होता है या ऐसे दो बड़े शहर जुड़ते हों तो यह पांच मील का जो टुकड़ा है उसको बनाने की बात पर विचार हो सकता है, तीसरी योजना

(श्री हरिश्चन्द्र)

में। हम इस बारे में आपके साथ बैठकर विचार कर सकते हैं। यह योजना अगर इस तरह की होगी कि यदि दो डिस्ट्रिक्ट्स की तहसीलों को कनेक्ट करता होगा तो वह जरूर सोचेंगे। यह पांच मील की सड़क की बात थी और जहां तक गैंग्स के रखने का सवाल है हमने उसके लिये गैंग्स रख छोड़ी हैं, जिसके द्वारा फेअर वेदर रोड्स की रिपेयर होती है। जिन तीन सड़कों का नाम बताया गया उन तीनों सड़कों के लिये गैंग रखी गई है। सन् १६६०—६१ के साल में इसके लिये ५,३४० रुपया खर्च आया है। यह सड़क केबिनेट के डिसीजन के बाद हमारे विभाग के पास आयी है और उसके बाद उसकी मरम्मत हुई है; ऐसी बात नहीं कि हम इसे ठीक नहीं करवाना चाहते हों।

एक माननीय सदस्य, सीकर से आने वालों ने यह कहा था कि सीकर की सड़कों पर मैटीरियल ठीक तरह का नहीं लगता है। इस तरह की शिकायत मेरे पास भी आई थी। जांच करवाई गई। रिपोर्ट में यह कहा गया था कि जो टेन्डर में मैटीरियल स्पेसिफाइड था वही लगाया है। पर अगर माननीय सदस्य के पास और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मुझ से कहें, I am prepared to investigate the matter and place it before the House. धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक पुलिस स्टेशन के बारे में बात कही। लैण्ड एक्वीज़िशन इसमें प्राइवेट पार्टी से होना है और जब तक वह एक्वायर नहीं होता पी० डब्ल्यू० डी० इसमें आगे काम नहीं कर सकती। एक्वीज़िशन की कार्यवाही कलेक्टर के यहां चल रही है। As Soon as the land is acquired हम इस पुलिस स्टेशन पर काम कर सकेंगे।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : बीच में डिस्टर्ब तो होगा, पर सूचनार्थ मैं निवेदन कर दूं कि काम शुरू किया उस वक्त विचार कर लेते तो ठीक था।

श्री हरिश्चन्द्र : काम शुरू नहीं किया, मैटीरियल आ गया था सिर्फ।

डॉ० बहादुरसिंह : नहीं, खोदना भी शुरू कर दिया था।

एक्वीज़िशन की कार्यवाही पूरी हुई कि नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : नहीं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : पजेशन तो फर्स्ट नोटिफिकेशन के बाद ही ले सकते हैं, पैसा बाद में लेते-देते रह सकते है।

श्री हरिश्चन्द्र : बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक आपत्ति उठाई कि शिड्यूल्ड रेट का रिवीज़न नहीं हुआ। माननीय सदस्य तो यहां हैं नहीं, किन्तु मैं उनकी सूचना के लिये निवेदन कर दूं कि तीस पर्सेन्ट ऑफ दी शिड्यूल्ड रेट्स ऑलरेडी हम रिवाइज़ कर चुके हैं, बाकी आशा करता हूँ कि तीन-चार महीनों में रिवाइज़ कर देंगे।

फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक तो रेल्वे क्रोसिंग के बारे में कहा। यह

(श्री हरिश्चन्द्र)

मामला लास्ट इयर भी आपने इस सदन के सामने रखा था। इसके बाद रेल्वे से लिखा-पढ़ी भी हुई है। इस बारे में जल्दी से जल्दी डिसीज़न ले लेंगे और इस तरह आपकी कठिनाई मिटाने की कोशिश की जावेगी। इस वक्त मामला लीगल्ली एग्ज़ामिन किया जा रहा है। मैं समझता हूँ, निर्णय जल्दी से ले लेंगे।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): I hope within 2 or 3 months, you will do it.

श्री हरिश्चन्द्र: I also hope so. इसके अलावा दो सड़कों के लिये आपने कहा; फुलेरा से रेनवाल और फुलेरा से भिचून। लास्ट इयर शायद यह सैंक्शन हुई थी, टेन्डर वगैरह भी शुरु हो गये थे। मैं समझता हूं इसमें डिले हुई है, जैसे कई बार होती है। इस बात को मानने को मैं भी तैयार हूं, पर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि जो सैट प्रोसीजर है उससे हमारे चाहते हुए भी डिले हो जाती है। हम चाहते हैं, पर प्रोसीजर से हम और हमारे डिपार्टमेंट को काफी बदलने से तकलीफ होती है और इससे देरी हो जाती है। तो बावजूद इसके कि माननीय सदस्य ने मुझसे कहा, मैंने डिपार्टमेंट से कहा और डिपार्टमेन्ट ने भी चाहा कि जल्दी हो, पर प्रोसीजर में जितना समय लगना चाहिये वह तो लगा ही। फुलेरा से रेनवाल २४ मील है। इसमें १६ मील की सड़क का काम लैट आउट हो चुका है। फुलेरा से भिचून के बीच में भी पांच मील का काम लैट आउट हो गया है। तो यह काम शुरू करके हम आपकी सड़क को पूरी कराने की कोशिश करेंगे।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा था कि कोटड़ा, गोगुन्दा, फलासिया और खेरवाड़ा में सड़क का अभाव है और वे नहीं बनीं। इसके लिये यह कहना है कि एक सड़क १२ मील लम्बी गोगुन्दा, पुलारी और फलासिया में सात लाख २६ हजार की एस्टीमेटेड कोस्ट की थी, उसमें से ६ लाख ७२ हजार रुपया ३१।३।६१ तक खर्च हो जावेगा। दूसरी सड़क है, खेरवाड़-कोटड़ा की बीस मील लम्बी, इसके लिये चार लाख का एस्टीमेट था इसमें से २७२ हजार रुपया ३१ मार्च, ६१ तक खर्च हो जावेगा। बाकी १.२८ हजार का प्रोविज़न आगे किया जावेगा।

इसी तरह से सरूपगंज कोटड़ी के लिये २.७४ हजार का खर्चा है। यह भी ग्रेवल रोड है, इसमें से २.२५ हजार खर्च हो जावेगा। तो आपका यह कहना कि कुछ काम नहीं हो रहा है, मालूम नहीं; आप किस तरह से कह रहे हैं? यह हो सकता है कि एक सड़क ६० मील, ७० मील लम्बी एक प्लान में रख दी जावे; तो एक साथ तो वह नहीं बन सकती। आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही हम आगे बढ़ा सकते हैं।

जैसे मावली से आने वालों ने कहा कि फण्ड्स रोड सेक्टर में ज्यादा होना चाहिये। तो अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा काम कर सकेंगे। पर फण्ड्स की रेस्ट्रिक्शन्स को देखते हुए जितना काम कर सकते हैं वह किया जा रहा है और यह बात नहीं है कि हमारे

(श्री हरिश्चन्द्र)

डिपार्टमेन्ट की तरफ से कोई लापरवाही हो रही हो।

श्री उपाध्यक्ष : वे तो उनकी सड़कों में दिलचस्पी रखते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : बीकानेर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा कि तारानगर, सरदारशहर, रतनगढ़ ११४ मील की लम्बी सड़क की हालत बहुत खराब है। यह सड़क, वैसे माननीय सदस्य को मालूम होगा कि डिफेन्स विभागने बनाई थी और बीकानेर स्टेट के वक्त बनाई थी, साल-डेढ़ साल के अन्दर बनाई थी डिफेन्स पर्पज़ के लिये, नॉर्मल स्पेसिफिकेशन्स के नहीं बनी। आज वह धीरे धीरे रोटन (Rotten) कन्डीशन में आ गई है।

हमने इस बात की कोशिश की थी कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट को लिखें और उनसे कहें कि वह हमें थोड़ा बहुत पैसा दे, ताकि इसको हम न्यू लाइफ देकर बनायें, लेकिन वह इस समय इस मूड में नहीं हैं कि इस सड़क के लिए कुछ पैसा दिया जाये और जो हमारी मेन्टीनेन्स की ग्रान्ट आती है उसमें से धीरे धीरे रिपेयर कराते रहते हैं। मैं मानता हूं उस हिसाब से काफी साल लग जायेंगे, लेकिन इधर फाइनेन्शियल स्ट्रिन्जेन्सीज़ को देखते हुए ही आगे बढ़ सकते हैं लेकिन यह बात तो माननीय सदस्य भी मानेंगे कि रिपेयर इसकी हुई है। मैंने एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी पेश की थी जिसके जरिये आपको मालूम हुआ होगा कि काम बराबर हुआ है और वर्क्स भी लेट आउट हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि उस सड़क को आपको कहने के मुताबिक बना देंगे........

श्री श्रीभानसिंह : When that road is abandoned, why waste money on that ?

श्री हरिश्चन्द्र : People go on that road, it is not abandoned.

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने तीन कटमोशन्स रखे थे। एक तो उनका कटमोशन था कि जो हलेना से सेवर तक जयपुर-भरतपुर रोड है; पोर्शन ऑफ दी रोड—इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। इसके लिए मुझे आपसे यह कहना है कि १९५९-६० में ऑर्डीनरी रिपेयर १६,२२० रुपये की हुई। स्पेशल रिपेयर ६२०० रुपये की हुई थी, फ्लड डेमेजेज़ रिपेयर हुई थी ५९०० रुपये की। १९६०-६१ में ऑर्डीनरी रिपेयर हुई १३,५०० रुपये की, स्पेशल रिपेयर हुई है ३१,३०० रुपये की। तो मैं समझता हूं जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है, गलत है। हो सकता है, कुछ पोर्शन में काम रह गया हो, लेकिन इस सड़क के ऊपर काम हुआ है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : २० मील तक उसी तरह के डिप्स हैं। काम हुआ है, यह तो मैं भी मानता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कहा कि जैसे जैसे फण्ड्स आते जायेंगे काम होता रहेगा। इसके बाद आपने ही कहा था कि भरतपुर से उच्चैन होकर बयाना तक की सड़क है उसकी हालत बहुत खराब है। आपके पास

(श्री हरिश्चन्द्र)

यह तीन-चार साल पहले की रिपोर्ट होगी। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वह मैं निवेदन करूं कि यहां १६५६–६० में ऑर्डीनेरी रिपेयर में १४,४०० रुपये खर्च हुए, स्पेशल रिपेयर ३० हजार की और कैपिटल वर्क्स में १५,-३०० रुपये खर्च हुए थे। १६६०-६१ में ऑर्डिनरी रिपेयर पर १३,१०० खर्च किये, स्पेशल रिपेयर में ३१,५०० रुपये खर्च हुए और कैपिटल वर्क्स में १,६३,७०० रुपये खर्च हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी लास्ट इयर से ज्यादा खर्च हुआ है और कन्डीशन भी मेरे ख्याल से पहले से इम्प्रूव्ड हुई होगी और आप भी इसको मानने के लिए तैयार होंगे।....

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : बीच बीच में खराब है, वह हिस्सा ठीक हो जाता तो अच्छा रहता।

श्री हरिश्चन्द्र : सलूम्बर से आने वाले....

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : पहाड़ी नगर की सड़क और है, मेरा सबसे पहला कटमोशन यही था।

श्री हरिश्चन्द्र : सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य ने देवारी कुराबड़ की सड़क के बारे में कहा था। इसमें फर्स्ट फाइव इयर प्लान में ४ मील की सड़क बनानी थी और इसके लिए ६०,००० रुपये रखे गये थे, इसके अगेन्स्ट ७३,००० रुपये फर्स्ट प्लॉन में खर्च हुए। सैकण्ड फाइव इयर प्लान में ४ मील का टुकड़ा रखा गया था और ६८,००० रुपये खर्च हुए हैं इसके ऊपर और ३॥ मील मैटल्ड रोड बन गई है। वैसे इसकी लम्बाई २३ मील है और मैं आशा करता हूँ कि इस सड़क को तीसरी योजना में रख कर पूरा करेंगे।

एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि इरिगेशन और पी. डब्ल्यू. डी. में कोऑर्डिनेशन हो। मैं समझता हूँ कि यह अच्छा सुझाव है। ऐसा नहीं है कि कोऑर्डि-नेशन एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है, लेकिन जो कुछ आपने कहा है इसकी कोशिश की जायेगी और यह ध्यान रखा जायेगा और कोऑर्डिनेशन इसमें रखा जायेगा। मैं सम-झता हूँ कि जो जो भी पॉइन्ट्स थे मैंने उनका जवाब दे दिया है....

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : अभी तो रह गये।

श्री हरिश्चन्द्र : उनियारा से जो मान-नीय सदस्य आये हैं उन्होंने कहा कि उनियारा के आस–पास सड़कें ही नहीं बनी हैं। मैं कहना चाहूँगा कि उनियारा से सवाई माधोपुर को एक सड़क बनी है और दूसरी सड़क उनियारा से टौंक की भी बनी है। तो मान-नीय सदस्य का यह कहना कि सड़कें नहीं बनी हैं, यह तो वाजिब नहीं है....

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह तो मैंने अर्ज कर दिया था कि उनियारा से सवाई माधोपुर और उनियारा से टौंक को सड़क बनी हैं, पर उनियारा से टौंक सड़क में एक मील का बाकी है....

श्री हरिश्चन्द्र : उसके लिए मैंने निवे-दन किया था और जब प्रश्न पूछा गया.......

श्री चन्दनमल वैद (सरदार शहर) : लेकिन माननीय मंत्री महोदय दोनों सड़कें आपके गढ़ के सामने से नहीं जा रही है, इसलिए बताइये....

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने निवेदन किया था और जब आपने प्रश्न किया था कि उसमें एक फर्लांग का रह गया है वह काम हो जायेगा।

अलवर से आने वाली माननीय सदस्या ने दो-तीन प्राइमरी स्कूल्स और मिडल स्कूल्स के लिए कटमोशन्स रखे थे। उसके लिए मुझे यह कहना है कि जितने भी फण्ड्स आते हैं पी० डब्ल्यू० डी० सेक्रेटरी एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट को मूव करेगा, एडीशनल फण्ड्स के लिए। जहां तक उनकी एक सड़क का सवाल है रामगढ़ से अलावदा, उसके लिए मैं इतना कहूंगा कि वह तीसरी योजना के लिए विचाराधीन है और जब योजना पर विचार किया जायेगा तो इस सड़क को भी इसमें रख देंगे।

(छींक)

एक माननीय सदस्य :छींक हो गई है।

श्री हरिश्चन्द्र : अन्त में मैं क्लोज़ करने के पहले थर्ड फाइव इयर प्लान को ब्रीफ माननीय सदस्यों को देना चाहूँगा। वैसे थर्ड फाइव इयर प्लान फ्रेम हुआ तो इस बात की कोशिश की गई थी कि प्लानिंग डिपार्टमेन्ट के पास जब राजस्थान गवर्नमेन्ट पहुंची तो हम लोग जो कि पी० डब्ल्यू० डी० की तरफ से रिप्रेजेन्ट कर रहे थे, हमने कम से कम १८ करोड़ रुपये की मांग की थी। मगर ओवरऑल पोज़ीशन इन्डिया की देखते हुए और जो सीलिंग फिक्स हो रही है राजस्थान की ओर जो क्रेडीटेबल सीलिंग फिक्स हुआ है उसको देखते हुए we can maintain a ceiling of 18 crores for roads. It was brought down to 13 crores और १३ करोड़ रुपये राजस्थान सरकार को तीसरी योजना के लिए सड़कों के मिलेंगे। अब जो १३ करोड़ रुपये तीसरी योजना में मिलेंगे उसका जो ब्रेक-अप किया है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।

District roads including Rajasthan Canal Road-	11.38 lacs
Approach roads to towns & villages-	1.08 lacs
Approach roads to mines & quarries-	16.00 lacs

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभ नगर सु०) : ये एप्रोच रोडस कहां कहां बनेंगी, यह बताया जाये........

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री हरिश्चन्द्र : माइनिंग की क्वेरीज़ की हैं। माइन्स डिपार्टमेन्ट हमको इनफॉर्म करता है कि कहां बनाई जाये........

ड्रेनेज वर्क्स	....	४० लाख
टूल्स एण्ड प्लान्ट्स	....	२० लाख
इन्टरस्टेटस रोड्स	....	१० लाख

यह इस तरह का ब्रेक-अप हमने जो है १३ करोड़ का किया है।

(श्री हरिश्चन्द्र)

इसके अलावा जो कि एप्रोच रोड्स है उसके लिए लास्ट इयर जब बजट पेश हुआ था तब यह घोषणा थी कि हम पंचायत समितियों को एप्रोच रोड्स के लिए पैसा देंगे। तो उस हिसाब से एप्रोच रोड्स की जो रकम है इसमें से ३,५०००) रु०हर पंचायत समिति को एप्रोच रोड्स बनाने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में देंगे।....

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : प्रतिवर्ष देंगे ?

श्री हरिश्चन्द्र : नहीं, यह पांच वर्ष की रकम है। वहां पर छोटी—मोटी एप्रोच रोड्स में वह जो पंचायत समिति करना चाहेगी वह उस तरह से कर सकेगी।........

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभ नगर सु०) : शूगर केन एरिया के लिए........

श्री हरिश्चन्द्र : बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने बूंदी की सड़कों के लिए कहा है....

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष, भारत सरकार ने शूगर केन एरिया के लिए पैसा दिया है........

श्री उपाध्यक्ष : वह भोपाल सागर पहुंचा दिया गया है। मेरे पास नहीं है।

श्री हरिप्रसाद यादव : भोपाल सागर को मिलना चाहिए।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास नहीं है वह पैसा।

श्री हरिप्रसाद यादव : जिन पंचायत समितियों को दिया गया है मंत्री महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर !! the Hon'ble Minister will please conclude his reply.

श्री हरिश्चन्द्र : बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने बूंदी से चित्तौड़ रोड के लिए कहा था। वह रोड १०० मील से लंबी है, तो उसका ६६ पर्सेन्ट एक्सपेन्डीचर बुक हो गया है। यह इनफॉर्मेशन अभी मेरे पास आई है, लेकिन माननीय सदस्य को अप-टू-डेट इनफॉर्मेशन मंगा कर पेश कर दूंगा।

जहां तक एक चीज जो हुई थी और वह जो इनकी डिफिकल्टीज़ आ रही है कि बूंदी सब डिविजन को एक्ज़ीक्यूटिव कोटा को सुपुर्द किया जाय; उस बात को मैं स्वीकार करता हूं और जल्दी से जल्दी इस बात का प्रयत्न करूंगा कि वह वहां पर बूंदी डिस्ट्रिक्ट है वह कोटा में एमेल्गेमेट हो जाय। इससे काम में सहूलियत निकल सकती है।

जहां तक मेन्टीनेन्स का सवाल है, मैं समझता हूँ माननीय सदस्य को कोई कम्प्लेन्ट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिये। अगर वे बूंदी से नैनवा सड़क पर चले जायं तो सारे डिस्टेन्स पर आपको गिट्टी मिलेगी जो कि अभी टूट कर आई है, आप जाकर देख आयें।

मैं समझता हूं कि मुझे और कुछ नहीं कहना है। माननीय सदस्यों को धन्यवाद है कि इतनी दिलचस्पी लेकर कटमोशन्स पेश किये हैं।

(४.०५ म० प०)

श्री उपाध्यक्ष : मैं मुखबन्ध का प्रयोग करता हूँ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य ५०—भवन और सड़क (संयुक्त स्थापना) और औजार तथा स्थिर संयंत्र ५०, —का राजस्व लागत से अर्थ प्रबन्धित नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,४४,४७,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २६ स्वीकार की गई।

शेष मांगों पर मुखबन्ध

मांग संख्या ४२—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्य इत्यादि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी लेखा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,५२,०३,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४२ स्वीकार की गई।

मांग संख्या २१—सहकारिता

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४२-सहकारिता के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७८,७१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २१ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४५—निवृत्ति वेतनों की संराशियों का भुगतान

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४५, मुख्य शीर्षक ८३—निवृत्ति वेतनों की संराशियों का भुगतान के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,००,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४५ स्वीकार की गई।

मांग संख्या २—राजकीय आबकारी कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २—मुख्य शीर्षक ८—राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५९,५४,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २ स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या ३—स्टाम्प्स

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ६—स्टाम्प्स के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,३५,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ५—पंजीयन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ५, मुख्य शीर्षक ११—पंजीयन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,०८,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ५ स्वीकार की गई !

मांग संख्या ६—वाहनों पर कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १२—वाहनों पर कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५, ७३,००० रु० के की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ७-बिक्री कर

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ७, मुख्य शीर्षक १२ का—बिक्री कर के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४९,६२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ८—अन्य कर और महसूल

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ८, मुख्य शीर्षक १३—अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५, ४०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८ स्वीकार की गई।

मांग संख्या १०—सामान्य प्रशासन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,८०,४७,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १० स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या १२–कारागृह

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २८–कारागृह के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३४,४९,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १२ स्वीकार की गई।

मांग संख्या १३–पुलिस

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २९ पुलिस के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४,६४,४७,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १३ स्वीकार की गई।

मांग संख्या १६–चिकित्सा

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८–चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,७५,७२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १६ स्वीकार की गई।

मांग संख्या १७–जन–स्वास्थ्य

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ३९–जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,२९,८२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १७ स्वीकार की गई।

मांग संख्या १८–कृषि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ४०–कृषि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को १,७६,२९,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १८ स्वीकार की गई।

मांग संख्या १९–ग्राम–विकास

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ४०–ग्राम विकास के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १९ स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या २०–पशु–पालन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ४१–पशु–पालन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,२७,१५,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २० स्वीकार को गई।

मांग संख्या २३ श्रम तथा नियोजन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ४६–श्रम तथा नियोजन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४७,८६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २३ स्वीकार की गई।

मांग संख्या २४–विविध विभाग

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ४७–विविध विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,१६,६८,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २४ स्वीकार की गई।

मांग संख्या २५–सामुदायिक विकास परियोजनाएं इत्यादि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २५, मुख्य शीर्षक ४७ का–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,६८,५२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २५ स्वीकृत हुई।

मांग संख्या २७-बहु प्रयोजन नदी योजनाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २७, मुख्य शीर्षक ५१ ख–बहु प्रयोजन नदी योजनाओं से संबंधी अन्य राजस्व व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४६,७०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २७ स्वीकृत की गई।

मांग संख्या २८–दुर्भिक्ष

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५४–दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय

(श्री उपाध्यक्ष)

को ४५,००,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २८ स्वीकृत की गई।

मांग संख्या २९–प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक ५४ का–प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २९ स्वीकृत की गई।

मांग संख्या ३०–भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३०, मुख्य शीर्षक ५४ ख–भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १३,८०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३० स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३१–अधिवार्षिकी भत्ते और निवृत्ति वेतन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ५५, ५५ का अधिवार्षिकी भत्ते और निवृत्ति वेतन, ५४ का साधारण राजस्वों से अर्ध प्रबन्धित निवृत्ति वेतनों का संराशिदान के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ९७,४७,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३१ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३२–लेखन सामग्री तथा मुद्रण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ५६–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५४,८०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३२ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३४–सड़कों तथा परिवहन योजनाएं इत्यादि

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ४६ का सड़कों तथा परिवहन योजनाओं से प्राप्तियों, कार्यवाहक

(श्री उपाध्यक्ष)

व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६५,००,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३४ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३५—अन्य विविध अंशदान और अभिहस्तांकन

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ६२ ख—अन्य विविध अंशदान और अभिहस्तांकन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४३,००,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३५ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३६—असाधारण व्यय

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ६३—असाधारण व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १५,३६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३६ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३७—भूमिधर इत्यादि को जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के फल स्वरूप हानि—पूर्ति देय

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३७, मुख्य शीर्षक ६५—भूमिधर इत्यादि को जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप हानि पूर्ति देय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,८०,००,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३७ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३९—जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ७०—जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३५,२९,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३९ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४०—कृषि सुधार व अन्वेषण परियोजनाएं

प्रश्न यह हैं कि मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ७१—कृषि सुधार व अन्वेषण परियोजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल

Page No.113

(श्री उपाध्यक्ष)

महोदय को १३,००,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४० स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४१—औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ७२—औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८१,-६६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४१ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३—राजस्व लेखे से बाहर अन्य निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक ८२—राजस्व लेखे से बाहर अन्य निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,३४,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ;

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४३ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४४—सड़कों तथा जल परिवहन योजनाओं पर राजस्व लेखा

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४४, मुख्य शीर्षक ८२ ख—सड़कों तथा जल परिवहन योजनाओं पर राजस्व लेखे के बाहर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २३, १०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४४ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४६—सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूंजी लागत

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४६, मुख्य शीर्षक ८५ का—सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०६,८१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४६ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४७—राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४७, मुख्य शीर्षक ता-राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६२ को

Page No.114

(श्री उपाध्यक्ष)

समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ८,५२,-७४,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४७ स्वीकार की गई ।

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक १९६१

(पुरःस्थापन)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप–मन्त्री, वित्त) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान एप्रोप्रियेशन (नं० २) बिल १९६१ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा चाहता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुःरस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुःरस्थापित करता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : Now we adjourn to meet tomorrow at 11. A. M.

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ४. १८ बजे दिनांक २९ मार्च १९६१ को म. पू. ११ तक के लिये स्थगित हुई]।

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, २८ मार्च, १९६१)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	स्कम्भ		स्कम्भ
मिल्क पाउडर का काला बाजार करने वालों के प्रति कार्यवाही।	५३०५	तहसील देवली व उनियारा में हिमपात के फलस्वरूप हुई हानि के शमनार्थ प्रदत्त सहायता।	
ट्रेण्ड मैट्रिक को ट्रेन्ड मिडल का वेतन मिलना।		राणकपुर (उदयपुर) सड़क का निर्माण।	
नवीन योजनान्तर्गत तहसील दौसा में सड़क निर्माण।		समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास।	
हिन्दी के शीघ्र लेखकों के प्रति भेद-भाव।		तहसील कोटपूतली के व्यक्तियों की पूला पानी के ठेके के निमित्त जमा रकम।	
सलूम्बर व सराड़ा तहसीलों में जयसमन्द रूण की भूमि के एलॉटीज से वसूल किया जाने वाला लगान।		प्रान्त को भाखरा व चम्बल से प्रदत्त बिजली।	
विजयनगर में नई कपड़ा मिल को लाइसेन्स देने सम्बन्धी।		भूतपूर्व राज्यों के कोर्ट ऑफ वार्ड्स की सेवाकाल का क्वालिफाइंग सर्विस में सम्मिलन।	
तालाबों की सिंचाई फीस की वसूली।		मकराना में सरकारी एजेन्सी मुकर्रर करने की अपेक्षा।	
सिरोही में राजकीय भवनों के निर्माण हेतु मनेला तथा खोवा खान के पत्थरों का उपयोग।		राजस्व बोर्ड द्वारा संचालित रेवेन्यू एजेण्ट परीक्षा में अवरोध।	
		तृतीय पंचवर्षीय योजना।	

तहसील सरवाड़ में नम्बरदारों की नियुक्तियां।

कस्बा बामनवास से लिवाली तक सड़क निर्माण।

बांसवाड़ा जिले के अभावग्रस्त क्षेत्र को राहत कार्य।

तहसील रतनगढ़ में विकास खण्ड खोलने की मांग।

कस्बा नोहर में उद्योग विभाग द्वारा चिनिया मिट्टी के खिलौने, टी-सेट आदि का निर्माण-कार्य बन्द किया जाना।

टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, अजमेर में शिक्षा का माध्यम।

झालावाड़ जिले में कृषि योग्य भूमि का कृषि कार्य हेतु ही वितरण।

रेज़ीडेन्सी स्कूल, जयपुर व बेसिक स्कूल हथरोई का एकीकरण।

स्थगित प्रश्न।

डाबला-कोटपूतली व पावटा-डाबला सड़क का निर्माण।

जनलेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति, १९६१-६२ के अनुपाती प्रतिनिधित्व सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचनों के सम्बन्ध में प्रस्ताव ५३६७

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री, ने जनलेखा समिति, १९६१-६२ के लिये १० सदस्यों एवं प्राक्कलन समिति, १९६१-६२ के लिये १५ सदस्यों को निर्वाचित किये जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जो सदन द्वारा स्वीकार किये गये।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत ईद के अवसर पर आबूरोड में हुई घटना से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। राजस्व मंत्री, श्री दामोदरलाल व्यास, ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

स्थगन प्रस्ताव ५३७०

भरतपुर व अलवर जिलों के पुरुषार्थी किसानों से जमीन की कीमत, सवाया लगान की दर पर जमीन के लगान की अब तक की कुल बकाया एवं मकान, बैलों आदि के लिये दी गई तकावी की वसूली से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री भैरोंसिंह (१४) व श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी के स्थगन-प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

राजस्व मंत्री ने इस सम्बन्ध में, स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए, एक वक्तव्य दिया।

आय-व्ययक, १९६१-६२
द्वितीय अवस्था-अनुदानों की मांगों पर मतदान

मांग संख्या २६-मुख्य शीर्षक—

५०-नागरिक निर्माण कार्य
५०-भवन और सड़क (संयुक्त) स्थापना, और औजार तथा स्थिर संयत्र

५०-का-राजस्व से अर्थ प्रबंधित नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत ५४०४

उपरोक्त मांग श्री हरिश्चन्द्र, सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा प्रस्तावित की गई। इस पर कुल ४१ कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

सार्वजनिक किर्माण मंत्री के उत्तर के पश्चात् मुखबंद (Guillotina) का प्रयोग किया जाकर उपरोक्त मांग सहित निम्नांकित मांगें सदन द्वारा स्वीकार की गईं :—

शेष मांगों पर मुख बन्ध

क्रम संख्या	मांग संख्या	मुख्य शीर्षक
१	२	३

१-४२-८१-राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी लेखा

२-२१-४२-सहकारिता

३-४५-८३-निवृत्ति वेतनों की संराशियों का भुगतान

४-२-८-राजकीय आबकारी

५-३-९-स्टाम्स

स्कम्भ

१	२	४

६–५–११–पंजीयन

७–६–१२–वाहनों पर कर

८–७–१२–का–बिक्री कर

९–८–१३–अन्य कर और महसूल

१०–१०–२५–सामान्य प्रशासन

११–१२–२८–कारागृह

१२–१३–२६–पुलिस

१३–१६–३८–चिकित्सा

१४–१७–३९–जन स्वास्थ्य

१५–१८–४०–कृषि

१६–१९–४०–का–ग्राम विकास

१७–२०–४१–पशुपालन

१८–२३–४६–श्रम तथा नियोजन

१९–२४–४७–विविध विभाग

२०–२५–४७–का–सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण कार्य

२१–२७–५१–खा–बहु प्रयोजन नदी योजनायें

स्कम्भ

२२–२८–५४–दुर्भिक्ष

२३–२९–५४–का–प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन

२४–३०–५४–खा–भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते

२५–३१–५५–अधिवार्षिकी भत्ते और निवृत्ति वेतन

५५–का–साधारण राजस्वों से अर्थ प्रबंधित निवृत्ति-वेतनों का संराशिदान

२६–३२–५६–लेखन सामग्री तथा मुद्रण

२७–३४–४६–का–सड़कों तथा जल परिवहन योजनाओं से प्राप्तियां कार्यवाहक व्यय

२८–३५–६२–खा–अन्य विविध अंशदान और अभि हस्तांकन

२९–३६–६३–असाधारण व्यय

३०–३७–६५–भूमिधर इत्यादि को जागीरदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप हानि पूर्ति देय

३१–३९–७०–जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत

३२–४०–७१–कृषि सुधार व अन्वेषण परियोजनाओं पर पूंजी की लागत

३३–४१–७२–औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत

३४–४३–८२–राजस्व लेखे से बाहर अन्य निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा

३५–४४–८२–खा–सड़कों तथा जल परिवहन योजनाओं पर राजस्व लेखे से बाहर पूंजी की लागत

३६–४६–८५–का सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूंजी की लागत

३७–४७–ता–राज्य सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम

विधायी कार्य–पुरः स्थापित किया गया विधेयक

श्री पूनमचन्द बिश्नोई, उप-मंत्री, ने सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१ को पुरः स्थापित किया।

सदन की बैठक ४ बजकर १८ मिनट पर बुधवार, दिनांक २९ मार्च, १९६१ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

दिनांक २९ मार्च, १९६१ की कार्य–सूची

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१

(विचार–विमर्श एवं पारित)

———

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५९६ का उत्तर देखिये)

Statement showing the allocations under the Third Five Year Plan.

(Rs. crores)

Head			Amount
Agricultural Progammes			
1.	1.	Agricultral Production	6.55
1.	2.	Minor Irrigation	6.70
1.	3.	Soil Conservation	1.40
1.	4.	Animal Husbandry	4.71
1.	5.	Dairying & Milk Supply	0.69
1,	6.	Forest	2.45
1.	7.	Fisheries	0.20
1.	8.	Warehousing & Marketing	0.20
		Total 1.	23.00
2. Cooperation & Community Devclopment			
2.	1.	Cooperation	4.00
2.	2.	Community Development	12.75
2.	3.	Panchayats	5.80
		Total 2.	22.55
3. Irrigation & Power			
3.	1.	Irrigation	85.10

3. 2.	Flood Control		0.90
3. 3.	Power		35.00
		Total 3.	121.00
4.	Indurtry & Mining.		
4. 1.	Large & Medium Industries.		0.30
4. 2.	Mineral Development		3.65
4. 3.	Village and Small Industries.		5 00
		Total 4.	8.95
5.	Transport & Communications		
5. 1	Roads		13.00
5. 2.	Roads Jransport		—
5. 3.	Ports & Harbours		—
5. 4.	Inland Water Transport		—
5. 5.	Tourism		0.20
		Total 5.	13.20
6.	Social Services.		
6. 1.	General Education		17:78
6. 2.	Technical Education.		3.32
6. 3.	Scientific Research		—
6. 4.	Health		15.95
6. 5.	Housing		4.20
6. 6.	Welfare of Backward Classes		3.25
6. 7.	Social Welfare		0.45
6. 8.	Labour & Labour Welfare		1.00
		Total 6.	45.95

7. Miscellaneous

7. 1	Statistics	0.30
7. 2.	Information & Publicity	0.65
7. 3.	Local Bodies	—
7. 4.	State Capital Projects Head	—
7. 5.	Mandies	0.40
7. 6.	Other	—
	Total 7.	1.35
	Grant Total : 1 to 7	236.00

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६०३ का उत्तर देखिये)

विकास खण्डों की सूची

क्रमांक	जिला	विकास खण्ड
१	२	३
१.	बीकानेर	१. नोखा
		२. कोलायत
		३. बीकानेर
२.	चूरू	४. सरदारशहर
		५. राजगढ़
		६. डूंगरगढ़
		७. सुजानगढ़
३.	गंगानगर	८. रायसिंहनगर
		९. श्रीकरणपुर
		१०. हनुमानगढ़
		११. सूरतगढ़
		१२. सादुलशहर
		१३. पदमपुर
		१४. नोहर
४.	अलवर	१५. किशनगढ़वास
		१६. गोविन्दगढ़
		१७. तिजारा

Page No.124

	२	३
		१८. मन्डावर
		१६. कोटकासिम
		२०. थानागाजी
		२१. बान्सूर
		२२. राजगढ़
		२३. उमरैन
		२४. निमराना
५.	भरतपुर	२५. नगरपहाड़ी
		२६. बसेरी
		२७. राजाखेड़ा
		२८. नदबई
		२६. रूपबास
		३०. कुम्भेर
		३१. वैयर
		३२. वाड़ी
६.	जयपुर	३३. जोबनेर
		३४. बस्सी
		३५. सांगानेर
		३६. जयपुर
		३७. बान्दीकुई
		३८. फागी
		३६. बैराट

१	२	३
		४०. सिकराय
		४१. गोविन्दगढ़
		४२. शाहपुरा
		४३. चाकसू
७.	झुन्झुनू	४४. चिड़ावा
		४५. उदयपुरवाटी
		४६. सुरजगढ़
		४७. नवलगढ़
		४८. खेतड़ी
		४९. बुहाना
८.	सवाई माधोपुर	५०. हिन्डोन
		५१. टोडाभीम
		५२. महुवा
		५३. करोली
		५४. सवाई माधोपुर
		५५. गंगापुर
		५६. नादोती
९.	सीकर	५७. नीम का थाना
		५८. लछमणगढ़
		५९. दांतारामगढ़
		६०. श्री माधोपुर
		६१. धौंध

१	२	३
		६२. पीपराली
१०.	टोंक	६३. मालपुरा
		६४. टोंक
		६५. टोडारायसिंह
		६६. निवाई
११.	अजमेर	६७. पीसांगन
		६८. मसुदा
		६९. जवाजा
		७०. केकड़ी
		७१. श्री नगर
		७२. किशनगढ़
		७३. भीनाय
१२.	बाडमेर	७४. सिवाना
		७५. शिव
		७६. पचपदरा
		७७. गुरूपलानी
		७८. बाडमेर
१३.	जैसलमेर	७९. सांकड़ा
		८०. जैसलमेर
१४.	जालोर	८१. आहोर
		८२. सांचोर
		८३. भीनमाल

१	२	३
		८४. सायला
१५.	जोधपुर	८५. बिलाड़ा
		८६. ओसियां
		८७. भोपालगढ़
		८८. जोधपुर
		८९. जालेसर
१६.	नागौर	९०. डीडवाना
		९१. लाडनूं
		९२. कुचामन
		९३. मकराना
		९४. डेगाना
		९५. जायल
		९६. रियां
१७.	पाली	९७. सुमेरपुर
		९८. बाली
		९९. देसूरी
		१००. खारची
		१०१. सोजत
		१०२. रायपुर
		१०३. रानीस्टेशन
		१०४. जैतारन
		१०५. पाली

१	२	३
१८.	सिरोही	१०६. पिन्डवाड़ा
		१०७. सिरोही
		१०८. शिवगंज
१९.	बुन्दी	१०९. तालेड़ा
		११०. हिन्डोली
		१११. नैनवा
२०.	झालावाड़	११२. झालरापाटन
		११३. खानपुर
		११४. डग
		११५. मनोहरथाना
२१.	कोटा	११६. बारां
		११७. अन्ता
		११८. लाडपुरा
		११९. शाहबाद
		१२०. अटरू
		१२१. इटावा
		१२२. छबड़ा
२२.	बांसवाड़ा	१२३. गढ़ी
		१२४. कुशलगढ़
		१२५. बागीडौरा
		१२६. घाटौल
		१२७. बांसवाड़ा

१	२	३
२३.	भीलवाड़ा	१२८. मोडलगढ़
		१२६. मांडल
		१३०. शाहपुरा
		१३१. जहाजपुर
		१३२. कोटरी
		१३३. आसिंद
		१३४. हुर्डा
२४.	चितौड़गढ़	१३५. प्रतापगढ़
		१३६. बेगू
		१३७. कपासन
		१३८. चित्तौडगढ़
		१३६. राश्मी
		१४०. निम्बाहेड़ा
		१४१. भैसरोडगढ़
२५.	डूंगरपुर	१४२. डूंगरपुर
		१४३. सीमलवाड़ा
		१४४. सागवाड़ा
		१४५. आसपुर
		१४६. बीचीवाड़ा
२६.	उदयपुर	१४७. राजसमन्द
		१४८, आमेट
		१४६. कुम्भलगढ़

Page No.130

१	२	३
		१५०. गिर्वा
		१५१. कोटरा
		१५२. सामनोर
		१५३. धरियावाद
		१५४. बड़गांव
		१५५. रेलमगरा
		१५६. मावली
		१५७. गोगुन्दा
		१५८. भीन्डर
		१५९. झाडोल

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६०६ का उत्तर देखिये)

तहसील वाइज सूची जिला झालावाड़ (राजस्थान) भूमि घास जो राजस्व व वन विभाग के अधीन है

क्रम संख्या	नाम तहसील	एरिया बीघों में जो वन विभाग के अधीन है रकबा बीघों में बीघा	बिस्वा	आय सन् ५९–६०	एरिया बीघों में जो राजस्व विभाग के अधीन हैं रकबा बीघो में बीघा	बिस्वा	आय सन् ५९–६०	
१	२	३	४	५	६	७	८	
१	तहसील खानपुर	१३५७	२		३५०	१४	८०५ रुपये	८ आने
२	पिड़ावा	१०००	त्र ५		१७४	—	४६०	४
३	डग	३०६०	१०		१०८	११	७३०	—
४	असनावर	२३३२	१०		२१६	३	६६१	—
५	अकलेरा	२६५३०	—		३८६	४	६०५	—

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	६	७	८	९
६	ब्रकानी	२९४०	—		१३३	८	४३६	४
७	झालरापाटन	५३२१	१९		२१०	—	३७२	—
८	पचपहाड़	१०६	१०		—	—	—	—
९	मनोहरथाना	१९५८	३		—	—	—	—
१०	गंगधार	—	—		—	—	—	—
११	सुनेल	—	—		१००	४	२७२	—
	योग :—	४४५९४	१	३१८३८ रुपये ४६ न० पै०	१६८१	१४	४३७२	—

५५५६]

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५६३ का उत्तर देखिये)

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की सूची

क्र. सं	छात्रावास का नाम	स्थान	जिला	स्कीम का नाम
१	२	३	४	५
१.	राजकीय छात्रावास	सीकर	सीकर	अनुसूचित जन–जाति
२.	,,	राजगढ़	अलवर	,,
३.	,,	अलवर	अलवर	अनुसूचित जाति
४.	,,	जयपुर	जयपुर	,,
५.	,,	कोटपूतली	जयपुर	,,
६.	,,	जयपुर	जयपुर	अनुसूचित जन–जाति
७.	,,	नीमका थाना	जयपुर	,,
८.	,,	सिरोही	सिरोही	,,
९.	,,	सेवाड़ी	पाली	,,
१०.	,,	बालोतरा	बाडमेर	,,
११.	,,	फालना	पाली	अनुसूचित–जाति
१२.	,,	जोधपुर	जोधपुर	,,
१३.	,,	,,	,,	,,
१४.	,,	पाली	पाली	विमुक्त जाति
१५.	,,	बरियावद	उदयपुर	अनुसूचित जन–जाति
१६.	,,	फलासिया	उदयपुर	,,

१	२	३	४	५
१७.	राजकीय छात्रावास	खेरवाडा	उदयपुर	अनुसूचित जन-जाति
१८.	,,	कोटड़ा	उदयपुर	,,
१९.	,,	उदयपुर	उदयपुर	,,
२०.	,,	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	,,
२१.	,,	चितौड़गढ़	चितौड़गढ़	विमुक्त जाति
२२.	,,	बीकानेर	बीकानेर	अनुसूचित जन-जाति
२३.	,,	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	,,
२४.	,,	करणपुर	,,	विमुक्त जाति
२५.	,,	केलवाड़ा	कोटा	अनुसूचित जन-जाति
२६.	,,	लाडपुरा	कोटा	,,
२७.	,,	भरतपुर	भरतपुर	विमुक्त जाति
२८.	,,	कोटा	कोटा	अनुसूचित-जाति
२९.	,,	केशवरानपाटन	बूंदी	,,
३०.	,,	झालरापाटन	झालावाड़	विमुक्त जाति
३१.	,,	बूंदी	बूंदी	,,
३२.	,,	भरतपुर	भरतपुर	अनुसूचित जाति
३३.	,,	किशनगंज	कोटा	अनुसूचित जन-जाति
३४.	,,	मसूदा	अजमेर	,,
३५.	,,	अजमेर	अजमेर	अनुसूचित जाति
३६.	,,	गढ़ी	बांसवाड़ा	अनुसूचित जन जाति
३७.	,,	सज्जनगढ़	बांसवाड़ा	,,
३८.	,,	घाटोल	,,	,,

१	२	३	४	५
३६.	राजकीय छात्रावास	बांसवाड़ा	बांसवाड़ा	अनुसूचित जन–जाति
४०.	,,	प्रतापगढ़	चित्तौड़गढ़	,,
४१.	,,	सागवाड़ा	डूंगरपुर	,,
४२.	,,	डाबला	,,	,,
४३.	,,	बनकोड़ा	,,	,,

प्रति छात्र प्रति दिन खर्चा रुपये १ के हिसाब से औसत खर्चे के आधार पर निर्धारित है। इसके अलावा अन्य खर्च में जैसे स्टॉफ का वेतन, भत्ता, दफ्तर खर्च, किराया मकान, नॉन–रेकरिंग एक्सपेंडीचर आदि।

———

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, २८ मार्च, १९६१)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
८००५ से ८०६८	शा ंक	८००५–८०६८	५३०५–५३६७
८०१०	२०	श्री श्रीमानसिह	श्री श्रीमानसिंह
,,	अन्तिम से २	श्री रिखचंद	श्री रिखबचंद
८०१२	२७	ग्रेड ट्रन्ड	ग्रेड ट्रेन्ड
८०१३	६	क्ट्रेनथ	स्ट्रेन्थ
८०१०	२५	बा कहां	वह कहां
८०१६	२४	शिफिटिंग	शिफ्टिंग
८०१८	११	Lhird Ptan	Third Plan
८०१९	८	arr!ve	arrive
,,	१५	श्री श्रीमानसिह	श्री श्रीमानसिंह
८०२१	१७	Questioin	Question
,,	१८	Veom manging for vicence	recommending for a licence
८०२८	२	रहे हें	रहे हैं
८०२९	१३	इन्टीग्रेटग	इन्टीग्रेटिंग
,,	२४–२५	सड़ का	सड़क का
८०३०	२२	निमित जमा	निमित्त जमा
८०३१	२३	वियत मन्त्री	विद्युत मन्त्री
८०३२	२७	स्ट्रिंगि हो गई	स्ट्रिन्गिग हो गया
८०३३	६	वगरह पहले	वगैरह पहले
८०३४	२	रहे ! हैं	रहे हैं !
८०३४	अन्तिम से २	वाडस का	वार्ड्स का
८०३६	१९	के दिया	केस दिया
८०३९–४०	शीर्षक	२८ मर्च	२८ मार्च
८०४४	६	repled	replied
८०५०	२	whe ther	whether
५३७५	१९	जो उनको	जो उनकी
५३७९-८० व			
५३८३–८४	शीर्षक	मार्च, ६१८	मार्च, ६१–
५३८५	अन्तिम से ५	बातचीत, की	बात की,

१	२	३	४
५३८८	२	हुई, हो	हुई हो,
५३८८	२५	रिकवेरबून था	रिकवरेबल था
५३८९	२५	व मैंने	वे मैंने
५३९१	१०	इस राइट को एक	इस राइट को एक
५४०१	२४	पेरेग्राफस	पैरेग्राफ्स
५४०५	१४	इस बहस	इस पर बहस
५४०९			
५४१०	शीर्षक	२८ माच	२८ मार्च
५४१३	१६	Majecr	Major
,,	४	Catcgories	Categories
५४१४	शीर्षक	निर्माण कर्य	निर्माण कार्य
५४२१	,,	२८ मा	२८ मार्च
५४२२			
५४३०	अन्तिम से ६	गकती हैं	सकती हैं
५४३३	९	धन–दाशि	धन–राशि
५४३६	२०	न करा करवा	न करवा कर
,,	अन्तिम	रेटस बने	रेट्स बने .
५४३७	२	,, ,,	,, ,,
५४४१	१२	समय–सभाप्ति	समय–समाप्ति
५४४२	१९	Shri Horiprasad	Shri Hari prasad
,,	अन्तिम से ३	शुरु हुई	शुरू हुई
५४४६	७	रोडस का	रोड्स का
५४४८	२१	पवार	पंवार
५४५०	१७	श्री महेन्द्रसिह	श्री महेन्द्रसिंह
५४६३	शीर्ष	(श्री अध्यक्ष)	(श्री उपाध्यक्ष)
५४६४	शीर्षक	वा–विवाद	वाद–विवाद
५४७०	२९	डू गरगढ़	डू गरगढ़
५४७१	शीर्षक	नगरिक	नागरिक
५४७२	,,	ग संख्या २६,मुख्य शीर्षक	मांग संख्या २६–
५४७७	,,	मार्च, ७६१	मार्च, ६१
५४८२	२०	श्री अनूपसिह	श्री अनूपसिंह
५४८३	२४	बोंड नहीं	बॉड नहीं

(३)

१	२	३	४
५४८६	४	श्री अनूपसिह	श्री अनूपसिंह
५४६१	११	Hondle	Hon'ble
५४६८	१६	सेन्टल को	सेन्टर को
५५०३	४	हूँ अगर	हूँ कि अगर
५५०६	अन्तिम से ५	रेटस ऑलरेडी	रेट्स ऑलरेडी
५५१४	१६	रोडस	रोड्स
,,	२२	माइनिग	माइनिंग
,,	२७	इन्टरस्टेटस	इन्टर स्टेट्स
५५१६	११	मननीय सदस्य	माननीय सदस्य
५५२३	१३	समात होने	समाप्त होने
५५२६	६	अर्घ	अर्थ
५५४३	८	Ajricutral	Agricultural
५५४४	१५	Roads jransport	Road transport
५५४६	सीरियल		
	७३	भीनाय	भिनाय
५५५६			
५५४७	सीरियल ६	जत–जाति	जन–जाति

अनुपूरक शुद्धि-पत्र

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
८०४६	१४	घारीबल	घारीवाल
८०६३	६	सरोही	सिरोही
८०६५	६	परिशिष्ट	परिशिष्ट
५३६६–७०	शीर्षक	समितियों के सदस्यों का निर्वाचन	आबू रोड में हुई घटना सम्बन्धी नोटिस
५४०१	२१	श्री भैरसिंह	श्री भैरोंसिंह
५४२२	शीर्षक	इत्यादि	इत्यादि
५४४७	३	श्री उपाध्याय	श्री उपाध्याय
५४६७-६८	शीर्षक	२६ मार्च	२८ मार्च
५४६६	शीर्ष	श्री नाथूराम करोल	श्री नाथूलाल करौल
५४७१	,,	श्री चम्दनमल	श्री चन्दनमल
५५५७	शीर्षक	परिशष्ट	परिशिष्ट
शुद्धि पत्र पेज २	कॉलम ४ पंक्ति २७	मांग संख्या २६	मांग संख्या ७३–नागरिक
,,	कॉलम ४ अन्तिम पंक्ति	ब्रॉड नहीं	ब्रॉड नहीं
शुद्धि पत्र पेज ३	कॉलम १ अन्तिम पंक्ति	५५५६ ५५४७	५५४७ को विलोपित समझिये